



ANNUAL REPORT

—2016–2017—





विषय सूची

पृ.सं.

1. निदेशक मंडल	3
2. ए जी एम की सूचना	4
3. अध्यक्ष का पत्र	11
4. निदेशक के रिपोर्ट	14
5. निगमित अभिशासन का रिपोर्ट	50
6. वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण	61
7. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट	107
8. नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार की टिप्पण्याँ	119

पंजीकृत कायालिय

8 वाँ तल, राजस्व ट्वर, पार्क एवन्यू,
कोच्ची – 682011 केरल, भारत,
फोन : + 91 484 2350 455
फैक्स सं.: + 91 484 2380 686

साँविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स के वर्गीस एवं कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
मार्कट रोड
एरणाकुलम

सचिवीय लेखा परीक्षक

श्री टी आर श्रीराम,
कंपनी सचिव
कमरा सं. VIII/104 ए
'चंद्र विहार'
मरड, कोच्ची – 682 304

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स जेआरएस एवं कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
दूसरा तल, द मोनार्क
पी. टी. उषा रोड, कोच्ची – 682011

कंपनी सचिव

बी. अनिल कुमार

हमारा बैंक

कैनरा बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक
आईडीबीआई बैंक
फेडरल बैंक
धनलक्ष्मी बैंक
एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री दुर्गा शंकर मिश्र

- अध्यक्ष, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 122 सी,
नरिमान भवन, नई दिल्ली

श्री मुकुंद कुमार सिंहा

- ओएसडी (यूटी) एवं पूर्व संयुक्त सचिव
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 138 सी,
नरिमान भवन, नई दिल्ली

श्री शरत शर्मा

- निदेशक (संचालन),
डीएमआरसी लिमिटेड, मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन,
बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली

श्री अजित पंडित

- अतिरिक्त सदस्य (कार्य),
रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय,
रेल भवन, नई दिल्ली – 110 001

श्री एल. नरसिंह प्रसाद
वाइस एडमिरल एस.के.के.कृष्णन

- निदेशक (प्रणाली एवं संचालन)
- स्वतंत्र निदेशक, ए 403, जल वायु विहार, पवाई,
मुंबई – 400076

डॉ के.एम. एब्रहाम

- मुख्य सचिव
केरल सरकार, सरकार सचिवालय,
तिरुवनन्तपुरम – 695001

श्री एम शिव कुमार

- सचिव,
केरल सरकार, सरकार सचिवालय,
तिरुवनन्तपुरम – 695001

श्री के मोहम्मद वाई सफिरुल्ला

- जिलाधीश, जिलाधीश का कार्यालय,
काङ्कनाड, एरणाकुलम – 682 030

श्री एलियास जोर्ज

- प्रबंध निदेशक

श्री एब्रहाम उम्मन

- कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, 8 वाँ तल, रेलन्यू टवर, कोच्ची

श्री प्रवीण गोयल

- निदेशक (वित्त)

श्री तिरुमन अर्चुनन

- कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, 8 वाँ तल, रेलन्यू टवर, कोच्ची

- निदेशक (प्रणाली)

- कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, 8 वाँ तल, रेलन्यू टवर, कोच्ची

- निदेशक (परियोजना)

- कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, 8 वाँ तल, रेलन्यू टवर, कोच्ची

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8 वाँ तल, राजस्व ट्वर, पार्क एवन्यू, कोच्ची – 682011 केरल, भारत,
फोन : + 91 484 2350 455, फैक्स सं.: + 91 484 2380 686, वेबसाइट : www.kochimetro.org
सीआईएन: U60100KL2011SGC029003

छठवाँ वार्षिक बैठक की सूचना

सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों के छठवाँ वार्षिक बैठक दिनांक 30 नवंबर, 2017 को 12.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, राजस्व टॉवर, 8 वीं मंजिल, पार्क एवेन्यू, कोच्ची- 682011 में संपन्न होगी जिसमें व्यापार संबंधी निम्न बातों पर विचार किया होगी:

सामान्य व्यापार

1. 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ साथ निदेशक मंडल के रिपोर्ट , उस पर साँविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ आदि को प्राप्त करना, स्वीकार करना और विचार करना ।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त साँविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स के वर्गीस एवं कंपनी , शासनपत्रित लेखाकार की (वित्त वर्ष 2016-17 के लिए) पारिश्रमिक एवं जेब खर्च और सेवा कर के रूप में 3,50,000/- रु. (तीन लाख पचास हजार रुपए मात्र) में निर्धारित करना ।

विशिष्ट व्यापार

3. स्वतंत्र निदेशक के रूप में वाइस एडमिरल एस.के.के.कृष्णन की नियुक्ति

विचार हेतु और अगर उपयुक्त है तो, एक सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करें :

- 3.1 कृतसंकल्प "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और 161 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि हो , वाइस एडमिरल एस.के.के.कृष्णन (डीआईएन: 00340235) जिसे तदर्थे आधार पर अतिरिक्त निदेशक के रूप में बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था और उन्हें कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है , जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4), (10) और (11) और 152 (6) (ई) के अनुसार 30 मई 2017 से तीन साल की अवधि की पदधारण करने के लिए रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है ।

3.2 आगे की कृत संकल्प , वाइस एडमिरल एस.के.के. कृष्णन को केएमआरएल की उप समिति की बैठकों के प्रत्येक बोर्ड में भाग लेने के लिए यात्रा , परिहन, आवास और अतिरिक्त जेव खर्च के अलावा कंपनी की नीति के अनुसार बोर्ड स्तर के कार्यकारी अधिकारियों (बीएलई) के लिए लागू स्रोत पर कर की कटौती के अधीन 15,000 / - रूपये की बैठे शुल्क का भुगतान करना है।

**निदेशक मंडल के आदेश के अनुसार
कृते कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड**

**बी. अनिलकुमार
कंपनी सचिव**

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 28 नवंबर, 2017

टिप्पणियाँ :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुवर्ती व्याख्यात्मक विवरण को इसके साथ जोड़ दिया गया है।
2. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने व वोट देने के लिए एक प्रतिपुरुष को नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिपुरुष कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है।
3. बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले प्रतिपुरुष द्वारा विधिवत मोहर व हस्ताक्षर किया हुआ फार्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रतिपुरुष के एक फार्म इसके साथ संलग्न है।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही भेज दिया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3: कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में वाइस एडमिरल एस.के.के कृष्णन नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) और कंपनी के एसोसिएशन के लेख के अनुसार वाइस एडमिरल एस.के.के. कृष्णन को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक की क्षमता में अतिरिक्त निदेशक के रूप में बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया है, जो इस वार्षिक बैठक की तारीख तक कार्यारत होंगे और वे 30 मई 2017 से तीन साल की अवधि के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है। वाइस एडमिरल एस.के.के. कृष्णन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और उन्होंने स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति भी दी है। तदनुसार, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा स्वीकृति के लिए वाइस एडमिरल एस.के.के कृष्णन की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के संबंध में बोर्ड द्वारा संकल्प सं.3 की सिफारिश करता है। (वाइस एडमिरल एस.के.के. कृष्णन के अलावा कोई भी निदेशक इस प्रस्ताव में रुचि नहीं रखते हैं)

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8 वाँ तल, राजस्व टवर, पार्क एवन्यू, कोच्ची – 682011 केरल, भारत,
फोन : + 91 484 2350 455, फैक्स सं.: + 91 484 2380 686, वेबसाइट : www.kochimetro.org
सीआईएन: U60100KL2011SGC029003

उपस्थिति पर्ची

कृपया उपस्थिति पर्ची को पूरा भरके बैठक संपन्न होने वाले स्थान के प्रवेश द्वार पर सौंप दीजिए।

नाम

पता

फोलियो सं.

शेररों की संख्या

प्रमाणित करता है कि मैं कंपनी में पंजीकृत शेररधारी/कंपनी के पंजीकृत शेररधारी की तरफ से प्रतिपुरुष हूँ।
मैं दिनांक 30 नवंबर, 2017 को दोपहर 12.30 बजे कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, 8 वाँ तल, राजस्व टॉवर, पार्क एवन्यू, कोच्ची- 682011, केरला, भारत में संपन्न छठवाँ वार्षिक बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा/रही हूँ।

सदस्य/प्रतिपुरुष के हस्ताक्षर

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8 वाँ तल, राजस्व टवर, पार्क एवन्यू, कोच्ची – 682011 केरल, भारत,
फोन : + 91 484 2350 455, फैक्स सं.: + 91 484 2380 686, वेबसाइट : www.kochimetro.org
सीआईएन: U60100KL2011SGC029003

फार्म सं. एमजीटी – 11 प्रतिपुरुष फार्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 19 (3) के अनुसार]

सदस्य (यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ई-मेल आईडी :

फोलियो सं./ग्राहक सं. :

डीपी आईडी :

मैं/ हम मैं / हम उपर्युक्त कंपनी के शेयरों के सदस्य होने पर, यहाँ नियुक्त करते हैं

1. नाम :

पता :

ई-मेल आईडी:

हस्ताक्षर : या उसकी असफलता

2. नाम :

पता :

ई-मेल आईडी:

हस्ताक्षर : या उसकी असफलता

3. नाम :

पता :

ई-मेल आईडी:

हस्ताक्षर : या उसकी असफलता

मैं/ हमारा प्रतिपुरुष हाज़िर होकर मेरे/हमारे लिए मेरी/हमारी अनुपस्थिति में नवंबर महीने के 30 वें दिन, 2017 को दोपहर 12.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न होने वाले छठवाँ वार्षिक बैठक में वोट देंगे और निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में आवश्यकतानुसार शपथ ले लेंगे।

..... 2017 के इस दिवस पर हस्ताक्षरित किया गया ।

सं.	संकल्प
1	31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट, उस पर साँविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ आदि को प्राप्त करन, स्वीकार करना और उसे अपनाना ।
2	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त साँविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स के वर्गीस एवं कंपनी, शासनपत्रित लेखाकार की (वित्त वर्ष 2016-17 के लिए) पारिश्रमिक निर्धारित करना ।
3	स्वतंत्र निदेशक के रूप में वाइस एडमिरल एस.के.के कृष्णन की नियुक्ति

शेयरधारक के हस्ताक्षर



प्रतिपुरुष के हस्ताक्षर

राजस्व
स्टैप
चिपकाएं

टिप्पणी :

1. प्रतिपुरुष को कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है ।
2. इस फार्म को विधिवत पूरा करके बैठक शुरू होने से 48 घंटे पहले ही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करें, तभी प्रतिपुरुष के फार्म प्रभावी हो जाएगा ।

मार्ग नक्शा



अध्यक्ष का पत्र



30 नवंबर, 2017 को आयोजित होने वाली केएमआरएल की छठी वार्षिक आम बैठक में आप सभी को स्वागत करते हुए मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपनी को 30 सितंबर, 2017 से पहले 6 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करनी चाहिए थी; लेकिन केरल के रजिस्ट्रार की अनुमति के साथ, यह तारीख 26 दिसंबर, 2017 तक बढ़ा दी गई थी।

मैं श्री राजीव गौबा, तत्काल पूर्व अध्यक्ष जो कंपनी और उसके बोर्ड को आगे बढ़ने में सही दिशा निर्देशित करते हैं, के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए शुरू करना चाहूँगा। मैं इस मौके पर श्री एलियास जॉर्ज, पदावरोही प्रबंध निदेशक के प्रति श्रेय देना चाहूँगा, जिनके परिश्रम और कार्यक्षमता केएमआरएल को इस मुकाम पर पहुँचाया है। मैं कंपनी को सफलता की एक नई गति प्रदान करने में सबसे प्रमुख अपने नए प्रबंध निदेशक श्री ए.पी.एम मोहम्मद हनीष को भी अभिनंदन देता हूँ। मैं उन सभी पण्धारियों के प्रति मेरी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कंपनी के वित्तीय वर्ष 2016-17 के निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि पहले ही आप के बीच परिचालित कर दी गई है। पूरक लेखा परीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणी आज प्राप्त हुए हैं। सी एण्ड एजी रिपोर्ट में कोच्ची मेट्रो परियोजना के विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किए गए मध्यस्थता और सुलह के दावों को शामिल नहीं किए जाने की वजह से हुई आकस्मिक देनदारी आकस्मिक दायित्व की खासता से संबंधित एक टिप्पणी शामिल है। इस संबंध में प्रबंधन ने एक उचित उत्तर जारी किया है।

यह अत्यंत गर्व का विषय है कि परियोजना की पहली पहुँच 11 स्टेशनों सहित कुल लंबाई 13.4 किमी, आलुवा-पालारिवट्टम का उद्घाटन 17 जून 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के राज्यपाल, केरल के मुख्यमंत्री शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और संसदीय के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जो केएमआरएल के लिए एक सर्वकालिक रिकार्ड है। यह दौर 19 जून 2017 को जनता के लिए खोल दिया गया। फेस । के बाकी भाग पालारिवट्टम से महाराजास कॉलेज तक (रीच -2 ए) का कमीशन किया गया और 3 अक्टूबर 2017 को जनता के लिए खोल दिया गया। शेष भाग अर्थात्, परियोजना के रीच -2 बी, कुल 6 स्टेशनों के साथ 7.47 किलोमीटर लंबाई के

महाराजा कॉलेज-पेट्रा कॉरिडोर शामिल है, जो कि 2019 में पूरा होने की उम्मीद है।

केएमआरएल के बोर्ड ने 11.2 किमी की लंबाई और 11 स्टेशनों के साथ काङ्कनाड तक मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है जोएलएन स्टेशन कलूर से केरल की आईटी हब कोरिडॉर यह सुनिश्चित करेगी कि काङ्कनाड के प्रमुख वाणिज्यिक और आईटी केन्द्रों में से एक को मेट्रो प्रणाली तक पहुँच होगी , इस प्रकार मेट्रो के समग्र यातायात और आपकी कंपनी के राजस्व की आय क्षमता में सुधार होगा । नई मेट्रो रेल नीति (एमआरपी) को अनुपालन करने के लिए प्रस्ताव अब संशोधन के अधीन है।

कोच्ची शहर में एक आधुनिक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करने के अलावा , कंपनी लोगों के लिए कुल परिवहन समाधान प्रदाता बनने की अपनी भूमिका का विस्तार कर रही है । कंपनी सभी सार्वजनिक परिवहन के एकीकरण की दिशा में काम कर रही हैं जिसमें मेट्रो, बसों, फेरी, और गैर मोटर चालित परिवहन को एक सिंगल नेटवर्क, एक सामान्य गतिशीलता कार्ड और एक समय सारणी के साथ एक एकल सीमलेस प्रणाली में शामिल किया गया है । इस संबंध में , कंपनी ने एक एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) बिल मसौदा भी तैयार किया है, जो कि राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मुझे यह भी खुशी है कि कंपनी ने कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए , जर्मन फंडिंग एजेंसी क्रेडेन्टल्ट फॉर विडेरॉफ्स्बो (केएफडब्ल्यू)की सहायता से, कोच्ची लैगून के आसपास के तटीय क्षेत्रों और द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की गतिशीलता और आजीविका के अवसरों में सुधार लाने के लिए केरल सरकार के साथ एक समझौता किया है; ताकि वे कोच्ची शहर में उपलब्ध आर्थिक अवसरों से भी लाभ उठा सकें । जल मेट्रो परियोजना के लिए पर्याप्त जनशक्ति के साथ केएमआरएल में एक अलग विंग स्थापित किया गया है । केएमआरएल ने इसके लिए एक जनरल सलाहकार को भी लगाया है।

यह उल्लेखनीय है कि कंपनी ने फ्रांसीसी फंडिंग एजेंसी प्रांसिज़ डी डिवेलपमेंट (एएफडी) की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ , मील कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए मेट्रो के प्रभाव क्षेत्र में गैर-मोटर चालित परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने में और आगे बढ़ा है; जैसे कि स्ट्रीट स्केप्स, चलन पथ और साइकिल पथ को विकसित करना, साथ ही गतिशीलता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सड़क जंक्शनों में सुधार और शहरी पारगमन सुरक्षा बढ़ाना आदि ।

मैं कुदुम्बश्री मिशन की एक अद्वितीय पहल और भारत में अपनी तरह की पहली पहल जो केरल सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग के स्वयं सहायता समूह को उनके संचालन और रखरखाव गतिविधियों जैसे गृहपालन और टिकट के चयनित पहलुओं के लिए केएमआरएल के प्रयासों की सराहना करता हूँ । इसके अलावा, केएमआरएल ने कुदुम्बश्री मिशन के माध्यम से ओ एंड एम गतिविधियों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उनके सामाजिक और आर्थिक समावेश को सुरक्षित करने के लिए काम में दाखिल किया है।

यह अत्यंत गौरव की बात है कि भारतीय शहरी गतिशीलता (यूएमआई) ने 'कोच्ची में सीमलेस ट्रांसपोर्ट' परियोजना को जल

परिवहन (जल मेट्रो) के साथ एकीकरण के कार्यान्वयन सहित इसकी परिवर्तनात्मक विशेषताओं के लिए 'शहरी परिवहन पहल' के सर्वश्रेष्ठ शहर' श्रेणी में केएमआरएल को सम्मानित किया गया है।

कोच्चि मेट्रो को रूपे आधारित ट्रांज़िट कार्ड के नाम और शैली कोच्चि 1 कार्ड में शुरू करने के लिए भी सराहना की गई। 'कोच्चि 1' कार्ड का अनावरण 17 जून, 2017 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया और यह तब से उपयोग में है।

मैं केएमआरएल द्वारा 'कोच्चि-एप' के लिए उठाए गए कोशिशों की भी प्रशंसा कारता हूँ जो कोच्चि के परिवर्तन एवं अन्य सेवाओं के लिए बनाए गए एक शहर 'एप' है, वह भारत के कई शहरों में प्रयुक्त 'मोबिलिटी एप' के समान ही है। यह एप एक बहु प्रायोगिक डिजिटल व्यवस्था प्रदान करता है जिससे यात्रियाँ अपने यात्रा के दौरान मूल्यनिष्ठ सेवाएँ हासिल कर सकते हैं। यह एप देश के प्रथम विशिष्ट प्रयास होगा और यह आपकी कंपनी को गैर-परिचालित श्रोतों से राजस्व मॉडल में जोड़ेंगे।

कोच्चि एवं राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों ने मेट्रो प्रणाली और केआरआरएल को उत्साह के साथ अपनाया है। मैं कोच्चि के नागरिकों और केरल के लोगों को उनके प्रोत्साहन, समर्थन और सद्भावना के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने परियोजना कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी इन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए केएमआरएल को सक्षम बनाया है।

मैं एक बार फिर से श्री राजीव गौवा, भूतपूर्व अध्यक्ष के प्रति मेरी प्रशंसा व्यक्त करता हूँ, जो एक विश्व स्तरीय द्रव्यमान गतिशील पारगमन प्रणाली की स्थापना के लिए कंपनी को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने में सक्षम रहा। मैं भारत सरकार के विभिन्न विभागों और केरल सरकार, निदेशक मंडल और विभिन्न पण्डारियों को केएमआरएल परियोजना के लिए उनके अप्रतिबंधित समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अंत में मैं केएमआरएल के कर्मचारियों के प्रति भी उनके प्रयासों के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक कंपनी की परिवर्तन निरंतर प्रक्रिया है और भुगतान रातोंरात नहीं होता। हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन हमें अभी भी बहुत

करना बाकी है। साथ में, मुझे विश्वास है कि हम एक कंपनी के रूप में केएमआरएल के परिवर्तन को पूरा करेंगे जो अपने सभी पण्डारियों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य पैदा करता है।

सध्यवाद,

दुर्गा शंकर मिश्र
अध्यक्ष

निदेशक के रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशक आपके सामने 31 मार्च 2017 तक समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ 6 वाँ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी महसूस कर रहे हैं।

परियोजना के बारे में

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना मूल रूप से आलुवा से पेट्रा तक 22 स्टेशनों के साथ कुल लंबाई 25.612 कि.मी. तक 5181.79 करोड़ रुपए के आकलन में समाप्त करने की परिकल्पना की गई थी। कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) के निदेशक मंडल ने इसे पेट्रा से तृप्पूनित्तुरा तक 399 करोड़ रुपए में अतिरिक्त निवेश करके फेस I ए के रूप में 2 कि.मी. बढ़ाने का निर्णय लिया है। कंपनी के विशाल रुचि एवं यात्रियों की सुविधा के लिए इसे विवेक माना गया और यह भविष्य में यात्रियों को ले जाने की सुविधा और परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता में परिवर्तन लाएगी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंडल ने परियोजना के फेस II का काङ्क्नाड होकर जवहरलाल नेहरू स्टेडियम (जेएलएन) को इंफोपार्क तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। फेस II के कुल लंबाई 11 स्टेशनों के साथ 11.2 कि.मी है। केरल सरकार से प्रशासनिक अनुमति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को भारत सरकार की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित फेस II इंफोपार्क, स्मार्ट सिटी, विशिष्ट निर्यात प्रसंस्करण केन्द्र (एसीपीईज़ेड) काङ्क्नाड और विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार कार्यालय को आपस में जोड़ती हुई चलती है। इसका निर्माण 2577.25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से होगा जो काङ्क्नाड के प्राइम आईटी हव के साथ जो जुड़ाव है उसमें वृद्धि करेगी।

राजस्व संचालन का प्रारंभ

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल बहुत ही संतुष्टि एवं गौरव के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं कि फेस I के रिच-1 जो आलुवा से पालारिवट्टम तक है जिनकी 11 स्टेशनों के साथ कुल लंबाई 13.4 कि.मी. है। इसका उद्घाटन 17 जून 2017 को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मान्यवर की उपस्थिति में केरल के राज्यपाल, आदरणीय केरल के मुख्यमंत्री, शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन और संसदीय कार्य के माननीय केंद्र मंत्री और गणमान्य व्यक्तियाँ उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में समाज के विभिन्न स्तर के लोग बहुत ही उत्साह एवं तत्परता के साथ भाग लिए। कोच्ची सिटी पूरी तरह से राज्य के प्रथम मेट्रो रेल परियोजना: 'कोच्ची मेट्रो' के स्वागत करने के लिए त्योहार के मूड में उपस्थित थे। रीच - 1 विभाग 19 जून 2017 को सामान्य जनता के लिए खोला गया।

शुरुआत के प्रथम दिन से सामान्य जनता के पूछताछ एवं उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के उद्देश्य से मजबूत प्रणाली को कायम रखा। मुट्टम डिपो में यात्रियों के लिए हेल्प लाइन और प्रत्येक स्टेशनों में लिखित प्रतिक्रिया अभिलेख करने के लिए तंत्र शुरू किया। सामान्य जनता इस व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करने में महत्वपूर्ण उत्साह दिखाया। जगह-जगह पर जनता की शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रभावशाली तंत्र को भी डाल दिया गया। हेल्प लाइन केएमआरएल के साथ कोच्ची के लोगों के लिए संपर्क करने के लिए तेज़ी से एक बिंदू बन रही है।

अपनी कंपनी सामाजिक एवं आर्थिक समावेश पर विश्वास रखती है अतः कुंडवंशी मिशन जो केरल सरकार के स्थानीय स्व शासन के तत्वावधान में स्वयं सहायता समूह है, इसकी कुछ चुने गए प्रक्रियाओं और रखरखाव में जैसे गृहव्यवस्था और टिकट देने में शामिल है। आपकी कंपनी स्टेशन को मित्रतापूर्ण अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कई पहलूओं को शुरू किया है। एक ऐतिहासिक गति के रूप में आपकी कंपनी ने कुंडवंशी मिशन के द्वारा ट्रांस्जेंडर समुदाय को ओ एवं एम गतिविधियों में सम्मिलित किया है। उसका विवरण भी 'मानव संसाधन' विभाग के अधीन किया गया है।

आपकी कंपनी ने पहले ही ओ एवं एम गतिविधियों को बड़ी तत्परता के साथ शुरू किया। केएमआरएल ने करीब 300 ओ एवं एम कर्मचारियों को नियुक्त किया। उनमें से 250 लोगों को प्रशिक्षण दे दिया और योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया गया। केएमआरएल के कर्मचारियों और बाहरी स्रोत के कर्मचारियों को मुट्टम डिपो के प्रशिक्षण केंद्र में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

रीच - 2 ए की स्थिति – पालारिवट्टम से महाराजास कॉलेज तक

रीच 2-ए जिसके अंतर्गत पालारिवट्टम से महाराजास कॉलेज तक के खिंचाव है जिनका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2017 को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजय ने आदरणीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आवास एवं शहरी मामला के श्री हरदीप सिंह की उपस्थिति में किया।


रीच- 2 बी – महाराजास कॉलेज से पेट्रा तक

31.07.2017 तक कोच्ची मेट्रो रेल फेस - I परियोजना में महाराजास से पेट्रा तक का सिविल काम की प्रगति निम्नलिखित है :



कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना - फेस I (आलुवा से पेट्रा तक)

31 जुलाई 2017 के अनुसार कोच्ची मेट्रो रेल फेस - I परियोजना की संपूर्ण प्रगति निम्न प्रकार है :



रीच - 1 – आलुवा से पालारिवट्टम तक

रीच - 2- पालारिवट्टम से पेट्रा तक



फेस I के प्रारंभिक काम

कोच्ची मेट्रो फेस I के मुख्य जारी काम कुन्नरा पार्क – पेट्रा की विस्तार बढ़ाने का काम है जिनका 60% काम पूर्ण हो चुका है। भूमि अधिग्रहण और निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का उद्देश्य है।

फेस I के प्रारंभिक कार्य के भाग के रूप में केएमआरएल मेट्रो पुल के साथ दो लेन चंबक्करा पुल को चार लेन में पुनः निर्माण करने की परिकल्पना की गई है जिसके लिए केरल सरकार ने 33.66 करोड़ रुपए की प्रशासनिक अनुमति दी है। चंबक्करा नहर को पार करने के लिए 300 मीटर की दूरी के लिए मेट्रो पुल के साथ चार लेन वाले पुल के निर्माण के लिए एक पृथक निविदा को अंतिम रूप दे रहा है।

फेस I ए की परियोजना स्थिति

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिट्ड (केएमआरएल) के निदेशक मंडल ने फेस I ए के रूप में 359 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश में पेट्रा से एस एन जंक्शन तक दो स्टेशनों के साथ 2 कि.मी. लंबाई में मेट्रो गलियारे को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब उपर्युक्त बढ़ावे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएँ प्रगति पर हैं। इस विस्तार के प्रारंभिक काम के लिए केरल सरकार ने 123 करोड़ की प्रशासनिक अनुमति दी है। परियोजना I एवं प्रारंभिक काम दोनों के लिए भूमि अधिग्रहण करने की प्रशासनिक अनुमति भी प्राप्त हो चुका है। एसआईए अध्ययन भी पूर्ण हो रहा है और यह केरल सरकार के समक्ष बहुत जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा।

फेस II परियोजना की स्थिति

मंडल ने जे एल एन स्टेशन से काङ्कनाड होकर इंफो पार्क तक परियोजना के फेस II को अनुमति दी है। फेस II के 11 स्टेशनों के साथ कुल लंबाई 11.2 कि.मी. है। रिपोर्ट में उल्लिखित के अनुसार यह अपने मार्ग के साथ इंफो पार्क, स्मार्ट सिटी, विशेष निर्यात प्रसंसकरण क्षेत्र, काङ्कनाड और विविध

राज्य/केंद्र सरकार कार्यालय आदि से जोड़ते हैं। संशोधित प्रस्ताव प्रशासनिक अनुमति के लिए केरल सरकार के समक्ष रखा और मई 2017 को अनुमति प्रदान की और इसे भारत सरकार की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया। इस परियोजना की संशोधित परियोजना मूल्य 2577.25 करोड़ रुपए है जो अब केंद्र सरकार के विचाराधीन है। फ्रेंच फंडिंग कंपनी एजेंसी मेसर्स एजेंसेस दे विकास (एएफडी) इस परियोजना के लिए निधि देने की रुचि दिखाई है। यदि अनुमति प्राप्त होगी तो फेस II परियोजना 4 साल की समयावधि में समाप्त होने की संभावना है।

केरल सरकार ने फेस II के प्रारंभिक काम के लिए 189 करोड़ रुपए की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की। जिला प्रशासन ने प्रारंभिक काम के रूप में भूमि अधिग्रहण करने के लिए एसआईए अध्ययन का आयोजन के लिए निविदा जारी की है।

सह संबंध प्रारंभ

आपकी कंपनी द्वारा शहर के परिवहन संरचना को और भी विकसित करने के लिए कई परिश्रम शुरू की जा रही है। इस परियोजना की अनुमति, तरीके आदि के आधार पर आपकी कंपनी कोच्ची शहर के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहनों की एकीकरण को आगे बढ़ाना और संयुक्त महानगरीय परिवहन अधिकार (युएमटीए) की स्थापना की मदद अनिवार्य कर दिया गया है। इस दृष्टि का एहसास करने के लिए आपकी कंपनी ने कई प्रकार का काम शुरू किया और मेट्रो रेल निर्माण से परे कई परियोजनाओं को स्वीकार किया है।

कोच्ची शहर के अंतर्गत अप्रवाही झील पर ध्यान देते हुए आपकी कंपनी ने एकीकृत जल परिवहन परियोजना की अवधारणा की है जिसका विवरण एक अलग विभाग के अधीन प्रस्तुत किया है।

व्यापक गतिशीलता योजना

भारत सरकार, केरल सरकार और केएमआरएल के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए नियम और शर्तों में अनुमति प्राप्त विंदु सवारी में प्रगति लाने के लिए मेट्रो रेल सिस्टम के साथ विभिन्न प्रकार के परिवहन की एकीकरण है। आपकी कंपनी ने जनता के परिवहन नेटवर्क एवं संपूर्ण यात्रियों के अनुभवों को बढ़ाने के उद्देश्य से गैर मोटरीकृत परिवहन (एनएमटी) मास्टर प्लान, विस्तृत गतिशीलता योजना (सीएमपी) और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को तैयाह करने के लिए सलाहकार को नियुक्त किया है। यह अध्ययन मेट्रो रेल सरेखण के साथ 2 कि.मी. मध्यवर्ती थेट्र पर एक एनएमटी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए व्यावहार्यता और कार्यान्वयन ढाँचे और एक सार्वजनिक वाइक साइक्ल प्रणाली के निर्माण को भी सम्मिलित करते हैं। मंडल और केरल सरकार द्वारा 161 करोड़ रुपए की लागत में एनएमटी पहल को अनुमोदित कर रहे हैं और एएफडी ने योजना के आर्थिक पोषण में रुचि दिखाई है।

आपकी कंपनी आलुवा, इडप्पल्लि और वैटिला जंक्शन के विकास की आवश्यकता को पहचाना है क्यों कि ये स्टेशन भारी यातायात को आकर्षित करते हैं। ग्रेटर कोच्ची और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन समाधान के लिए व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) एवं पार्किंग मास्टर प्लान का अध्ययन पूरा किया गया।

आपकी कंपनी टिकिंग समस्या के लिए एक खुलेपाश मोबिलिटि कार्ड का कार्यान्वयन किया है जो विभिन्न तरीके के शहरी सामान्य परिवहन के विभिन्न तरीके भर में मान्य होगा और यह पारगमन के लिए टिकट खरीदने में ग्राहकों को सक्षम बनाएगा।

आपकी कंपनी ने कोच्ची के लिए एक शहरी ऐप को विकसित किया है जो विकसित राज्यों के प्रमुख शहरों में उपलब्ध गतिशीलता ऐप के समान ही होगे। यह एक डिजिटल परिवहन प्रणाली द्वारा संचालित पर्यावरण को प्रदान करेगा जहाँ यात्रियाँ मूल्यवर्धित सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य शहर सुधार की पहल

आपकी कंपनी निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया है:

- करीब 50 सड़क का पुनर्निर्माण किया गया जो उच्च स्तर के हैं और 2 साल के मरम्मत गैंगरंटी भी है।
- 5000 से अधिक पौधे हरे भरे कोच्ची की पहल के तहत कोच्ची भर में लगाए गए हैं।

- आधुनिक सड़क साइनेज शहर में कई स्थानों पर स्थापित किया गया।
- एनएमटी पहल के भाग के रूप में पनंपिल्ली नगर में एक 'वाल्क वे' परियोजना विकास के अंतर्गत सड़क प्रकाश और पैथे आदि के साथ उद्यानपथ लगभग 0.85 कि.मी. की 'स्ट्रीटस्केप' शामिल करने की अवधारणा थी। स्ट्रीटस्केप तो समय पर पूरा हुआ और इसे केरल के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 21 जून 2016 को जनता को खोलकर दे दिया। प्रस्तुत परियोजना शहर के चारों तरफ होनेवाले पूरे शहरी विकास काम का मानदंड बन गया। इन पहलों के साथ आपकी कंपनी कुल परिवहन समाधान प्रदाता के रूप में खुद को कायम करते आगे जा रही है और यह कोच्ची शहर को सहज, एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने में मदद करेगी जिसके अंतर्गत मेट्रो, फेरी, बस और गैर मोटर चालित परिवहन जैसे सभी परिवहन मोड के लिए एकल टिकट, एक नेटवर्क और एक ही समय सारणी जैसी सुविधाएँ होगी।

क. रोलिंग स्टॉक और प्रणाली संविदा

आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं के रोलिंग स्टॉक का डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। पहुंच -1 अनुभाग के लिए यात्री सेवा की शुरुआत के लिए आवश्यक सभी आठ ट्रेनों को साधिकार दिया गया है और सुरक्षा प्रमाणीकरण प्रक्रिया के बाद सेवा में रखा गया है। पहुंच -2 खंड के लिए शेष रेलगाड़ियों के निर्माता श्री सिटी सुविधा में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि भारत में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए "मेक इन इंडिया" पहल के अनुपालन के अनुसार 70% घटकों भारत में निर्मित हैं।

ख. सिग्नलिंग और दूरसंचार

मैसर्स एल्स्टोम ट्रांसपोर्ट इंडिया लि के नायकत्व का कंसोर्टियम ने कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल और दूरसंचार प्रणालियों को कार्यान्वित कर रहा है। मैसर्स ब्यूरो वेरिटास इटालिया एस.पी.ए स्वतंत्र सुरक्षा निर्धारिक (आईएसए) है।

सिग्नलिंग और ट्रेन नियंत्रण और दूरसंचार प्रणाली के लिए आलुवा से पालारिवट्टम तक पहुंच-1 के लिए परीक्षण और कमीशन किया गया था, जिसमें नौ ट्रेन (09) शामिल थे, जो घोषित किया है कि स्वचालित ट्रेन सुरक्षा के साथ राजस्व संचालन के लिए पूरी तरह से फिट हैं।

पालारिवट्टम से महाराजस कॉलेज तक अनुभाग पहुंच -2 ए के लिए सिग्नलिंग और दूरसंचार का विस्तृत डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है। स्थापना गतिविधियां प्रगति पर हैं। गाड़ियों के स्वतः ट्रेन संचालन का कमीशनिंग रीच -2 ए के संचालन के प्रारंभ के साथ किया जाएगा।

ग. कर्षण, बिजली की आपूर्ति और बिजली एवं यांत्रिक

जैसा कि पिछले वर्ष में बताया गया है, चरण 1 के लिए बिजली आपूर्ति, कर्षण और तीसरे रेल का काम मैसर्स अलस्टोम परिवहन एसए और मैसर्स अलस्टोम ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट को दिया गया है। विद्युत निरीक्षक सामान्य (ईआईजी) से यथोचित प्रमाण पत्र प्राप्त कर के, डिपो में ग्रहण करने उप-स्टेशन साथ ही सहायक उप स्टेशन/कर्षण उप स्टेशन (एएसएस / टीएसएस) और पहुंच -1 अनुभाग के लिए 11 स्टेशनों की कमीशन की गई है। पहुंच -2 ए खंड के लिए स्थापना कार्य आगे बढ़ रहा है।

केएसईआरसी ने केएमआरएल द्वारा खपत बिजली के लिए कर्षण के साथ स्टेशन भार के लिए एक टैरिफ, जो भारतीय महानगरों में सबसे कम है, संशोधित टैरिफ जारी किए हैं। इसी तरह, एकल बिंदु बिलिंग को अलग-अलग मापने वाले स्टेशनों में वाणिज्यिक भार के साथ स्वीकृत किया जाता है।

रीच-2 ए के तहत पालारिवट्टम से महाराजास कॉलेज तक के पांच स्टेशनों के विद्युत एवं मैकेनिकल सिस्टम से संबंधित काम प्रगति पर है।

लिफ्टों की आपूर्ति और स्थापना के लिए काम जॉनसन लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। पहुंच -1 और पहुंच -2 ए खंड के लिए सभी लिफ्टों का निर्माण पूरा हो चुका है और परीक्षण प्रगति पर है। एस्केलेटर की आपूर्ति और स्थापना के कार्यों को जॉनसन लिफ्ट्स (पी) लिमिटेड के कंसोर्टियम और

एसजेर्इसी, चीन को दिया गया है। पहुंच -1 के लिए 51 एस्केलेटर की स्थापना पूरी हो गई है। पहुंच -2 ए खंड के लिए 23 एस्केलेटर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया और परीक्षण प्रगति पर है।

घ. सौर संयंत्र

केएमआरएल ने स्टेशनों और डिपो पर 4 मेगावाट क्षमता की छत के ऊपर सौर प्लाट की स्थापना के लिए काम लिया है जो हीरो सौर ऊर्जा (पी) लिमिटेड को सौंप दिया था, जो नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल के अनुसार, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के तहत नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार 15% की दर से है। सभी 11 स्टेशन छतों और डिपो भवनों में सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 1386 किलोवाट और विद्युत उत्पादन की शुरूआत हुई है। स्टेशन की इमारतों में औसतन लगभग 3300 किलोवाट प्रति दिन ऊर्जा उत्पन्न होती है।

मुट्टम डिपो में खाली भूमि उपलब्ध है, जहां केएमआरएल जमीन पर सौर पैनल स्थापित कर सकते हैं। कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने के लिए, एक व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि व्यवहार्यता साथ ही प्लेण्ट के उत्पादन जानने के लिए तैयार की गई है। उपलब्ध खाली थेट्र की सीमा लगभग 40,000 वर्ग मीटर है, जिसमें से लगभग 2.3 मेगावाट विजली उत्पन्न हो सकती है। यह परियोजना आरईएससीओ मॉडल के तहत निविदा स्तर में है।

इस प्रकार, इन दो परियोजनाओं के क्रियान्वयन से अनुमान लगाया जाता है कि केएमआरएल ने प्रति दिन 25000 किलोवाट बचा पाएगा। कुल मिलाकर, यह केएमआरएल के कुल ऊर्जा उपयोग का लगभग 30% हिस्सा होगा। एक बार परियोजना पूरी तरह से संचालन के बाद जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में 30% की कमी हासिल की जा सकती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा और परियोजना को उचित ठहराया जा सकेगा।

ड. स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली

आपकी कंपनी ने एक नवीन कार्यान्वयन मॉडल के तहत एक अद्वितीय, तकनीकी रूप से उन्नत स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसी) पेश की है। इस कारोबारी मॉडल में, एक्सेस बैंक की अगुवाई वाली एक कंसोर्टियम 10 वर्षों के लिए एएफसी सिस्टम के कार्यान्वयन की सीमागत और रखरखाव लागत रखती है और इसी अवधि में केएमआरएल को 208 करोड़ रुपये का रॉयल्टी भी देगी। एक्सेस बैंक ईएमवी मानकों के सह-ब्रांडेड स्मार्ट कार्ड जारी करेगा, जो कि कोच्चि मेट्रो के लिए टिकट के रूप में और पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर संग्रहित मूल्य कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोच्चि मेट्रो के उद्घाटन समारोह के दौरान 17 जून 2017 को स्मार्ट कार्ड आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था।

एएफसी उपकरण, साइट पर और क्लॉउड दोनों पर पहले 11 स्टेशनों के लिए आलुवा से पालारिवट्टम तक स्थापित किया गया है। एएफसी प्रणाली राजस्व संचालन के लिए अनुभाग के उद्घाटन के बाद से संतोषजनक रूप से काम कर रहा है। एएफसी सिस्टम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

- पारगमन के लिए क्यूआर कोडित टिकटों का उपयोग।
- पारगमन संचालन के लिए ईएमवी मानक संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड।

प्लैटिनम रेटिंग-आईजीबीसी ग्रीन एमआरटीएस प्रमाणन

केएमआरएल की एक ग्रीन पहल के रूप में, भारतीय ग्रीन बिलिंग काउंसिल (आईजीबीसी) ने विस्तार से मूल्यांकन किया है, इन 16 स्टेशनों की ग्रीन फीचर्स ऊचा ग्रेड/ ग्रेड स्टेशन श्रेणी में और केएमआरएल के चरण 1 खंड के आलुवा से महाराजा कॉलेज स्टेशन तक सभी स्टेशनों को प्लैटिनम रेटिंग और वैश्विक नेतृत्व मान्यता के उच्चतम प्रमाणीकरण स्तर से सम्मानित किया गया।

छ. गैर मोटर चालित परिवहन और पैदल यात्री-अनुकूल पहल

शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के दिशानिर्देशों के मुताबिक, एमआरटीएस परियोजनाएं स्टेशनों के प्रभाव क्षेत्र में सार्वजनिक बाइक बांटने और पैदल यात्री अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करेगी, आपकी कंपनी गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) का मास्टर प्लान की तैयारी कर रही है जो एनएमटी वृनियादी ढांचे (चरण 1) के सुधार के लिए कई परियोजनाओं की परिकल्पना करता है। स्टेशन के उन्मुख विकास में फुटपाथ और नालियों को मरम्मत करना और बढ़ाया जाना है, आवृत पैदल रास्ता उपलब्ध कराने, ड्रॉप ऑफ पॉइंट बनाने, नामित बसों का खड़ा करना, पार्किंग क्षेत्र, पैलेकन रोशनी के साथ पैदल यात्री क्रॉसिंग और मौजूदा जंक्शनों में सुधार शामिल हैं। कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं हैं:

- आलुवा से महाराजास कॉलेज तक मेट्रो नेटवर्क की संपूर्ण लंबाई के साथ एनएमटी कॉरिडोर का विकास।
- कोचिन स्मार्ट मिशन लिमिटेड के तत्वावधान के तहत केएमआरएल द्वारा अस्पताल रोड वॉकवे परियोजना, महाराजा कॉलेज मेट्रो स्टेशन (एमजी रोड पर स्थित) को कोच्चि में सबसे व्यस्त नाव जेटी(एरनाकुलम बोट जेटी) के साथ एकीकृत करने के लिए 3.5 मीटर चौड़ी वॉकवे का कार्यान्वयन कर रहा है।
- इडपल्ली से इडपल्ली जंक्शन पर जंक्शन सुधार, दो प्रमुख राजमार्ग (630 किलोमीटर के एन एच 17 और 1270 किलोमीटर के एनएच 17) का अंतराल है, यह केरल में सबसे व्यस्त जंक्शन है। यह जंक्शन जो फ्लायओवर और मेट्रो गलियारे के नीचे है और इडपल्ली मेट्रो स्टेशन के नजदीक इसके आसपास के क्षेत्र में मॉल, चर्चों और अस्पतालों आदि के कारण भारी यातायात को आकर्षित करती है।
- आलुवा से पुलिंचोड कॉरिडोर पैदल चलने के लिए, कॉरिडोर बनाने का काम कर रहा है। आलुवा कोच्चि शहर के उत्तर में स्थित है और यह मेट्रो कॉरिडोर के लिए प्रवेश द्वार है। एक मेट्रो स्टेशन के साथ, दो बस टर्मिनलों, एक प्रमुख रेलवे स्टेशन, शहर में एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान केंद्र बनने की अच्छी क्षमता है।
- तीन जंक्शन-आलुवा, इडपल्ली और वैद्विला, को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और एनएमटी कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का इरादा है।

सुधार की योजनाएं यूएमटीसी, सीओडीएटीयु और एजीस रेल द्वारा तैयार की जा रही हैं। इन एनएमटी पहल के लिए लागत का आकलन 111 करोड़ रुपये है और एएफडी द्वारा वित्त पोषित होने की उम्मीद है।

वैकल्पिक राजस्व पहल

अपनी वृनियादी स्तर को मजबूत करने के लिए, आपकी कंपनी अप्रत्यक्ष लाभार्थियों और वैकल्पिक आय के लिए अन्य स्रोतों का लाभ उठाने के तरीकों की तलाश कर रही है। गैर-किराया वॉक्स राजस्व के लिए मार्ग निर्धारित की गई और खोजा है और इसमें निम्न शामिल हैं:

- विज्ञापन
- वाणिज्यिक विकास और किराया
- संपत्ति विकास
- ऑप्टिक फाइबर केबल को पट्टे पर लगाना
- स्टेशनों का अर्ध नामकरण
- टॉवर रिक्त स्थान को पट्टे पर लगाना
- पार्किंग

संपत्ति विकास - काङ्कनाड मेट्रो शहर

केरल सरकार द्वारा केएमआरएल को आवंटित प्रस्तावित काङ्कनाड मेट्रो स्टेशन के करीब 18 एकड़ जमीन का विकास मेट्रो शहर परियोजना के रूप में किया जा रहा है। इस परियोजना में करीब 30 लाख वर्ग फुट का निर्माण होगा। पहले चरण में, 12 लाख वर्गमीटर तक के आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण किया जाएगा और चरण 1 के लिए एक डिजाइन निर्मित विकासक बनाने का कार्य अंतिम चरण में है।

एकीकृत जल परिवहन परियोजना

जैसा कि इस रिपोर्ट के शुरुआती हिस्से में बताया गया है, एकीकृत जल परिवहन परियोजना में दस द्वीपों में अड्डीस घाटों को जोड़ने वाले यात्री नौका और एरणाकुलम में और उसके आसपास की मुख्य भूमि की परिकल्पना की गई है। परियोजना की कुल लंबाई निर्दिष्ट 16 मार्गों में 76 कि मी हैं।

यह पहल अपनी शैली की पहली विस्तृत परियोजना है, जो कि जल परिवहन नेटवर्क के विकास के लिए देश में कहीं भी लागू किया जा रहा है। आने वाले दिनों में परियोजना के पास भारत के जल परिवहन परिदृश्य को बदलने के लिए साधन है। जल परिवहन व्यवस्था के विकास और ऊर्जा-कुशल आधुनिकीकरण इस परियोजना में विचार करने में काफी सुधार होगा कि शहर की आवादी की गतिशीलता और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करते हैं और संसाधनों का उपभोग कम किया जाता है।

इस परियोजना की वित्तीय और संचालन की जिम्मेदारी केरल के सरकार के साथ है, जो परियोजना के विश्वित मालिक हैं और आपकी कंपनी ने निष्पादन और संचालन के लिए जिम्मेदार एंजेंसी होगी। इस परियोजना के लिए कुल खर्च 747 करोड़ रुपये (भूमि लागत को छोड़कर) पर लगाया गया था। जर्मन फंडिंग एंजेंसी केएफडब्ल्यू ने इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए आर्थिक सहयोग और विकास के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय की ओर से 85 मिलियन यूरो के लिए भारत सरकार के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केरल सरकार के बीच एक विपक्षीय समझौता, केएफडब्ल्यू, और आपकी कंपनी ने 18 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में केरल के मुख्यमंत्री श्री पिण्ठाय विजयन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया था।

आपकी कंपनी ने जल परिवहन परियोजना के लिए विशेष रूप से एक पृथक ऊर्ध्वाधर स्थापित किया है और इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कर्मियों को नियुक्त किया है। निष्पादन के लिए एईसीओएम, यूएमटीसी और ज़ेबीक मरीन की एक कंसोर्टियम को पहले से ही सामान्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

सर्वेक्षण और यातायात के जाँच, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एनओईएफ) से पर्यावरण मंजूरी जैसे प्रारंभिक कार्यों अच्छी तरह प्रगति पर हैं। आपकी कंपनी शीघ्र ही इस परियोजना से संबंधित विभिन्न निविदाओं के साथ निकल जाएंगी। हम 2019 तक नौकाओं का पहला बेड़े लॉन्च करने की उम्मीद करते हैं।

वित्तीय विशिष्टता एवं परियोजना निधीकरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष के 20.13 करोड़ रुपये के कमी के मुकाबले 14.70 करोड़ रुपये के कर के बाद की कमी पहुंचाया।

शेयर पूंजी और अधीनस्थ ऋण

केएमआरएल ने केरला सरकार से उक्त वर्ष के दौरान इक्विटी के लिए 112.23 करोड़ (पिछले वर्ष, 150 करोड़ रु) प्राप्त किए। 31 मार्च 2017 को केएमआरएल की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 1507.46 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1283 करोड़ रुपये) थी। वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत सरकार ने 30 करोड़ रुपये (पिछले साल 60.64 करोड़ रुपये) केंद्रीय करों के प्रति व्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान किया है। केरल सरकार ने अधीनस्थ ऋण (पिछले वर्ष शून्य) के लिए रु 152.5 9 करोड़ की राशि प्रदान की है। दोनों सरकारों से 31 मार्च 2017 तक 641.43 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष तक 458.84 करोड़ रुपये) कुल अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक आपकी कंपनी को भारत सरकार और केरल की सरकार द्वारा अनुमोदित 100% इक्विटी-फंडिंग का हिस्सा प्राप्त हुआ।

अवधि क्रहन

वर्ष के दौरान, एजेंस प्रॉन्सी डे डेवलपमेंट (एएफडी) क्रहन पर भारत सरकार से पास था एसिस्टेन्स (पीटीए) के रूप में 604 करोड़ रुपये की राशि लिया है। वर्ष के दौरान केनरा बैंक से 142.44 करोड़ रुपये की क्रहन राशि भी ली गई थी। 31 मार्च 2017 तक संचयी क्रहन 1030.43 करोड़ रुपये पीटीए और 392.44 करोड़ रुपये कैनरा बैंक से प्राप्त हुआ था।

मानव संसाधन

अग्रणी मानव संसाधन प्रथाओं की परंपरा के अनुरूप, केएमआरएल के मानव संसाधन विभाग ने मानव संसाधनों के प्रबंधन और विकसित किए जाने के तरीके में असंख्य परिवर्तन किए हैं, जो व्यापार की जरूरतों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच एक संतुलन को प्रभावित करता है। केएमआरएल "कर्मचारी सशक्तीकरण" के मूल्य को मानते हैं। यह कार्य संस्कृति, कर्मचारी सगाई, उत्पादकता, प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार लाने पर केंद्रित है।

केएमआरएल के मिशन और दृष्टि बयान को ध्यान में रखते हुए, अपने ऑपरेशन और रखरखाव के लिए आवश्यक जनशक्ति को समय पर भर्ती किया गया और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। 31 मार्च, 2017 को, केएमआरएल में अत्यधिक समर्पित कर्मियों की एक टीम है, अर्थात् 80 परियोजनाओं में, 352 प्रचालन और रख-रखाव और 11 में जल मेट्रो परियोजना में। चरण 1 के पीक निर्माण गतिविधियों और उसके बाद के राजस्व कार्यों को ध्यान में रखते हुए, जनशक्ति का सेवन और उनकी क्षमता निर्माण प्रगति पर है। केंद्रीकृत प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और संसाधनों को उपयोग कर के वर्चुअल क्लासरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम को नए भर्ती तकनीकी आदमी शक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया गया है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के हिस्से के रूप में, केएमआरएल ने कुडुम्बश्री मिशन (केरला सरकार के एक महिला का स्व-सहायता समूह) को काम करने का करार दिया है, जो टिकट ऑपरेटिंग मशीनों और अतिरिक्त किराया कार्यालय, देख-भाल, स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन आदि से लेकर सेवाएं प्रदान करने के लिए है। हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता और कम विशेषाधिकार प्राप्त समूह के सशक्तीकरण के हिस्से के रूप में, केएमआरएल ने पूर्ववर्ती काम करने के लिए कुडुम्बश्री के माध्यम से 19 ट्रांसजेंडरों को लगाए हैं।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग / अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। 31 मार्च 2017 को, कोच्चि मेट्रो ने 38 अनुसूचित जाति, 187 अन्य पिछड़े वर्ग, 8 भूतपूर्व सैनिक और 2 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया है।

केएमआरएल का प्रबंधन हमेशा मानता है कि प्रेरित, संतुष्ट और संतुष्ट कार्यबल अपने संगठनात्मक लक्ष्यों में सफल उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी मानव संसाधन विकास और इसकी क्षमता के प्राप्ति के लिए सर्वोपरि महत्व दे रही है। नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पूरे वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण रहा और केएमआरएल इस लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम था।

निदेशक मंडल

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड में 13 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 5 निदेशक भारत सरकार के नामांकित हैं, 4 निदेशक केरल सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति हैं, 1 स्वतंत्र निदेशक हैं और 3 कार्यात्मक निदेशक हैं। सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार इसका अध्यक्ष हैं, जबकि प्रबंध निदेशक केरल सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति है। निदेशक मंडल का एक विस्तृत नोट "कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट" खंड के तहत प्रदान किया गया है।

बोर्ड के बैठकों की संख्या

2016-17 के वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 19 जुलाई 2016 और 30 नवंबर 2016 को दो बार मिला।

बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने केएमआरएल के संचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप आठ उप समितियों का गठन किया है। ये लेखा परीक्षा समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति, मानव संसाधन विकास और पारिश्रमिक समिति, संचालन और रखरखाव समिति, परियोजना प्रवंधन समिति, निवेश समिति, अधिप्राप्ति समिति और संपत्ति विकास समिति हैं। इन उप समितियां समय-समय पर आपकी कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार मिलती हैं। बोर्ड के उप-समितियों का विवरण 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' के तहत प्रदान किया गया है।

निदेशक की जिम्मेदारी विवरण

कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, बढ़ोत्तरी के आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गया था, जो उचित मूल्यों और कंपनियों अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों पर मापा गया था।

कंपनी ने सभी लागू भारतीय लेखा मानकों को अपनाया था और अपनाने को लागू पारिश्रमिक मार्गदर्शन के अनुसार किया गया था। जहां एक नया जारी खाता मानक प्रारंभिक रूप से अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखा मानक को संशोधित करने के लिए अब तक उपयोग किये लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है यह छोड़ कर लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है।

कंपनि अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुपालन में निदेशक बताते हैं कि:

- 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में, सामग्री के हस्तांतरण के लिए उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो पुनर्योज्य और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में आपकी कंपनी की स्थिति संबंधी सज्जा और निष्पक्ष दृष्टिकोण और उस अवधि में आपकी कंपनी का लाभ और नुकसान से संबंधित विवरण भी दे सकें।
- आपकी कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए निदेशकों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड की रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
- निदेशकों ने वार्षिक लेखा चालू आधारित तैयार किया है।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किया है और यह कि सिस्टम पर्याप्त और प्रभावी हंग से कार्य कर रहे हैं।

वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की गई वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष, निर्धारित रूप में, एमजीटी 9 को इस रिपोर्ट से जोड़ा गया है।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने यह नहीं किया है :

1. किसी भी व्यक्ति या अन्य कॉर्पोरेट निकाय को किसी भी ऋण नहीं दिया;
2. किसी भी अन्य निकाय या व्यक्ति को किसी भी ऋण के संबंध में किसी भी गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई; तथा
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा -186 के तहत निर्धारित किसी भी अन्य निकाय कंपनी की प्रतिभूतियों, सदस्यता, खरीद या अन्यथा के माध्यम से प्राप्त नहीं की गई।

सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

भारतीय कंपनी के वित्तीय मानकों (इंडैस) को अपनाने के अलावा, आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं, 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की नेट वर्त्त वाली कंपनियों द्वारा वैधानिक रूप से अपनाया जाना आवश्यक है।

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी अवशोषण

लागत प्रभावी समाधान के रूप में वृद्धि की ऊर्जा दक्षता और स्थिरता के लिए आपकी कंपनी ने मेट्रो सिस्टम के लिए अत्याधुनिक तकनीक का अनुबंध किया है और इसका इस्तेमाल किया है। आपकी कंपनी ऊर्जा के विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों को लागू कर रही है जैसे सौर ऊर्जा, जो परंपरागत गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगी।

मेट्रो रेल कारों, विजली आपूर्ति प्रणाली और स्टेशनों में टिकाऊ, ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी समाधान और सिस्टम निम्नानुसार शामिल हैं:

- सभी स्टेशनों और डिपो भवनों के छत के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र का अक्षय ऊर्जा स्रोत स्थापित किया गया है, जो कि लागत और साथ ही जीवाश्म ईंधन के काफी मात्रा बचाएगा। डिपो क्षेत्र के भीतर उपलब्ध अनुपयुक्त भूमि में अतिरिक्त सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वयन भी प्रक्रियाधीन है।
- रेलों के अंतर और बाहर रेलों की प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट लगाया गया है।
- डिपो में उच्च मस्तूल प्रकाश सहित, स्टेशनों और डिपो में सभी प्रकाश कार्यों के लिए एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। राज पथ के स्ट्रीट लैट के साथ-साथ डिपो में भी ऊर्जा कुशल एलईडी रोशनी प्रदान किया गया है।
- रेल प्रणोदन प्रणाली के लिए चर वोल्टेज चर आवृत्ति (वीवीवीएफ) ड्राइव, जो रेल की शक्ति देने के दौरान अनुकूलित ऊर्जा का उपयोग करता है। ब्रेकिंग अवधि के दौरान उपकरण ऊर्जा को पुनर्जन्म करेगा, जो कि मेट्रो प्रणाली के लघु अंतर-अनुभाग दूरी के मामले में बहुत अधिक है।
- वीवीवीएफ प्रौद्योगिकी के प्रतिवर्ती सबस्टेशन नामित स्थानों पर कर्षण सबस्टेशन में निष्पादन प्रक्रिया के अधीन है, जो खंड में अन्य ट्रेनों द्वारा उपयोग की गई अतिरिक्त पुनर्जन्मित ऊर्जा को पंप करेगा।
- चर प्रशीतक प्रवाह (वीआरएफ) एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्टेशनों और डिपो में अपनाया जा रहा है जो काफी मात्रा में ऊर्जा बचाती है। उपयोग की गई एचवीएसी प्रणाली में 2.2 की एक उच्च सीओपी मूल्य है, जो सभी मौसमों में विश्वसनीय और ऊर्जावान है।
- लिफ्टों और एस्केलेटर के लिए वीवीवीएफ ड्राइव, जो लिफ्टों के लिए नींद मोड प्रदान करता है और जब यत्रियों नहीं हैं तो एस्केलेटर निष्क्रिय या धीमी गति के मोड पर होते हैं।
- पूरे मेट्रो कॉरिडोर में विजली के वितरण के लिए ऊर्जा कुशल 33 केवी उच्च वोल्टेज विजली वितरण प्रणाली को अपनाया गया है।
- आईजीबीसी ने ऊंचा / ग्रेड में 16 एलीटेड स्टेशनों की हरी विशेषताओं का मूल्यांकन किया है और केएमआरएल के चरण 1 खंड के आलुवा-पेट्रा कॉरिडोर में सभी 16 उन्नत मेट्रो स्टेशनों का मूल्यांकन किया है जिसमें प्लैटिनम रेटिंग का उच्चतम प्रमाणन स्तर और वैश्विक नेतृत्व मान्यता है।

कॉर्पोरेट संचार प्रबंधन और सोशल मीडिया में उपस्थिति

केएमआरएल के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट लगातार सार्वजनिक स्थान में कंपनी की सक्रिय उपस्थिति को सुनिश्चित कर रहा है जिसमें कंपनी के दर्शन, मिशन और दर्शन का विवरण दिया गया है। विभाग ने समाचार मीडिया, विज्ञापन अभियानों और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रभावी ढंग से शामिल कर रहा है।

डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता के साथ गतिशील भागीदारी और बातचीत से कंपनी को कोची मेट्रो की भलाई के लिए जनता से प्रासंगिक सुझावों को आकर्षित करने में मदद मिली है। यह समर्पण और प्रयास है कि हमने डिजिटल मीडिया में डालने के परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख अनुयायी और पसंद और फेसबुक पेज में 1 मिलियन लोगों की पहुंच हासिल हुई। कंपनी का फेसबुक पेज जनता के लिए कोची मेट्रो के बारे में कुछ भी और सब कुछ नए जानकारी के लिए एक ही मंच बन गया है। सभी को कलूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 17 जून 2017 को आयोजित कोची मेट्रो का उद्घाटन समारोह देखने के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया था और यह दुनिया भर के लगभग 4 लाख लोगों द्वारा देखा गया। संदेशों और टिप्पणियों पर तत्काल प्रतिक्रिया ने अनुयायियों के उभरने में मदद की और उनके साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए भी मदद की। आपकी कंपनी लगातार उन शिकायतों की निगरानी करती है जो संदेशों और टिप्पणियों के रूप में प्राप्त होती हैं और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है।

फेसबुक के अलावा, इंस्टाग्राम, ट्रिवटर, यूट्यूब, लिंकडइन, विकिपीडिया आदि जैसी सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों को भी फ़ोटो और वीडियो के साथ सभी गतिविधियों पर निरंतर अपडेट के साथ प्रबंध किया है। महत्वपूर्ण घटनाओं को भी नियमित रूप से कोची मेट्रो के ब्लॉग में अपडेट किया जाता है, जो कि उस में भी बहुत ग्राहक हैं।

वेब आधारित संचार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, गतिविधियों के बारे में और काम में प्रगति, कर्मचारियों के लिए जानकारी, निविदाएं और जनता के लिए कैरियर समाचार को हमारी वेबसाइट ने लगातार अपडेट के साथ प्रबंध किया है। कोची मेट्रो के लिए और विभिन्न प्रकार के परिवहन जैसे मेट्रो सैइकल, जल बस और मेट्रो टैक्सी के लिए हमने भी रचनात्मक लोगों बनाया है।

विदेशी मुद्रा और व्यय

इस वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा का आय नहीं है लेकिन एक राशि जो 15.14 लाख रु. के बराबर है, विदेशी यात्री की दिशा में किए गए।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी संभावित जोखिम घटित होने से पहले ही पहचान लेने के लिए वचनबद्ध है ताकि परियोजना में जब कभी ज़रूरत पड़ जाती है तब जोखिम प्रबंधन की गतिविधियाँ उसके विपरीत प्रभावों को कम करके लक्ष्य हासिल करते हैं।

यह सब ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित खास लक्ष्य/उद्देश्यों तक पहुँचा है :

1. कंपनी की वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक के सामग्री जोखिम अनावरण को पहचानना, मूल्यांकन करना, मात्र ठहराना, उचित रूप से कम करना, कम से कम और कामयाब करने के लिए सुनिश्चित करना।
2. उच्च प्राथमिकता जोखिम के आक्रामक तरीके से प्रबंधित और सफाया करने के लिए सुनिश्चित करना।
3. सभी जोखिमों को सह प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए सुनिश्चित करना।
4. परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचित निर्णय करके जानकारी को बढ़ावा देना और प्रबंधन के सभी स्तरों पर बॉटने के लिए सुनिश्चित करना।
5. जहाँ लागू है वहाँ उचित नियमों के अनुपालन करने के लिए सुनिश्चित करना।

विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित उपायों को स्वीकृत किया है :

- कंपनी के जोखिम प्रबंधन नीति को तैयार करने के लिए आईआईएम, कोषिक्षोड को एक सलाहकार के रूप में जोड़ दिया।
- कंपनी सचिव, महा प्रबंधक (एच आर, व्यवस्थापक और प्रशिक्षण) और कानूनी अधिकारी के आंतरिक टीम के संविधान ने मिलकर उपयुक्त विभिन्न विधियों के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया।
- त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारद्वारा किया गया। उनके अवलोकनों की समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई जहाँ कहीं भी उचित है वहाँ पाया गया।
- आंतरिक लेखाकार द्वारा एक टीम को त्रासित किया गया है जिसका उद्देश्य है परिसंपत्तियों का भौतिक नियमित अंतराल करना।
- डेटा एनक्रिप्शन के संचार के लिए प्रौद्योगिकी और भंडारण उपयोग करना जिससे सुरक्षा और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- कंपनी की परिसंपत्तियों के लिए बीमा करना।

सावधि जमा

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अध्याय V के तहत सार्वजनिक से आपकी कंपनी ने कोई सावधि जमा नहीं स्वीकार किया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ

उत्तरदाई और संवेदनशील कॉर्पोरेट नागरिक होने के कारण आपकी कंपनी ने अपनी हितधारकों के प्रति प्रतिव्वद है जिसमें शेरधारकों, कर्मचारियों, प्रबंध आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समुदाय आते हैं। पर्यावरण के अनुकूल मेट्रो संगठन होने के कारण समाज के प्रति आपकी कंपनी ने उपक्रम की पहल अपनी स्थापना के समय से कोच्ची के लोगों के जीवन स्तर पर सुधार लाना और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा स्वीकार कर लिया है।

आपकी कंपनी की प्रावधानों कंपनी अधिनियम 2013 में संकलित है और इस कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारियों की समिति में शामिल है :-

1. श्री एलियास जोर्ज	-	अध्यक्ष
2. श्री मुकुंद कुमार सिन्हा	-	सदस्य
3. वाइस अडमिरल एस के के कृष्णन	-	सदस्य
4. श्रीमती धीला तोमस	-	सदस्य
5. श्री एब्रहाम उम्मन	-	सदस्य
6. श्री प्रवीण गोयल	-	सदस्य
7. श्री तिरुमान अर्चुनन	-	सदस्य

हालांकि, वहाँ कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी के विस्तार करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी। आपकी कंपनी ने स्वेच्छा से रिपोर्ट के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल चलाया :

- 'गो ग्रीन' पहल के अधीन आपकी कंपनी ने कोच्ची शहर में 5000 से भी ज्यादा पौधे लगा दिया।
- कोच्ची के सड़क यात्रा को सुधारने के लिए 50 सड़कों को नए उपलब्ध तकनीक के उपयोग से मजबूत बनाया।

- पनंपिल्ली नगर वाल्क वे परियोजना में लगभग 0.85 कि.मी. के 'वाल्क वे' गली के बत्ती और सड़कबंदी, पेड़ और रोशनी के साथ ही सुंदर बनाया है।
- आपकी कंपनी ने कोड्डी के पंचायतों और कॉर्पोरेशन को मनसून के दौरान लोगों की कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने में मदद की।
- उद्घाटन समारोह के बाद आपकी कंपनी द्वारा वंचित बच्चों और बेसहरे लोगों को हमारे मेट्रो प्रणाली में सवारी कराने के सौम्य मदद के प्रयास के रूप में 18 जून 2017 को 'स्नेह यात्रा' का आयोजन किया गया।

निदेशक और कुँजी प्रबंधकीय कर्मियों

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान जो निदेशक जिनको अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके स्थान पर निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई है :

क्रम सं.	स्थगन निदेशकों का नाम	कार्यकाल की तारीख	नियुक्त किए गए निदेशकों का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री जिजी तोमसन	29.02.2016	श्री एस.ए. विजयानंद	23.05.2016
2.	श्री मधुसूदन प्रसाद	31.03.2016	श्री राजीव गौवा	01.04.2016
3.	श्री लाज कुमार	31.05.2016	-	
4.	-		श्री तिरुमन अर्चुनन	29.08.2016
5.	डॉ एम.जी. राजमाणिक्कम	20.09.2016	श्री मुहम्मद वै सफीरुल्ला	20.09.2016
6.	श्री वी जे कुरियन	20.09.2016	श्री एम शिवशंकर	20.09.2016

वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों के कार्यालय अनद्धुए बने रहे :

- श्री राजीव गौवा, अध्यक्ष
- श्री एलियास जोर्ज, प्रबंध निदेशक
- श्री मुकुंद कुमार सिन्हा
- डॉ के.एम. एत्रहाम
- श्री एल. नरसिंह प्रसाद
- श्री एत्रहाम उम्मन
- श्री प्रवीण गोयल

31 मार्च 2017 के पहले निदेशक के क्षेत्र में आए परिवर्तन :

- 1 अप्रैल 2016 को श्री राजीव गौवा, सचिव, शहरी विकास मंत्रालय ने श्री मधुसूदन प्रसाद के स्थान पर कंपनी के निदेशक एवं भूतपूर्व पदेन अध्यक्ष के पद ग्रहण कर लिया है।
- 23 मई 2016 को श्री एम. एस. विजयानंद, मुख्य सचिव, केरल सरकार ने बोर्ड पर निदेशक के रूप में (केरल सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति) कार्यभार ग्रहण किया।
- 31 मई 2016 को श्री लाज कुमार, अतिरिक्त सदस्य (कार्य), रेलवे बोर्ड निदेशक नहीं रह गए।
- 29 अगस्त 2016 को श्री तिरुमन अर्चुनन को कंपनी परियोजना के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

- 20 सितंबर 2016 को श्री के मुहम्मद वै सफिरुल्ला और श्री एम. शिवशंकर कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्यभार संभाल लिया ।
- 31 मार्च 2017 के बाद निदेशकीय परिवर्तन हुआ लेकिन इस रिपोर्ट की तारीख से पहले :
- 7 अप्रैल 2017 को श्री शरत शर्मा, निदेशक (संचालन), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और श्री अनिरुद्ध जैन, अतिरिक्त सदस्य (कार्य), रेलवे बोर्ड आदि ने बोर्ड पर निदेशक के रूप में (भारत सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति) कार्यभार ग्रहण किया ।
 - 25 अप्रैल 2017 को श्रीमती नलिनि नेट्रो, मुख्य सचिव, केरल सरकार ने बोर्ड पर निदेशक के रूप में (केरल सरकार द्वारा नामांकित) कार्यभार ग्रहण किया ।
 - 30 मई 2017 को श्रीमती धीला तोमस और वाइस अडमिरल एस.के.के. कृष्णन आदि को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया ।
 - 23 जून 2017 को श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, शहरी विकास मंत्रालय ने बोर्ड पर अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामांकित) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ।
 - 16 अगस्त 2017 को श्रीमती धीला तोमस ने पद का परित्याग प्रस्तुत किया ।
 - 29 अगस्त 2017 को श्री अजित पंडिट, अतिरिक्त सदस्य (कार्य), रेलवे बोर्ड को श्री अनिरुद्ध जैन के स्थान पर बोर्ड पर निदेशक के रूप में नामांकित किया ।
 - 31 अगस्त 2017 को श्रीमति नलिनी नेट्रो निदेशक नहीं रह गई ।
 - 23 अक्टूबर 2017 को श्री प्रवीण गोयल, निदेशक, सिस्टम इस्टीफा देकर अपने कार्यालय से कार्यमुक्त को गए ।
 - 31 अक्टूबर 2017 को श्री एब्रहाम उम्मन, निदेशक, वित्त सेवा निवृत्त हो गए और उसी तारीख को अपने कार्यालय से कार्यमुक्त हो गए ।

इस रिपोर्ट की तारीख में आपकी कंपनी में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियाँ थे :

- श्री एलियास जोर्ज, प्रबंध निदेशक
- श्री एब्रहाम उम्मन, निदेशक, वित्त
- श्री प्रवीण गोयल, निदेशक, प्रणाली
- श्री तिरुमन अर्चुनन, निदेशक, परियोजना
- श्री वी अनिल कुमार, कंपनी सचिव

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष में आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अनुसूचि III के रूप में वित्तीय विवरण का खुलासा किया ।

महत्वपूर्ण सामग्री आदेश

कोई भी महत्वपूर्ण और सामग्री के आदेश का पारित नियामकों या कोई भी कोर्ट या कंपनी और उनकी गतिविधियों पर प्रभाव डालने लायक नहीं हुआ ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

अर्दली और कुशल संचालन के लिए बोर्ड ने मज़बूत नीतियों और प्रक्रियाओं को स्वीकार किया है जिससे आपकी कंपनी के व्यापार की संपत्ति की सुरक्षा, त्रुटियों का पता लगाना और धोखा घड़ी रोकना, शुद्धता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता समय पर तैयार करना और प्रस्तुत करना आदि के लिए विश्वसनीय वित्तीय बयान सुनिश्चित किया है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

आपकी कंपनी ने त्रुटीहीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानक के पारदर्शिता के कर्ता, अखंडता और अपनी सभी गतिविधियों में जवाबदेही का पालन किया है। इस रिपोर्ट के साथ निगम से संबंधित शासन प्रणाली का रिपोर्ट भी जोड़ा गया है।

ऐसी एस ऐ का सचिवीय मानक

दिनांक 23 जुलाई 2015 के निगमित मामला मंत्रालय, भारत के कंपनी सचिवों की संस्था (आईसीएसऐ) के अनुमोदन के अनुसार सांचिविक मानकों में अधिसूचित मंडल निदेशकों (एसएस - 1) और सामान्य बैठक (एसएस - 2) 1 जुलाई 2015 से प्रभावी है। कंपनी का पालन करती है।

लेखापरीक्षक

वैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिसूचना 2013 की धारा 139 के अनुसार मेसर्स के वर्गीस एण्ड कंपनी को कंट्रोलर और महालेखा परीक्षक ने मिलकर कंपनी की वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है जिसको अगले वार्षिक आम बैठक के निष्कर्ष तक दफ्तर में रहना है।

सांचिविक लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट के एक हिस्सा होने के कारण इसके साथ दिया गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिसूचना 2013 कि धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स गोपी मोहन सतीश और एसोसियेट्स को 2015-16 साल के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस रिपोर्ट के साथ सचिवीय लेखा परीक्षक का एक रिपोर्ट भी है और कंपनी सचिव द्वारा बनाया गया सचिवीय लेखा परीक्षक अभ्यास का स्पष्टीकरण या हर योग्यता के लिए टिप्पणियाँ भी हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के संचालन करने के लिए मेसर्स जे. आर. एस और कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कोझी को नियुक्त किया है। लेखा परीक्षा समिति समय समय पर आंतरिक लेखा परीक्षक के कर्तव्यों के देखरेख करेंगे और उनके रिपोर्ट की समीक्षा भी करेंगे।

अन्य प्रकटीकरण

कार्यालय पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कंपनी की एक नीति है। कंपनी ने कार्यस्थल में महिलाओं के साथ होनेवाले उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिनियम 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायती समिति का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य महिलाओं के साथ होनेवाले यौन उत्पीड़न को रोककर एक सुरक्षित वातावरण को बनाए रखने का दायित्व संभालती है।

आंतरिक शिकायती समिति की संरचना :

- सुश्री सूमन सोलमन तोमस - अधिष्ठाता

- डॉ लिज्जम्मा कोशी - अवकास प्राप्त विभागाध्यक्ष (रसायन शास्त्र), महाराजास कॉलेज, एरणाकुलम – वाहरी सदस्य
- सुश्री लिल्लिकुट्टी राजू - सदस्य
- डॉ ए.जे. अगस्टिन - सदस्य एवं संयोजक

इस वर्ष के दौरान समीक्षा करने पर यौन उत्पीड़न से संबंधित एक घटना को दर्ज किया गया है।

अभिस्वीकृति

आपके निदेशकों को सञ्ची सराहना से सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय/राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी सी और ए जी दफ्तर, वैधानिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, ए एफ डी, के एफ डब्लियू, केनरा बैंक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बैंगलूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रिन्ट और दृश्य मीडिया, आपकी कंपनी के विक्रेताओं, सलाहकारों ग्राहकों और विभिन्न पण्डारियों जैसे हर एक को जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तहे दिल से धन्यवाद करता है। यह बोर्ड आपकी कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और सदस्यों को भी उनकी प्रतिबद्धता और सहकारिता के लिए सञ्ची सराहना करते हैं।

कृते और निदेशक मंडल की और से

(ह0/-)

अध्यक्ष

स्थान : कोच्ची

तारीख : 3 अक्टूबर, 2017

वार्षिक वापसी का उद्धरण (फार्म एम जी टी 9)

31 मार्च तक समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

- i. संस्था की पहचान संख्या, सीआईएन : U60100KL2011SGC029003
- ii. पंजीकरण की तारीख : 02/08/2011
- iii. कंपनी का नाम : कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
- iv. कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी : सार्वजनिक कंपनी
- v. पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण : राजस्व ट्वर, 8 वाँ तल,
सुभाष पार्क के सामने,
कोच्ची, केरल, भारत,
पिनकोड़ – 682 011.
- दूरभाष: +91 484 2380 980,
फैक्स: +91 484 2380 686,
ई-मेल: kochimetrorail2011@gmail.com
- वेबसाइट: www.kochimetro.org
- vi. क्या कंपनी सूची पत्रित है? : जी नहीं
- vii. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो
तो उनका नाम, पता और संपर्क विवरण : लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यापार

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है:-

क्रम सं. मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण

उत्पाद / सेवा के
एनआईसी कोड

कंपनी के कुल लाभ
का प्रतिशत

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी परियोजना के चरण में है और इसका संचालन शुरू नहीं हुआ है।

III. होल्डिंग, सहायक और सहभागी कंपनियों के विवरण

इस कंपनी के लिए कोई होल्डिंग, सहायक और सहभागी कंपनी नहीं है

IV. शेयर धारक नमूना (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी का आकलन)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में प्राप्त शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान आए परिवर्तन की प्रतिशतता
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	
क. संवर्धक									
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) व्यक्तिगत / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आ) केन्द्रीय सरकार.	-	6,41,50,000	6,41,50,000	50	-	7,53,73,000	7,53,73,000	50	17.49
इ) राज्य सरकार (रों)	-	6,41,50,000	6,41,50,000	50	-	7,53,73,000	7,53,73,000	50	17.49
ई) निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कॉर्पोरेट									
उ) बैंक /एफ आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऊ) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल:(क) (1)	-	12,83,00,000	12,83,00,000	100	-	15,07,46,000	15,07,46,000	100	
(2) विदेशी									
अ) एनआरआई - व्यक्तियों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आ) अन्य व्यक्तियों	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बैंक /एफ आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उ) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (अ) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवर्धक की कुल शेयर धारिता (A)= (अ)(1)+(अ)(2)	-	12,83,00,000	12,83,00,000	100	-	15,07,46,000	15,07,46,000	100	17.49
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता									
(1) संस्था									
अ) म्यूचुअल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आ) बैंक /एफ आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ) केन्द्रीय सरकार.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) राज्य सरकार (रों)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उ) उद्धम पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऊ) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋ) एफआईआईएस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) विदेशी उद्धम पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (आ)(1):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) गैर संस्था									
अ) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) प्रवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) व्यक्तिगत शेयरधारक 1 लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूँजी रखते हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक अधिकतम एक लाख के नाममात्र शेयर पूँजी रखते हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कुल (ख)(2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (B)= (ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा रखा शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	12,83,00,000	12,83,00,000	100	-	15,07,46,000	15,07,46,000	100	17.49

ii) संवर्धकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारण में हुए परिवर्तन का %
		कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के लिए वचनबद्ध/ आबंटित शेयरों का %	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के लिए वचनबद्ध/आबं टित शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	6,41,50,000	50	-	7,53,73,000	50	-	17.49
2	केरल के राज्यपाल	6,41,50,000	50	-	7,53,73,000	50	-	17.49
	कुल	12,83,00,000	100	-	15,07,46,000	100	-	17.49

iii) संवर्धकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो स्पष्ट कीजिए)

क्रम सं.	संवर्धकों का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता		
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
	वर्ष के प्रारंभ में				
	भारत के राष्ट्रपति	6,41,50,000	50	-	-
	केरल के राज्यपाल	6,41,50,000	50	-	-
	कुल	12,83,00,000	100	-	-
	शेयर धारिता में परिवर्तन				
1.	भारत के राष्ट्रपति 19 जुलाई, 2016 (आवंटन)	80,00,000	5.54	7,21,50,000	50
2.	केरल के राज्यपाल 19 जुलाई, 2016 (आवंटन)	80,00,000	5.54	7,21,50,000	50
3.	भारत के राष्ट्रपति 30 नवंबर, 2016 (आवंटन)	32,23,000	2.13	7,53,73,000	50
4.	केरल के राज्यपाल 30 नवंबर, 2016 (आवंटन)	32,23,000	2.13	7,53,73,000	50
	वर्ष के अंत में				
	भारत के राष्ट्रपति	-	-	7,53,73,000	50
	केरल के राज्यपाल	-	-	7,53,73,000	50
	कुल	-	-	15,07,46,000	100

iv) श्रेष्ठ दस शेयरधारकों का शेयरधारिता नमूना (निदेशकों, संवर्धकों और जीडीआर तथा एडीआर धारकों के अलावा):

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
	प्रत्येक श्रेष्ठ 10 शेयरधारकों के लिए	-	-	-	-
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वृद्धि / कमी के कारणों को स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयर धारिता में वृद्धि / कमी (उदा: आबंटन / स्थानांतरण / बोनस / परिश्रम इक्विटी आदि)	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में (या पृथक्करण पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक्करण हो गया हो)	-	-	-	-

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के शेयरधारिता:

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए				
1.	श्री राजीव गौबा				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-

	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
2.	श्री मुकुंद कुमार सिंहा				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
3.	श्री एलियास जोर्ज				
	वर्ष के प्रारंभ में	2	-	-	-
	वर्ष के अंत में	2	-	-	-
4.	श्री जितेंद्र त्यागी				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
6.	श्री ए.ल. नरसिंह प्रसाद				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
7.	डॉ.के.एम. एब्रहाम				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
8.	श्री एस. एम विजयानंद				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
9.	श्री मोहम्मद वाई सफिरुल्ला				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-

10.	श्री एम. शिवशंकर				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
11.	श्री एब्रहाम उम्मन				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-
12.	श्री प्रवीण गोयल				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-
13.	श्री तिरुमन अर्चुनन				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-
14.	श्री बी अनिलकुमार				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-

टिप्पणी : निदेशक सरकार के नामांकित व्यक्ति के रूप में शेयरधारण करते हैं।

V. ऋण

बकाया /उपार्जित ब्याज सहित कंपनी के ऋण, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं

(रु.लाखों में)

	जमा के सिवा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋण				
i) मुख्य राशि	114620.54	4558.98	-	119179.52
ii) देय ब्याज , लेकिन भुगतान नहीं किया	-	-	-	-
iii) अर्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं	4857.15	-	-	4857.15
कुल (i+ii+iii)	119477.69	4558.98	-	124036.67
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में परिवर्तन				
• जोड़	80154.09	2654.50	-	82808.59
• कमी	114.87	-	-	114.87
कुल परिवर्तन	80039.22	2654.50	-	82693.72

वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण	-	-	-	-
i) मुख्य राशि	189265.68	7213.49	-	196479.17
ii) देय ब्याज , लेकिन भुगतान नहीं किया	-	-	-	-
iii) अर्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं	10251.23	-	-	10251.23
कुल (i+ii+iii)	199516.91	7213.49	-	206730.40

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक:

(रु लाखों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	एमडी / डब्लूडीटी / प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		श्री एलियास जॉर्ज (प्र.नि.)	श्री एब्राहम उम्मन (डब्ल्यूटीडी)	श्री प्रवीण गोयल (डब्ल्यूटीडी)	श्री तिरुमन अर्कचुनन (डब्ल्यूटीडी)	
1	सकल वेतन					
	(अ) आयकर 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।	6.22	28.72	27.73	14.82	77.49
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17 (2) के अनुलाभों का मूल्य	4.55	0	4.38	2.60	11.53
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदलाव का लाभ	-	-	-		-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-		-
3	पारिश्रमिक इक्विटी	-	-	-		-

4	आयोग	-	-	-		-
	लाभ के % के अनुसार	-	-	-		-
	अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-		-
5	अन्य कृपया स्पष्ट करें	4.80	8.65	6.79	3.34	23.58
	कुल (अ)	-				
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं				

टिप्पणी: अक्टूबर 2016 तक प्रबंध निदेशक का वेतन केरल सरकार द्वारा और नवंबर 2016 तक केएमआरएल द्वारा भुगतान किया गया।

वेतन और लाभों में वेतन, भत्ते और लाभ जैसे पारिश्रमिक के सभी तत्व शामिल हैं।

कंपनी के कोई किसी भी निदेशक को किसी भी प्रकार का बोनस, पेंशन या प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन भुगतान नहीं किया जाता है।

क. कंपनी ने किसी भी निदेशक को किसी भी स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

वर्ष के दौरान कंपनी ने गैर-कार्यकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया है।

प्र.नि./ प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक:

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
1	सकल वेतन	सी ई ओ	कंपनी सचिव बी. अनिलकुमार	सीएफओ	कुल
	(अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	15.50		15.50
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17 (2) के अंगर्गत भुगतान के मूल्य	-	1.48	-	1.48
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
3	पारिश्रमिक इक्विटी	-	-	-	-
4	आयोग	-	-	-	-
	लाभ के % के अनुसार	-	-	-	-
	अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
5	अन्य कृपया स्पष्ट करें	-	3.85	-	3.85
	Total	-			

VII. दंड / सज्जा/ अपराधों की समझौता:

वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के दंड / सज्जा / अपराधों समझौता नहीं हुआ।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 तक समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम 9 के
अनुपालन के बाद]

फॉर्म एम आर - 3

सदस्य

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

(CIN # U60100KL2011SGC029003)

8 वाँ तल, राजस्व टवर

सुभाष पार्क के सामने

कोच्ची- 682 011.

मैंने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (जिसे कंपनी कहा जाता है) के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन एवं और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं का अनुपालन के सचिवीय लेखापरीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन उस तरीके से किया गया, जो संचालन / सांविधिक संबंधों का मूल्यांकन के लिए हमें दिए गए एक उचित आधारों/सांविधिक अनुपालन और उस पर हमारी राय प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है।

कंपनी द्वारा बनाए रखे पुस्तकों, कागजारों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और रिटर्न मिसिलों और अन्य रिकॉर्डों आदि की जांच और कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों से संपर्क करने के बाद रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, 31 मार्च, 2017 ('लेखा परीक्षा अवधि') तक समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कंपनी को बहुत ही व्यवस्थित रूप में जहाँ आवश्यक है वहाँ अनुपालन तंत्र को इस तरीके से स्थानांतरित करने के तरीके के

अनुसार इसका रिपोर्ट दिया है :

मैंने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोज्जी मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा रखे गए पुस्तकों, पत्रों, कार्यवृत्त की पुस्तकों, फार्म और रिटर्न दाखिल की और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और नियम जो उसके तहत बनाए गए हैं;
 - (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम; (**यह खंड कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।**)
 - (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके तहत तैयार किए गए विनियम और उप-नियम;
(**कंपनी के लिए यह खंड लागू नहीं है क्योंकि कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।**)
 - (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा के तहत किए गए नियमों और विनियमों, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार
(**लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान खंड लागू नहीं होता है।**)
- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: (**कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है, खंड (वी) और इसके उप खंड (ए) से (एच) लागू नहीं हैं।**)
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का भारी अधिग्रहण) विनियम, 2011;The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे) विनियम, 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना दिशानिर्देश, 1999;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति की सूचीबद्धता के मुद्दे) विनियम, 2008;

- (च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से निपटने के संबंध में भारत की प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक मुद्दे और शेयर स्थानांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; तथा
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की खरीददारी) विनियम, 1998

मैंने निम्न लागू होने वाले नियमों पर भी जांच की है:

- (झ) भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक
- (ii) कंपनी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड अनुबंध को शामिल किया गया। (असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. लेखा परीक्षा के अवधि के दौरान कंपनी ने धारा 19 (6) के तहत अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त नहीं किया है। हालांकि, 30 मई 2017 को आयोजित कंपनी की 26 वीं बैठक में बोर्ड ने दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया है।
2. कंपनी ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है लेकिन अधिनियम की धारा 177 में निर्धारित के अनुसार स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशक शून्य है।
3. कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149 (1) के तहत अपेक्षित महिला निदेशक को नियुक्त नहीं किया है। हालांकि, बोर्ड ने 30 मई, 2017 को आयोजित अपनी 26 वीं बैठक में एक महिला निदेशक नियुक्त किया है।

4. 2016-17 के वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा क्रमशः 19/07/2011 और 30/11/2016 को दो बोर्ड बैठक आयोजित किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी को हर साल में कम से कम चार बोर्ड बैठकों का आयोजन करना चाहिए और एक सौ बीस दिन से अधिक बोर्ड के लगातार दो बैठकों के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा। 19/07/2016 की बैठक से पहले, कंपनी का बोर्ड बैठक 18/01/2016 को संपन्न हुआ। इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) और भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी निदेशकों के बोर्ड की बैठक में सचिवीय मानक 1 (एसएस -1) के प्रावधानों के विरुद्ध है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू अन्य कानूनों के संबंध में, मैंने लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना / रिकॉर्ड पर भरोसा किया है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है।

(क) आयकर अधिनियम, 1961;

(ख) सेवा कर अधिनियम, 1994;

(ग) केरल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 और सीएसटी;

(घ) कंपनी के कर्मचारियों को संचालित करने वाले सभी श्रम कानूनों के प्रावधान;

(ङ) अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;

(च) अंतर राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार नियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979;

(छ) इमारत और अन्य निर्माण कार्यकर्ता (रोजगार और सेवा की शर्तों का नियम) अधिनियम, 1996;

(ज) पर्यावरण सुरक्षा कानूनों के प्रावधान;

(झ) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 तथा

(ञ) कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकें निर्धारित करने की पर्याप्त सूचना दी जाती है। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी को कम से कम सात दिन पहले भेजा गया और बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची के मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निदेशक मंडल की बैठकों की कार्यवृत्त पर बोर्ड की बैठकों के निर्णय दर्ज किया जाता है।

कंपनी को योग्य नियम, कानून और दिशानिर्देशों के साथ उनके आकार और अनुपालन करने के संचालन के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हस्ताक्षर

ह0/

टी आर श्रीराम

स्थान: एरणाकुलम

तारीख: 03/10/2017

कंपनी सचिव का नाम टी आर श्रीराम

एफसीएस सं.: 4926

सी पी सं.: 3351

अनुबंध- क

सदस्य

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

(CIN # U60100KL2011SGC029003)

8 वाँ तल, राजस्व टवर

सुभाष पार्क के सामने

कोच्ची- 682 011.

समसंख्यक रिपोर्ट इस अनुबंध के साथ पढ़ें

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना मेरी जिम्मेदारी है।
2. मैंने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जैसा कि सचिवीय रिकॉर्डों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना उचित था। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्यों सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया। मेरा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया गया है, वे मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. मैंने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जैसा कि सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना था। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्यों सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया। मेरा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया गया है, वे मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।
4. मैंने वित्तीय रिकॉर्ड और कंपनी के खातों की पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

5. जहां कहीं भी आवश्यक है, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मैंने लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा उत्पादित सूचना / रिकॉर्ड के आधार पर मेरी रायआधारित है और रिपोर्टिंग उस सीमा तक सीमित है।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ जो प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हस्ताक्षर

ह0/

टी आर श्रीराम

स्थान: एरणाकुलम

तारीख: 03/10/2017

कंपनी सचिव का नाम: टी आर श्रीराम

एफसीएस सं.: 4926

सी पी सं.: 3351

निगमित अभिशासन का रिपोर्ट

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (के एमआरएल) एक सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जो निर्णय लेने में वित्तीय संपदा के ईमानदारी, अखंडता, जवाबदेही पर्याप्त स्पष्ट, कानूनी अनुपालन, पारदर्शिता एवं व्यक्तिगत रुचि के प्रभाव न होने के निगमित अभिशासन के सिद्धांतों एवं तत्वों का पालन करती है। कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड पण्डारियों की संतुष्टि, वित्तीय विवेक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर विश्वास करता है। इसलिए, मंडल पहचानने और कंपनी द्वारा ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं को औपचारिक बनाने की मांग जारी रखेंगे। हमारे कॉर्पोरेट की संरचना व्यापार और प्रकटीकरण प्रथाएं हमारे निगमित अभिशासन के दर्शन के साथ गठबंधित हो गया है।

केएमआरएल के कार्यों के सीवीसी दिशानिर्देशों, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन (एओए) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, लागू लेखा मानकों, सीएंडएजी जैसे अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियम, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तथा उसके अधीन बताए नियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। इसके अलावा, सभी अनुयोज्य कानून संगठन के कार्यक्रमों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कर्मचारियों का कल्याण और ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत लोगों, मूल्यों की क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनःप्रतिष्ठापन एवं नियमन आदि की भी देखभाल कंपनी करती है।

निदेशक मंडल

इस रिपोर्ट की तारीख के अनुसार, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक मंडल में 15 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशकों भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति हैं, 5 निदेशक केरल सरकार के नामांकित व्यक्ति हैं, 2 स्वतंत्र निदेशक और 3 कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव हैं, और प्रबंध निदेशक केरल सरकार के नामांकित व्यक्ति भी हैं।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार केएमआरएल बोर्ड की संरचना:-

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| 1. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री मुकुंद कुमार सिंहा | - | निदेशक |
| 3. श्री एल. नरसिंह प्रसाद | - | निदेशक |

4. श्री अनिरुद्ध जैन	-	निदेशक
5. श्री शरत शर्मा	-	निदेशक
6. श्रीमती नलिनी नेटो	-	निदेशक
7. श्री एलियास जोर्ज	-	प्रबंध निदेशक
8. डॉ के एम एब्रहाम	-	निदेशक
9. श्री एम शिवशंकर	-	निदेशक
10. श्री मोहम्मद वाई सफ़ीरुल्ला	-	निदेशक
11. वाइस एडमिरल एस.के.के. कृष्णन	-	स्वतंत्र निदेशक
12. श्रीमती शीला तोमस	-	स्वतंत्र निदेशक
13. श्री एब्रहाम उम्मन	-	निदेशक (वित्त)
14. श्री प्रवीण गोयल	-	निदेशक (प्रणाली)
15. श्री तिरुमन अर्चुनन	-	निदेशक (परियोजना)

रिपोर्टधीन की अवधि के दौरान, दोनों सरकारों से प्राप्त नामांकन के आधार पर निम्नलिखित निदेशकों को शामिल किया गया;

1. श्री राजीव गौबा, नामित निदेशक और अध्यक्ष, भारत सरकार
2. श्री एस.एम. विजयानंद, नामित निदेशक, केरल सरकार
3. श्री के मोहम्मद वाई. सफ़ीरुल्ला, नामित निदेशक, केरल सरकार
4. श्री शरत शर्मा, नामित निदेशक, भारत सरकार
5. श्री अनिरुद्ध जैन, नामित निदेशक, भारत सरकार
6. श्रीमती नलिनी नेटो, नामित निदेशक, केरल सरकार

इस अवधि के दौरान, श्री तिरुमन अर्चुनन को कंपनी द्वारा निदेशक, परियोजनाओं के रूप में नियुक्त किया गया।

प्रशंसा पर ध्यान

बोर्ड द्वारा श्री राजीव गौबा, अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाने वाली मूल्यवान सेवाओं, विशेषज्ञ सलाह, सराहना प्रकट की गई जिन्होंने सचिव, एमओयूडी से त्यागपत्र करके और निम्नलिखित व्यक्ति जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशकों के रूप में रह गए।

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. श्री लाज कुमार | (31.05.2016 तक) |
| 2. डॉ एम जी राजमाणिकम | (20.09.2016 तक) |
| 3. श्री वी जे कुरियन | (20.09.2016 तक) |

कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध प्रशासनिक और निष्पादन क्षमता वाले अनुभवी व्यक्ति शामिल हैं और जो कंपनी के मामलों को भी सामूहिक रूप से निर्देशित करते हैं।

निदेशकों के उपस्थिति रिकार्ड:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान 2016-17 में आयोजित बैठक	भाग लिए गए बैठक	भाग लिए गए वा.सा.बैठक
1.	श्री राजीव गौबा	2	2	No
2.	श्री मुकुंद कुमार सिंहा	2	2	Yes
3.	श्री जितेन्द्र त्यागी	2	2	Yes
4.	श्री एल. नरसिंम प्रसाद	2	2	No
5.	श्री एस.एम. विजयानन्द	2	0	No
6.	श्री एलियास जोर्ज	2	2	Yes
7.	श्री के एम एब्रहाम	2	0	No
8.	श्री वी जे कुरियन	1	0	No
9.	डॉ एम जी राजमाणिकम	1	1	No
10.	श्री एम शिवशंकर	1	0	No
11.	श्री के मोहम्मद वाई सफ़ीरुला	1	0	No
12.	श्री एब्रहान उम्मन	2	2	Yes
13.	श्री प्रवीण गोयल	2	2	Yes
14.	श्री तिरुमन अर्चुनन	1	1	Yes

बोर्ड को दी गई सूचनाएँ

बोर्ड प्रत्येक बैठक के पहले प्रासंगिक सूचनाओं और प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हैं, जो कंपनी के कामकाज से संबंधित विभिन्न मामलों में बोर्ड के विचार की आवश्यकता होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। समय -समय पर कार्यकारी निदेशकों द्वारा परियोजना की प्रगति, कानूनी अनुपालन और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर बोर्ड के सामने व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं।

बोर्ड की प्रक्रियाएँ

बोर्ड की बैठकें कंपनी के प्रदर्शन के महत्वपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए आयोजित की जाती हैं और प्रबंधन निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, 1कंपनी के निदेशक मंडल ने दो बार मिले, 9 जुलाई, 2016 और 30 नवंबर 2016 को।

कंपनी ने बोर्ड और बोर्ड उप-समिति की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क) बोर्ड / बोर्ड की उप-समिति की बैठकें के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण और चयन

- बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद उचित नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। यदि कोई अति विशेष बात है तो, बैठकों को कम सूचना पर भी बुलाया जाता है। बोर्ड परिसंचरण द्वारा संकल्पों को भी पारित करता है, लेकिन केवल ऐसे मामलों के लिए, जो बेहद जरूरी है और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत हैं;
- कार्यसूची की कागज संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा तैयार किए जाते हैं और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। बैठकों में अर्थपूर्ण, सूचित और ध्यान केंद्रित निर्णय लेने के लिए उचित रूप से अनुमति प्राप्त विस्तृत कार्यसूची विवरण, प्रबंधकीय रिपोर्ट और अन्य विस्तृत पृष्ठभूमि सूचना के व्यापक मतैक्य आदि पहले ही सदस्यों के बीच परिचालित करना है।
- विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या अनुपूरक मद, जो कार्यसूची पर नहीं हैं, को अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए रख जाते हैं :

- बोर्ड को जब भी आवश्यक हो, प्रमुख घटनाओं / वस्तुओं और अनुमोदनों के बारे में सूचित किया जाता है। प्रबंध निदेशक बोर्ड को बैठकों में कंपनी के समग्र प्रदर्शन के बारे में अवगत कराते हैं;
- कार्यसूची के एक हिस्सा के रूप में पूर्व बैठकों में बोर्ड के निदेशकों द्वारा लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा करेगी;
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूर्ण पहुंच होती है;
- इसके अलावा, बोर्ड के बैठक को उचित सचिवीय मानकों के अनुरूप रखा जाता है।

ख) प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्तीकरण

बोर्ड की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजनाओं की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों / घटनाओं सहित प्रमुख विकास के बारे में संक्षिप्तीकरण करता है।

ग) बोर्ड के बैठक में कार्यवृत्त के कार्यवाही का रिकार्डिंग

प्रत्येक बोर्ड की कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकॉर्ड किए जाते हैं और कार्यवृत्त बुक में दर्ज किए जाते हैं। बैठकों का कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवालय मानकों के अनुसार प्रसारित किए जाते हैं। अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त अपनी अगली बैठक में पुष्टीकरण के लिए प्रस्तुत करते हैं।

घ) अनुपालन

विभागाध्यक्ष को कार्यसूची के नोट तैयार करते वक्त यह सुनिश्चित करना है कि पूरा विवरण कंपनी अधिनियम 2013 एसोसिएशन के लेख और सीवीसी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन उपयुक्त साँविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी के कर्मचारी, उन पर सौंपे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को कंपनी द्वारा स्वीकृत और स्वीकार किए गए आचार संहिता के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। वे हमेशा कॉर्पोरेट कार्यों के प्रति योगदान में उच्च नैतिक मानकों और मूल्यों को बनाए रखते हैं और प्रबंधन से उचित और समय पर मार्गदर्शन से उन्हें बेहतर शासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने आठ उप-समितियां गठित की हैं, जो कंपनी के संचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप हैं। ये लेखा परीक्षा समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति, मानव संसाधन विकास और पारिश्रमिक समिति, ऑपरेशन और रखरखाव समिति, परियोजना प्रबंधन समिति, निवेश समिति, खरीद समिति और संपत्ति विकास समिति आदि हैं। इन समितियों में से प्रत्येक ने स्पष्ट रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखा है। ये समितियां कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर मिलती हैं। बोर्ड उप-समितियों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।

1. लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च, 2017 को संरचित:

- | | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. डॉ के एम एब्रहाम | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री मुकुंद कुमार सिंहा | - | सदस्य |
| 3. श्री के मोहम्मद वाई सफीरुल्ला | - | सदस्य |
| 4. श्री एम. शिवशंकर | - | सदस्य |
| 5. श्री प्रवीण गोयल | - | सदस्य |

2016-17 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति तीन बार मिले, अर्थात् 26 अप्रैल, 2016, 11 जुलाई, 2016 और 21 नवंबर, 2016 को। लेखा परीक्षा इन बैठकों में समिति के सदस्यों के अलावा, निदेशक, वित्त और उन अधिकारियाँ जो समिति को निविष्टियाँ प्रदान करते हैं, वे भी भाग लिए।

कंपनी सचिव ने लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में भी कार्य किया।

सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	अपनी सदस्यता के कार्यकाल के दौरान 2016-17 में आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	डॉ के एम एब्रहाम	3	3
2.	श्री मुकुंद कुमार सिंहा	3	शून्य

3.	डॉ एम जी राजमाणिक्रम	2	शून्य
4.	श्री वी.जे. कुरियन	2	शून्य
5.	श्री प्रवीण गोयल	3	3

2. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

31 मार्च, 2017 को संरचित:

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| 1. श्री एलियास जोर्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री मुकुंद कुमार सिंहा | - | सदस्य |
| 3. श्री एल नरसिंह प्रसाद | - | सदस्य |
| 4. श्री एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 5. श्री प्रवीण गोयल | - | सदस्य |
| 6. श्री तिरुमन अर्चुनन | - | सदस्य |

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

3. परियोजना प्रबंधन समिति

31 मार्च, 2017 को संरचित:

- | | | |
|----------------------------|---|---------|
| 1. श्री एलियास जोर्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री मुकुंद कुमार सिंहा | - | सदस्य |
| 3. श्री जितेंद्र त्यागी | - | सदस्य |
| 4. श्री एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 5. श्री प्रवीण गोयल | - | सदस्य |
| 6. श्री तिरुमन अर्चुनन | - | सदस्य |

समिति 24 अप्रैल, 2016 को एक बार हुई

सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्डः

क्रम सं.	सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान 2016-17 में आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री एलियास जोर्ज	1	1
2.	श्री मुकुंद कुमार सिंहा	1	1
3.	श्री जितेंद्र त्यागी	1	1
4.	श्री एब्रहाम उम्मन	1	1
5.	श्री प्रवीण गोयल	1	1

4. निवेश समिति

31 मार्च, 2017 को संरचितः

- | | | |
|------------------------|---|---------|
| 1. श्री एलियास जोर्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. डॉ के एम एब्रहाम | - | सदस्य |
| 3. श्री एम शिवशंकर | - | सदस्य |
| 4. श्री एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 5. श्री प्रवीण गोयल | - | सदस्य |
| 6. श्री तिरुमन अर्चुनन | - | सदस्य |

वर्ष के दौरान निवेश समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

5. खरीददारी समिति

31 मार्च, 2017 को संरचितः

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| 1. श्री एलियास जोर्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री जितेंद्र त्यागी | - | सदस्य |
| 3. श्री एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |

4. श्री प्रवीण गोयल - सदस्य

5. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य

वर्ष के दौरान खरीददारी समिति की कोई बैठकआयोजित नहीं हुई।

6. प्रक्रिया और रखरखाव समिति

31 मार्च, 2017 को संरचित:

1. श्री एलियास जोर्ज - अध्यक्ष

2. डॉ के एम एब्रहाम - सदस्य

3. श्री एल. नरसिम प्रसाद - सदस्य

4. श्री एब्रहाम उम्मन - सदस्य

5. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य

6. श्री प्रवीण गोयल - सदस्य

वर्ष के दौरान प्रक्रिया और रखरखाव समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

7. संपत्ति विकास समिति

31 मार्च, 2017 को संरचित:

1. श्री एलियास जोर्ज - अध्यक्ष

2. श्री नरसिम प्रसाद - सदस्य

3. श्री के मोहम्मद वाई सफ़ीरुल्ला - सदस्य

4. श्री एब्रहाम उम्मन - सदस्य

5. श्री प्रवीण गोयल - सदस्य

6. श्री एम. शिवशंकर - सदस्य

समिति ने 4 जुलाई, 2016 को एक बार मिली

सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान 2016-17 में आयोजित बैठकें Membership	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री एलियास जोर्ज	1	1
2.	डॉ एम जी राजमाणिकम	1	1
3.	श्री एल नरसिम प्रसाद	1	1
4.	श्री एब्रहाम उम्मन	1	1
5.	श्री प्रवीण गोयल	1	1

8. मानव संसाधन विकास समिति

31 मार्च, 2017 को संरचित:

- | | | |
|------------------------|---|---------|
| 1. श्री एलियास जोर्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. एम शिवशंकर | - | सदस्य |
| 3. श्री एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 4. श्री प्रवीण गोयल | - | सदस्य |
| 5. श्री तिरुमन अर्चुनन | - | सदस्य |

समिति 22 नवंबर, 2016 को एक बार मिली

सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान 2016-17 में आयोजित बैठकें Membership	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री एलियास जोर्ज	1	1
2.	श्री एब्रहाम उम्मन	1	1
3.	श्री प्रवीण गोयल	1	1

प्रकटीकरण

- क. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण किसी पार्टी से कोई सौदा अर्थात् उनके समर्थकों, निदेशकों या प्रबंधन, नियंत्रित व्यक्तियों या बन्धुजनों आदि के साथ भौतिक प्रकृति कंपनी के सौदे नहीं हुए हैं क्योंकि उससे व्यापक तौर पर कंपनी के हित के साथ काफी हद तक मतभेद हो सकता है।
- ख. किसी भी साँविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाने या कटु आलोचना करने की कोई घटना नहीं हुई है।
- ग. लेखों की पुस्तकों में डेबिट किए गए व्यय के कोई भी मद नहीं थे, जो कंपनी के कार्य के प्रयोजन के लिए नहीं थे;
- घ. कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के पास अलग-अलग व्यक्ति हैं।

कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.kochimetro.org है। कंपनी से संबंधित परियोजना, अनुबंध, नौकरी भर्ती प्रक्रिया आदि सहित सभी प्रमुख सूचनाएं, वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं। इसके अलावा, कंपनी वेबसाइट पर अपने सभी निविदाओं को प्रसारित करती है ताकि माल और सेवाओं की सभी खरीद के बारे में समय पर जानकारी का प्रसार किया जा सके। यह वेबसाइट मेट्रो रेल परियोजना और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों और प्रगति पर भी जानकारी प्रदान करती है, और लगातार अद्यतन की जाती है।

पंजीकृत कार्यालय	कंपनी सचिव
CIN U60100KL2011SGC029003 कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड 8 वाँ तल , राजस्व ट्वर, पार्क एवन्यू ,कोच्ची-682 011. 011. दूरभाष: +91-484-2380980, फ़ैक्टरी: +91 484 2280686	बी. अनिलकुमार कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड 8 वाँ तल, राजस्व ट्वर, पार्क एवन्यू, कोच्ची-682 011. दूरभाष : +91-484-2380980, +91-8129270036 ई-मेल- anilkumar.b@kmrl.co.in

कोझी मेट्रो रेल लिमिटेड
तुलन पत्र 31 मार्च 2017

राशी (₹. लाखों में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
परिसंपत्तियाँ				
(I) चालू रहित परिसंपत्तियाँ				
(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.क	58,111.38	55,536.82	40,508.33
(आ) चालू औंजीगत कार्य	2.ब	300,675.18	200,666.91	105,910.05
(इ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.क	2,903.52	2,930.98	2,805.09
(ई) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.ब	10.26	7.68	93.30
(ज) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवास		-	-	-
(ii) आपार प्राप्य		-	-	-
(iii) ऋण		-	-	-
(iv) अन्य	4	9,430.02	5,072.74	308.77
(क) अस्थायित कर परिसंपत्तियाँ (कुल)		-	-	-
(क्ष) अन्य चालू रहित परिसंपत्तियाँ	5	15,448.89	29,035.99	31,486.18
कुल चालू रहित परिसंपत्तियाँ (I)		386,579.25	293,251.12	181,111.72
(II) चालू परिसंपत्तियाँ				
(अ) माल सूची		-	-	-
(आ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) आपार प्राप्य		-	-	-
(ii) नकद व नकद समकक्ष	6	41,258.77	23,313.91	39,134.10
(iii) अन्य बैंक निवेश		-	-	-
(iv) ऋण		-	-	-
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	2,386.08	1,788.89	22.46
(इ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	8	64.93	120.86	134.11
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (II)		43,709.78	25,223.66	39,290.67
कुल परिसंपत्तियाँ (I) + (II)		430,289.03	318,474.78	220,402.39
(III) इक्कीटी और देयताएँ				
(I) इक्कीटी				
(अ) इक्कीटी शेयर पूँजी	9	150,746.00	128,300.00	87,010.00
(आ) अन्य इक्कीटी	10	(3,830.73)	8,862.62	5,299.74
कुल इक्कीटी (I)		146,915.27	137,162.62	92,309.74
देयताएँ				
(II) चालू रहित देयताएँ				
(अ) वित्तीय देयताएँ				
(i) ऋण	11	191,779.17	119,179.54	114,575.24
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	12	9,178.34	5,041.20	104.65
(आ) प्रावधान	13	257.97	112.09	70.40
(इ) अस्थायित कर देयताएँ	14	-	-	2.06
(ई) अन्य चालू रहित देयताएँ	15	-	87.71	-
(ज) सरकार अनदान	16	57,803.86	41,366.50	-
कुल चालू रहित देयताएँ (II)		259,019.34	165,787.04	114,752.35
(III) चालू देयताएँ				
(अ) वित्तीय देयताएँ				
(i) ऋण	17	4,700.00	-	-
(ii) आपार देय		-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	18	19,417.27	15,420.53	13,312.17
(आ) अन्य चालू देयताएँ	19	181.04	70.53	17.26
(इ) प्रावधान	20	56.11	34.06	10.87
कुल चालू देयताएँ (III)		24,354.42	15,525.12	13,340.30
कुल इक्कीटी और देयताएँ (I) + (II) + (III)		430,289.03	318,474.78	220,402.39
सार्वकालिक नीति	1.2			
वित्तीय विवरण के भाग के रूप में गठित टिप्पणी पर ध्यान दें।	2-27			
हमारा रिपोर्ट संलग्न				
कृते के वार्ता एवं कंपनी के लिए				
शासनप्रतिरक्षक लेखकार				
FRN 004525S				
कृते एवं निदेशक मंडल की तरफ से				

साम वर्गीकृत
सहभागी
M.No.216979
स्थान : कोझीन
दिनांक : 03-10-2017

एलियास जोर्ज
प्रबंध निदेशक
स्थान : कोझीन
तारीख: 03-10-2017

एव्रहाम उम्मन
निदेशक (वित्त)

प्रबीण गोयल
निदेशक (प्रणाली)
वी. अनिल कुमार

कंपनी सचिव

कोड्डी मेट्रो रेल लिमिटेड
31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के लाभ और हानि से संबंधित विवरण

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के लिए	राशि (रु. लाखों में) 31.3.2016 तक समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रवर्तन से राजस्व	-	-	-
II	अन्य आय	21	679.38	581.99
III	कुल राजस्व (I + II)		679.38	581.99
IV	व्यय : अपव्यय वस्तुओं का मूल्य स्टॉक व्यापार की खरीददारी पूरा माल, काम में प्रगति और बिक्री के लिए माल, चल संपत्ति की विवरण सूचिका में परिवर्तन कर्मचारी लाभ खर्च 22 517.21 356.37 वित्तीय मूल्य 23 609.55 41.98 खर्च का अवमूल्यन एवं मूल्यहास 24 165.45 144.77 अन्य व्यय 25 852.52 2,055.13 कुल व्यय (IV) 2,144.73 2,598.25			
V	कर से पहले का लाभ / (हानि) (III - IV)		(1,465.35)	(2,016.26)
VI	कर व्यय : (1) पूर्व कर समझौता (2) पृथक कर			(3.34) (2.06) (5.40)
VII	अवधि के दौरान लाभ / (हानि) (V - VI)		(1,465.35)	(2,010.86)
VIII	अन्य विस्तृत आय			
	क (i) चीजें जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं होंगे अ) रोजगार के बाद के लाभ दायित्वों का पुनः परामर्श आ) एफ वी सी आई इक्विटी उपकरणों के मूल्य में परिवर्तन (ii) वस्तु संवर्धी आय कर लाभ/हानि में वर्गीकृत नहीं होगा		(5.0) (2.56)	
	ख (i) वस्तुएँ जो लाभ/हानि में वर्गीकृत नहीं होंगे अ) हैंडिंग साधनों पर नकद बहाव की लाभ/हानि के प्रभावशाली हिस्सा (ii) माल से संबंधित आय कर को लाभ/हानि में वर्गीकृत नहीं होगा			
			(5.00)	(2.56)
IX	वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय (VII+ VIII) (लाभ / (हानि)) शामिल है और वर्ष के दौरान अन्य विस्तृत आय)		(1,470.35)	(2,013.42)
VIII	प्रत्येक इक्विटी शेयर की कमाई:	26		
	(1) मूल और पतला किया			(1.04) (2.01)
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	1.2		
	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में साथ में गठित टिप्पणी पर ध्यान दें।	2-27		
	हमारा रिपोर्ट संलग्न है कृते के वर्गीस एवं कंपनी शासनपत्रित लेखाकार FRN 004525S			कृते और निदेशक मंडल की तरफ से

साम वर्गीस
सहभागी
M.No.216979
स्थान : कोचिन
दिनांक : 03-10-2017

एलियास जोर्ज
प्रबंध निदेशक

एब्रहाम उम्मन
निदेशक (वित्त)

प्रवीण गोयल
निदेशक (प्रणाली)

बी. अनिल कुमार
कंपनी सचिव

कोझी मेट्रो रेल लिमिटेड

31.03.2017 तक समाप्त वर्ष के इक्किटी में आए परिवर्तन का विवरण

क. इक्किटी शेयर पूँजी					राशि (रु. लाख में)
	रिपोर्टर्धीन वर्ष के प्रारंभ में बकाया	वर्ष के दौरान इक्किटी शेयर में आए परिवर्तन	रिपोर्टर्धीन समय के अंत में बकाया		
128300.00		22,446.00	150746		
ख. अन्य इक्किटी				राशि (रु. लाख में)	
		आरक्षित और अधिशेष		Total	
	शेयर आवेदन धन	पूँजी आरक्षित	सुरक्षा प्रीमियम में आरक्षित	सामान्य आरक्षित	बरकरार कमाई
	अनिर्णीत आवंटन				
रिपोर्टर्धीन समय के प्रारंभिक बकाया लेखा पॉलिसी या पूर्व समय की कमियों में	11223.00	-	-	-	(2,360.38) 8,862.62
परिवर्तन रिपोर्टर्धीन समय के प्रारंभ में पुनः बताया बकाया इस वर्ष के दौरान कुल लाभ / (हानि)	-	-	-	-	-
लाभांश (कर सहित)	-	-	-	-	-
बरकरार कमाई से स्थानांतरण	-	-	-	-	-
प्रीमियम की अदायगी	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान दिए गए इक्किटी शेयर	(11,223.00)	-	-	-	(11,223.00)
रिपोर्टर्धीन समय के अंत के बकाया	-	-	-	-	(3,830.73) (3,830.73)

सार्थक लेखा पॉलिसी 1.2

वित्तीय विवरण के भाग के रूप में गठित टिप्पणी पर ध्यान दें

हमारा रिपोर्ट संलग्न है

कृते के वर्गीकरण कंपनी

शासनपत्रित लेखाकार

FRN 004525S

कृते और निदेशक मंडल की तरफ से

साम वर्गीकरण

सहभागी

M.No.216979

स्थान : कोचिन

दिनांक : 03-10-2017

एलियास जोर्ज

प्रबंध निदेशक

स्थान : कोचिन

दिनांक : 03-10-2017

एब्रहाम उम्मन

निदेशक (विच्छिन्न)

स्थान : कोचिन

दिनांक : 03-10-2017

प्रवीण गोयल

निदेशक (प्रणाली)

स्थान : कोचिन

दिनांक : 03-10-2017

बी . अनिल कुमार

कंपनी सचिव

कोझी बेट्रो रेल लिमिटेड
31.03.17 तक समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	राशि (रु. लाख में)	
	31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 तक समाप्त वर्ष
अ. प्रचालन कार्यों से नकदी प्रवाह कर से पहले कुल लाभ/(हानि)	(1,470.35)	(2,013.42)
समझौते के लिए परिसंपत्ति के विक्री पर (कुल) (लाभ) / हानि	0.06	0.15
मूल्यहास और अदायगी खर्च	165.45	144.77
व्याज आय	(46.30)	(451.73)
प्रारंभिक बकाया के लिए पूर्ण समय के समझौता	-	(1.70)
एक वी ई पी एल पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की कुल लाभ	578.33	13.40
काम की पूँजी परिवर्तन आने से पहले लाभ/(हानि)	(772.81)	(2,308.53)
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी में समझौता वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(4,329.47)	(4,735.88)
अन्य चालू रहित परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(88.52)	(6,066.09)
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(414.30)	(1,755.24)
प्रावधानों में (वृद्धि) / कमी	167.93	64.88
अन्य देय में (वृद्धि) / कमी	9,877.05	7,185.90
परिचालन गतिविधियों से (उपयोगित) प्राप्त कुल नकद प्रवाह (क)	4,439.88	(7,614.96)
आ. जमा गतिविधियों से नकद प्रवाह भूमि अधिग्रहण का भुगतान, संयंत्र एवं उपरणों जिसमें पूँजी पेशारी भी सम्मिलित है	(6,523.34)	(6,193.34)
पूँजी पेशारी के साथ पूँजी डब्लियू आई पी के लिए भुगतान	(81,044.89)	(92,815.81)
प्राप्त व्याज आय	548.15	1,012.95
सरकारी अनुदान से प्राप्तियां	99.76	-
जमा गतिविधियों / (उपयोगित) के कुल नकद प्रवाह (ख)	(86,920.32)	(97,996.20)
इ. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह कैरेंट बैंक के दीर्घकालिक ऋण से अर्थागम	14,243.84	3,000.00
एंजेंसी फ्रांचेस डी विकास (ए.एफ.डी) की सहायता के माध्यम से अर्थागम	60,400.00	26,464.00
एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से दीर्घकालिक ऋण से अर्थागम	-	10,400.00
कैरेंट सरकार के उप ऋण से अर्थागम	15,259.00	-
भारत सरकार के उप ऋण से अर्थागम	3,000.00	6,064.00
शेयर आवेदन धन से प्राप्त अर्थागम	11,223.00	46,868.00
वित्त मूल्य भुगतान	(3,700.54)	(3,005.03)
वित्तीय गतिविधियों से (उपयोगित) प्राप्त कुल नकद प्रवाह (इ)	100,425.30	89,790.97
नकद और नकद समकक्ष में कुल वृद्धि / (कमी) (अ) + (आ) + (इ)	17,944.86	(15,820.19)
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समकक्ष	23,313.91	39,134.10
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	41,258.77	23,313.91

शासित करना

हाथ में नकद

बैंक में बकाया:

- चालू खाता	152.97	1,360.39
-मियारी जमा (वारह महीनों से कम परिपक्वता के साथ)	21,527.61	584.32
उप राजकोष खाते में नकद	19,577.69	21,368.70
प्रतिवर्वदित नकद	0.50	0.50
बैंक में नकद	41,258.77	23,313.91

हमारा रिपोर्ट संलग्न है

कृते के वर्गीस एवं कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
FRN 004525S

कृते एवं निदेशक मंडल की तरफ से

साम वर्गीस

सहायता

M.No.216979

स्थान : कोचिन

दिनांक : 03-10-2017

एलियास जोर्ज

प्रबंध निदेशक

एब्रहाम उम्मन

निदेशक (वित्त)

प्रदीप गोयल

निदेशक (प्रणाली)

बी. अनिल कुमार

कंपनी सचिव

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1.1. संयुक्त संस्था की सूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) एक स्वतंत्र संस्था है और कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

कंपनी का गठन भारत सरकार (जीओआई) और केरल सरकार (जीओके) के बीच समान अधिकारों , इक्विटी शेयर होल्डिंग के साथ, संयुक्त रूप से कोच्ची शहर में मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित एक उपक्रम है। चिरस्थाई संचालन को सुनिश्चित करने के लिए केएमआरएल को मेट्रो नेटवर्क के अनुवर्ती विस्तार ,इसका संचालन , रख-रखाव और संबंधित कार्यकलाप जैसे कार्य भी सौंपा गया है।

1.2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर प्रोद्धवन आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत भारतीय लेखा मानकों (भा.ले.मा.) के अनुसार तैयार किए गए हैं , जो उचित मूल्यों और कंपनी अधिनियम , 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों पर मापा जाता है। भारतीय लेखा मानक , कंपनियों के नियम 3 (भारतीय लेखा मानक), 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत और कंपनी के (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के तहत निर्धारित है।

कंपनी ने सभी भारतीय लेखाकरण मानकों को भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अपनाया है , भारतीय लेखाकरण मानकों का प्रथम बार अपनाया गया है। यह परिवर्तन, कंपनियों के (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत (भारतीय जीएएपी) के अनुसार निर्दिष्ट है।

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए पहला वित्तीय विवरण है। पिछली जीएएपी से भारतीय लेखा मानक के संक्रमण की वजह से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़े असर, वित्तीय प्रस्तुतीकरण और नकद प्रवाह आदि "वित्तीय विवरण के अतिरिक्त सूचना" में नोट सं. 27 में प्रस्तुत किया है।

वित्तीय विवरणों की मूल तैयारी और प्रस्तुतीकरण

निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरण एक ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है-

- क. वित्तीय संपत्तियाँ व देयताएँ और आक्रिस्मक विचार आदि उचित मूल्य पर मापा गया है।
- ख. विक्री के लिए आयोजित संपत्ति - कम लागत पर बेचने के लिए उचित मूल्य पर मापा गया।
- ग. परिभाषित लाभ योजना - उचित मूल्य पर मापा गया योजना की संपत्ति ।

कंपनी इसकी वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में बाज़ार की स्थिति और मौजूदा जोखिम के आधार पर कई तरीके एवं मान्यताओं का उपयोग किया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विधियों में छूट मुक्त नकद प्रवाह, विश्लेषण, उद्धृत बैंक उधार और उधार दरें आदि उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के आकलन करने के सभी तरीकों के मान सामान्य मूल्य के रूप में, और इस तरह के मूल्य को वास्तव में कभी कभी महसूस नहीं किया जा सकता है। तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्य पर नहीं ले जाते हैं, इन उपकरणों के संक्षिप्त पिरिपक्वता के कारण ले जाने वाला अनुमानित उचित मूल्य होगा।

लेखा नीतियों को लगातार लागू किया गया है जहाँ पर एक नए से जुड़ी लेखा मानकों को शुरू में अपनाया गया था या मौजूदा लेखा नीतियों में संशोधन या परिवर्तन करके बदलाव लाने की आवश्यकता है।

1.3. अनुमान और निर्णय का उपयोग

इस वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानकों के मान्यता और माप सिद्धांतों के साथ अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कुछ अनुमानों और मान्यताओं के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा को और इस वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय को प्रभावित करती है। कुछ अनुमानों को दूसरे के मुकाबले में निर्णय लेने में उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। प्रबंधन लगातार उनके अनुमानों व फैसलों का उनको उपलब्ध जानकारी और उसके अनुभवों के आधार एवं विश्वास से निरीक्षण करते हैं ताकि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हो। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसके परिणाम भौतिक हो जाते हैं।

वित्तीय वक्तव्यों की तारीख में अनिश्चितता के आकलन के महत्वपूर्ण स्रोत है निवेशों की हानि, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन के संबंध, स्थगित कर संपत्ति, प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन आदि जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन का कारण हो सकता है।

निवेश की हानि

कंपनी ने सालाना परिशोधन लागत पर किए गए निवेश के अपने मूल्यों का जब हानि के लिए संकेत मिलता है उसी के आधार पर वार्षिक या कई बार मूल्यांकन किया जाता है। यदि बचानेवाली राशि ले जानेवाली राशि से कम है तो हानि के लिए ज़िम्मेदार है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टधीन अवधि के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा करती है। पूँजीकरण को वारंट किए जाने के लिए यदि कोई वस्तु परिसंपत्ति का वर्णन करती है और परिसंपत्ति का कौन सा घटक पूँजीकृत है इसे जानने के लिए धारणाएँ भी बनाई जाती हैं। उपयोगी जीवन का पुनर्मूल्यांकन भविष्य में अवमूल्यन व्यय में परिवर्तित हो सकते हैं।

चालू वर्ष के दौरान प्रबंधन ने निर्धारित किया है कि ऐसा कोई परिवर्तन उपयोगी जीवन और संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य , संयंत्र और उपकरणों में नहीं हुआ है।

अस्थगित कर परिसंपत्ति का मूल्यांकन

प्रत्येक रिपोर्टर्धीन अवधि के अंत में कंपनी अस्थगित कर संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा करती है। स्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। उक्त विषयों की नीति नोट 1.17 में समझाया गया है।

प्रावधान और आकस्मिक देयताएँ

एक प्रावधान पहचाना है कि जब किसी कंपनी की अतीत की घटना के परिणम के रूप में एक वर्तमान दायित्व है और संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्य होगा , जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। प्रावधानों (बीमांकित मूल्यांकन के हिसाब से कर्मचारियों के लाभों के अतिरिक्त) अपने वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं दी गई है और तुलन पत्र में दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान बेहतरीन अनुमानों को प्रतिबंधित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देयताएँ वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति को न तो मान्यता प्राप्त है और न ही पता चलता है।

1.4. राजस्व मान्यता

राजस्व को प्राप्त होने वाले या प्राप्य प्राप्ति के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व के रूप में प्राप्त राशि में रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट, मूल्यवर्धित कर और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र राशि हैं। जब राजस्व की रकम भरोसेमंद रूप से मापा जा सकता है तब कंपनी राजस्व को पहचानती है, संभव है कि यह भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई का प्रवाह करेंगे।

अन्य आय

1.4.1. प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए ब्याज आय प्रोड्यूवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

1.4.2. अन्य आय रसीद प्राप्ति के आधार पर पहचाना जाता है।

1.4.3. मौजूदा वित्तीय वर्ष में किए गए राजस्व और व्यय के वस्तु जो सीधे पूँजीगत संपत्ति के निर्माण से संबंधित नहीं है , उसे लाभ और हानि के विवरण में राजस्व व्यय के रूप में बंद किया जाता है।

1.5. संपत्ति , संयंत्र और उपकरण

भारतीय लेखा मानक के लिए हस्तांतरण के रूप में कंपनी ने पिछली जीएपी के मुताबिक 1 अप्रैल 2015 के रूप में मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्तियों , संयंत्रों और उपकरणों के ले जाने के मूल्य के साथ जारी रखने का विकल्प चुना है और संपत्ति , संयंत्र और उपकरणों के समतुल्य मूल्य के रूप में उसी ले जाने वाले मूल्य का उपयोग किया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मुक्त होलिंग ज़मीन को छोड़कर) को ऐतिहासिक कीमत पर कम जमा अवमूल्यन और हानि इनमें कोई भी कहा जाता है। फ्रीहोल्ड भूमि ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। सकल लेने जाने की राशि निर्धारित करने के लिए कंपनी को लागत मॉडल को अपनाना है।

स्थाई परिसंपत्ति की लागत में उसकी खरीदी मूल्य शामिल है, जिसमें किसी भी आयात शुल्क और अन्य कर वसूलनीय करों का शुद्ध कर और किसी भी प्रत्यक्ष रूप से व्यय का खर्च शामिल होता है जो कि इसके इच्छित उपयोग के लिए उधार लेने के लिए ब्याज सहित परिसंपत्ति तैयार है और यदि किसी भी व्यापार छूट, रिबेट और अन्य आकस्मिक खर्चों का शुद्ध और नष्ट होने, लागत को हटाने और उस साइट को पुनर्स्थगित करने के लिए प्रारंभिक अनुमान है, जिस पर वह स्थित है।

जब संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों के कुछ हिस्सों के विभिन्न उपयोगी जीवन होते हैं तो उन्हें अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित प्रतिस्थापन पुर्जों/प्रमुख निरीक्षण की लागत तब ही पूँजीकृत है जब यह जानी चाहिए कि इन से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाह देंगे और मद की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है।

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान की जानेवाली अग्रिम को अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत पूँजी अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस तरह की तिथि से पहले उपयोग न किए जानेवाली संपत्ति “पूँजीगत काम प्रगति पर” में खुलासा कर रहे हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अगले व्यय केवल तभी पूँजीकृत किए जाते हैं जब यह संभव हो कि इनसे जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाह देंगे और मद की लागत मज़बूती से मापा जा सकता है।

लागत और संबंधित संचित अवमूल्यन को संपत्ति के बिक्री या सेवानिवृत्ति पर वित्तीय वक्तव्य से समाप्त कर दिया जाता है और परिणामी लाभ या हानि लाभ और हानि के ब्यान में मान्यता प्राप्त है। निपटान करने वाली परिसंपत्तियाँ लेनदेन मूल्य के निचले स्तर पर या बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत की सूचना दी जाती है।

1.6. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्ति कम कीमत पर एकत्रित परिशोधन और हानि पर कहा गया है। अमूर्त परिसंपत्तियाँ अपने व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन से सीधी रेखा के आधार पर परिणाम की जाती है उस तारीख से कि वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

ब्रैंडिंग की लागत जो अमूर्त संपत्ति के रूप में पूँजीकृत होती है और पाँच साल की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिमाणीकृत होती है।

उपयोग करने के अधिकार के लिए रेलवे को दी गई राशि (अनुमति) लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूँजीकृत किया गया है और सत्तर वर्ष की अवधि में सीधी रेखा के अधार पर परिशोधित किया गया है।

सॉफ्टवेयर की लागत जो आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग नहीं है, वह अमूर्त संपत्ति के रूप में पूँजीकृत है और पाँच साल की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिमाणीकृत है।

1.7. पूँजीगत काम प्रगति पर (सीडब्ल्युआईपी)

तुलन पत्र की तारीख में निर्माणाधीन परिसंपत्ति की प्रगति मुख्य काम के रूप में दिखाता है। निर्माण गतिविधि से सीधे जुड़े व्यय पूँजीकृत किया जाता है। परियोजना के विविध घटकों को लगाए गए सभी प्रत्यक्ष व्यय का हिसाब प्रगति में मुख्य काम के अंतर्गत रखता है। सामान्य व्यय जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हो, मगर काम के एक से ज्यादा भाग में निर्माण के समय लिया गया खर्च है तो उसको सीडब्ल्युआईपी के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है, वह काम पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों पर बँटवारा करते हैं।

अधीनस्थ ऋण के कारण कम अवधि के जमा पर अर्जित ब्याज कुल सीडब्ल्युआईपी से कटौती की जाती है। डीएमआरसी के लिए प्रदान की गई परियोजना धन पर प्राप्त ब्याज सीडब्ल्युआईपी से कम करते हैं। निर्माण में प्रगति व्यय विवरण के आधार पर किया है और डीएमआरसी द्वारा प्रदान किए गए प्रबंधन प्रमाण पत्र के एमआरएल परियोजना निदेशालय द्वारा स्थापित किया है। निर्माण के दौरान प्राप्त आमदनी जैसे कि अल्पकालिक जमा से प्राप्त ब्याज, इक्विटी या ब्याज मुक्त सहायक कर्ज से प्राप्त तात्कालिक निधि के लागत, निविदा विवरण की बिक्री आदि सीडब्ल्युआईपी से कम किया गया है।

1.8. भूमि

ज़मीन मालिकों द्वारा सौंपा गया भूमि समूह और जिलाधीश द्वारा प्राप्त भूमि के मूल्य को कब्जा लेते समय कंपनी के नाम पर पंजीकरण के लिए इंतज़ार किए बिना पंजीकृत किया है निर्माण के लिए सौंपे गए सरकार के विभिन्न निकायों और विभागों के अंतर्गत आनेवाले भूमि का मूल्य, देय राशि और अन्य शर्तों को अभी तक अंतिम रूप न देने के कारण पंजीकरण नहीं किया गया है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत बढ़े हुए मुआवजे यदि कोई हो, तो राशि के भुगतान के बाद और जब राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है तब भुगतान किया जाएगा।

ज़मीन और भूमि भरने के खर्चों में संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत भूमि की लागत पर लगाई जाती है। के एम आर एल द्वारा निर्माण के लिए ध्वस्त किए गए इन संरचनाओं की बिक्री प्रक्रिया अधिग्रहण की लागत से समायोजित की जाती है।

1.9. परिसंपत्तियों/ वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों का स्तर मूल्य हानि के लिए समीक्षा किया जाता है। यदि ऐसी हानि के किसी भी संकेत, ऐसी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान है और हानि मान्यता प्राप्त है। हानि की पहचान वर्ष में लाभ और हानि के वक्तव्य से की जाती है जिसमें परिसंपत्ति की पहचान बिगड़ा हुआ है।

1.10. मूल्यहास और परिशोधन

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और प्रारंभिक रूप से पहचाने गए किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से की एक वस्तु निपटान पर मान्यता प्राप्त है या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता पर होने वाली किसी भी लाभ/हानि को उसके विवरण में शामिल किया गया है जब परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। अभी तक उपयोग में रहनेवाली पूरी तरह से अवमूल्यन परिसंपत्ति वित्तीय विवरण में रखी गई है।

(iii) परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है ;

कंप्यूटर्स (सर्वर और नेटवर्क)	छः वर्ष
कंप्यूटर्स (अंत उपयोगकर्ता डिवाइज़)	तीन वर्ष
विद्युत उपकरण, उपकरण और प्रतिष्ठान	दस वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	दस वर्ष
कार्यालय उपकरण (*)	पाँच वर्ष
वाहन	आठ वर्ष
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (**)	पाँच वर्ष

(iv) सभी स्थाई परिसंपत्तियों के लिए 5% के अवशिष्ट मूल्य को रखा गया है जो कि अनुसूची 2 के प्रावधानों के अनुरूप है।

(v) 5000 रु. से कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को खुद खरीदते समय व्यय पर लगाया जाता है।

(vi) अमूर्त परिसंपत्ति को अपने उपयोगी जीवन का सब से अच्छा अनुमान के आधार पर व्यवस्थित आधार पर परिशोधित कर दिया जाता है।

(vii) रेलवे को दिए जानेवाले मार्ग छोड़ने के शुल्क को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और 70 साल (**) की अवधि में सीधी रेखा पद्धति पर परिमाणीकृत किया जाता है।

(viii) मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन जैसे कार्यालय उपकरण के तहत समूहीकृत किया गया है , उसका अनुमान तीन वर्षों (*) पर है।

अवशिष्ट मूल्य और संपत्ति , संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियाँ मूल्यहास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

1.11. सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदान उनके मूल्य पर मान्यता प्राप्त है जहाँ तक उचित आश्वासन है कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी ।

आय से संबंधित सरकारी अनुदान की माँग और लाभ या हानि में उन अवधि के साथ जो उन लागतों के साथ मिलन करने के लिए आवश्यक हैं जिन्हें वे दूसरी आय में क्षतिपूर्ति और प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण सहित खरीदी से संबंधित सरकारी अनुदान गैर-वर्तमान देनदारियों में शामिल किए गए आय के रूप में और संबंधित क्षेत्रीय संपत्ति के अपेक्षित जीवन के आधार पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि को जमा कर दिया जाता है विशेषकर अन्य आय में प्रस्तुत किया जाता है।

जब कंपनी को गैर-मैट्रिक परिसंपत्तियों की अनुदान प्राप्त होता है तब परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य मात्रा में दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के कस्पादान के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन के मुकाबले लाभ या हानि के लिए जारी किया जाता है।

जब ऋण या किसी तरह की सहायता वर्तमान लागू बाज़ार दर के नीचे ब्याज दर के साथ सरकारों या संबंधित संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है तो इस हित के प्रभाव को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण या सहायता को शुरू में पहचाना जाता है और उचित मूल्य पर मापा जाता है और सरकार अनुदान 109- वित्तीय साधन के रूप में भारतीय लेखा मानक के अनुसार निर्धारित ऋण के प्रारंभिक स्तर मूल्य के बीच अंतर के रूप में माना जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है।

सरकार अनुदान लाभ या हानि में उस अवधि के आधार पर एक व्यवस्थित आधार पर पहचाना जाएगा जिसमें इकाई को संबंधित लागतों का खर्च माना जाता है जिसको अनुदान की भरपाई के लिए किया जाता है।

1.12. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को जिसे प्रारंभ में उचित मूल्य के रूप में मापा गया था इसे छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य के अधिक लेनदेन लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय संपत्ति निम्नलिखित मापन श्रेणियों का उपयोग करके वर्गीकृत की जाती है;

- उचित मूल्य पर बाद में मापा जाना (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के माध्यम से) और;
- परिशोधित लागत पर मापा जाए

1.13 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता

जब परिसंपत्ति की समाप्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करता है तब कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को नष्ट कर देती है।

1.14 वित्तीय देयताएँ

वित्तीय देयताओं को लाभ और हानि, ऋण और उधार या उचित रूप में उचित वेतन के माध्यम से उचित देयताओं के रूप में वित्तीय देयताओं के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर वर्गीकृत किया गया है।

ऋण, उधार और देयताओं के मामले में प्रत्यक्ष रूप से लेनदेन की कुल लागत आदि सभी वित्तीय देयताएँ प्रारंभ में उचित मूल्य के रूप में पहचाना जाता है।

1.15 वित्तीय देयताओं की मान्यता

प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय देयताओं को प्रभावी व्याज दर विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। फायदे या नुकसान लाभ या हानि या सीडब्ल्यूआईपी में लागू होते हैं जब लागू होते हैं तब लाभार्थियों को प्रभावी हित के परिशोधन के माध्यम से मान्यता दी जाती है।

1.16 संचालन चक्र

कंपनी की परिचालन गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी या नकद समकक्षों में उनके स्थानांतरण के बीच सामान्य समय के आधार पर कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में 12 महीने के रूप में अपना ऑपरेटिंग सकल निर्धारित किया है।

1.17 प्रावधान , आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति

जब किसी कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो , जिसके लिए यह संभव है कि नकद बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की मात्रा किया जा सकता है तो प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। जब तक प्रावधान वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके मापा जाता है तो उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य ही ले जाने वाला मूल्य होता है (जब समय की धनराशी का प्रभाव सामग्री है)। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में इनकी समीक्षा की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिविवेत करने के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है। जब केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित है तब ही प्रतिपूर्ति एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रावधान से संबंधित व्यय कोई भी हो कुल प्रतिपूर्ति के लाभ या हानि के विवरण में प्रस्तुत है।

आकस्मिक देयताओं का खुलासा तब किया जाता है जब कंपनी को संभव दायित्व या वर्तमान दायित्व है और संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह करने की आवश्यकता नहीं होगी। दायित्व को निपटाने के लिए या दायित्व की मात्रा को पर्याप्त विश्वसनीयता से मापा नहीं जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्ति खाते की पुस्तकों में मान्यता प्राप्त नहीं है। अगर यह वास्तव में निश्चित हो गया है कि आर्थिक लाभों का प्रवाह उत्पन्न होगा तो परिसंपत्ति और संबंधित आय उस समय के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें परिवर्तन भी होता है। यदि आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित हो गया है तो एक इकाई आकस्मिक परिसंपत्ति का खुलासा करती है।

1.18 कर लगाना

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई गत वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में , कर की रकम के रूप में वर्तमान कर निर्धारित किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण में दिए गए रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य आय

‘कर से पहले लाभ’ से अलग है क्यों कि आय या व्यय की वक्तुएँ जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाई जाती हैं और जो वस्तुएँ न तो कर योग्य हैं या घटाई गई हैं। कपानी की वर्तमान कर की गणना कर रिपोर्ट की गणना के आधार पर की गई है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से लागू की गई है।

तय किए गए ‘कर’ वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की मात्रा में और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए ‘संबंधी कर’ आधार के बीच अस्थाई मतभेदों पर मान्यता प्राप्त है। निर्धारित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। निर्धारित परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी घटना अस्थाई मतभेदों के लिए मान्यता दी जाती है और यह भी संभव है कि यदि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा तो इसके खिलाफ उन घटना अस्थाई अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

कर की देयताओं और परिसंपत्तियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि की इंतज़ार में है जिसमें देयताएँ लागू होने की उम्मीद की जाती है और कर दरों और कर कानूनों के आधार पर परिसंपत्तियाँ पहचाना जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान और स्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब वे उन वस्तुओं से संबंधित होते हैं , जो अन्य व्यापक आय या इक्किटी से संबंधित वस्तुओं से संबंधित है , मामले में वर्तमान और स्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे इक्किटी में मान्यता प्राप्त है।

1.19 विदेशी मुद्रा लेन देन/अनुवाद

इकाई के वित्तीय विवरणों में शामिल आइटम को प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें (कार्यात्मक मुद्रा) इकाई चलती है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपए (आइएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन कार्यात्मक मुद्रा में संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनियम दर को अपनाते हैं। तुलन पत्र की तारीख के रूप में मौजूद विदेशी मुद्राओं में मौजूद मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताएं , तुलन पत्र की तारीख के अनुसार प्रचलित कार्यात्मक मुद्रा विनियम दर में अनुवादित की जाती है। अवधि के दौरान लेनदेन के निपटारे से उत्पन्न अंतर और तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुवाद के प्रभाव को लाभ और हानि के ब्यान में मान्यता प्राप्त है।

1.20 कर्मचारी सुविधाएँ

भविष्य निधि और पेंशन निधि : कंपनी के योग्य कर्मचारियों को कर्मचारी और कंपनी दोनों को वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत मासिक योगदान करने पर जो भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त होगा। योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में भुगतान किया जाता है।

कर्मचारियों के पेंशन योजना भविष्य निधि योजना के साथ जुड़े हुए हैं। भविष्य निधि के अंदर आनेवाले कंपनी के सभी योग्य कर्मचारी स्वाभाविक रूप से पेंशन निधि के अंतर्गत भी आएगा। कंपनी के जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के बाद के सदस्य बने हो और हर महीने जिनका वेतन 15000/- रुपए से ज्यादा हो वे इपीएफ के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है।

उपर्युक्त सुविधा उस कर्मचारी को मिलेगा जो केएमआरएल में नियुक्त होते वक्त भविष्य निधि का मौजूदा सदस्य हो उपर्युक्त पेंशन निधि में कर्मचारियों से कोई योगदान इकट्ठा नहीं करते बल्कि यह नियोक्ता के योगदान से इकट्ठा करेगा।

उपदान : वास्तविक मूल्यांकन योग्य कर्मचारियों के लिए इस वर्ष में सुविधा प्रदान की है।

अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी : कंपनी कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टियों की फायदा प्रदान करती है। इस खाते में दायित्व वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

छुट्टी यात्रा रियायत : कंपनी के अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को अपने शहर तथा भारत के किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस खाते की योग्य वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

भारतीय लेखा मानक 19 – के तहत परिभाषित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में दी जाने वाली देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टार्डीन अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व का अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एकट्यूरीज़ द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भविष्य के नकद बहिर्वाहों को छोड़कर निर्धारित किया जाता है जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बॉन्ड के बाज़ार उपज का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/व्यय की गणना नेट परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति के लिए छूट दर को लागू करने के द्वारा की जाती है। कुल परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर कुल ब्याज/व्यय को लाभ या हानि के ब्यान में मान्यता प्राप्त है।

वास्तविक मान्यताओं और अनुभव समायोजन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि वे अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें अन्य व्यापक आय में सीधे होते हैं।

1.21. उधार लागत

उधार लागत में ब्याज, ब्याज लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाता है। इसमें एक हृद तक विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होनेवाली आनुषंगी (सहायक), लागत खर्च और विनिमय मतभेद आदि शामिल है।

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से सीधे संबंधित नहीं एक हृद तक धन के उधार के सिलसिले में लागत ऋण का कार्यकाल खत्म होने पर लाभ और हानि के ब्यान में लगाया जाता है। अधीर लेने की लागत अर्हक परिसंपत्ति के लिए आवंटित और उपयोग किया, अर्हक संपत्ति के निर्माण विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से पूँजीकरण के तिथि तक की संपत्ति ऐसी संपत्ति को परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ रहे हैं।

1.22 खंड प्रतिवेदन

कंपनी के लिए सिर्फ एक ही रिपोर्ट करने योग्य व्यापार क्षेत्र है जो विकास, कोच्ची मेट्रो प्रणाली का विकास और रखरखाव है। तदनुसार, ब्यान में प्रदर्शित राशियाँ संपन्नी के एकल के व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं।

1.23 नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह बयान के प्रयोजन के लिए)

नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकद हाथ में सरकारी खजाने और बैंकों के साथ मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य तीन महीने या इससे अधिक के मूल परिपङ्कता के साथ लघु अवधि के शेष हैं, लेकिन अधिग्रहण की तारीख से बारह महीनों से भी कम, अत्यधिक तरल निवेश जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों का तुच्छ जोखिम है।

1.24 नकद प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर सूचित किया जाता है जिससे गैर नकदी प्रकृति के लेन-देन के प्रभावों और पिछले या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी डेफरल या प्राप्ति के प्रभावों के लिए अतिरिक्त साधारण वस्तुओं और करों से पहले लाभ या हानि समायोजित किया जाता है।

1.25 प्रति शेयर आय

इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरोंकी भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के कारण उत्पन्न कुल लाभ या हानि विभाजित करके मूल आय प्रति शेयर के रूप में गणना की जाती है। प्रति शेयर आय पतला गणना के प्रयोजन के लिए, इक्विटी शेयर धारकों और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या के कारण कुल लाभ और हानि सभी पतले संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।

कोटची मेट्रो रेल लिमिटेड
31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण के इनपाई

नोट 2 अ : संपत्ति, संवेदन और उपकरण

राशि (₹. लाखों में)

विवरण	सकल बहु राशि						मूल्यहास					
	1 जून 2016 तक	वर्ष के दौरान	कर्तवी/समझौता	31 मार्च 2017	1 अग्रल 2016 तक	इस वर्ष	अतिरिक्त/अन्य समझौता	बैची गई परिसंपत्ति पर समझौता	31 मार्च 2017	2017 तक	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
भूमि (फ्रॉटलैंड)	55,245.98	2,558.18	-	57,804.16	-	-	-	-	57,804.16	-	55,245.98	-
कंपनी के भूदर्भ	84.18	55.71	-	139.89	56.41	19.57	-	-	75.98	63.91	27.77	-
विजयली अपार्टमेंट्स	36.68	3.23	-	39.91	7.34	3.75	-	-	11.09	28.82	29.34	-
विजयली उपकरण	7.52	-	-	7.52	2.45	0.81	-	-	3.26	4.26	5.07	-
विजयली आपान	100.87	-	-	100.87	26.71	10.36	-	-	37.07	63.80	74.16	-
आग उपरान्ध	0.51	-	-	0.51	0.51	-	-	-	0.51	-	-	-
फार्मिचर और जड़नार	158.46	10.10	-	168.56	42.00	15.99	-	-	57.99	110.56	116.46	-
वायालिय उपकरण	43.37	6.60	0.36	49.61	22.12	10.14	-	0.23	32.03	17.57	21.25	-
संसंग और यंत्र	-	4.55	-	4.55	-	0.02	-	-	0.02	4.53	-	-
वाहन	24.68	-	-	24.68	7.89	3.01	-	-	10.90	13.78	16.79	-
कुल	55,702.25	2,638.37	0.36	58,340.26	165.43	63.66	-	0.23	228.85	58,111.38	55,536.82	55,536.82
एवं वर्त	40,619.14	15,089.08	5.97	55,702.25	110.81	57.73	-	3.11	165.43	55,536.82	40,508.33	

विवरण	सकल बहु राशि						मूल्यहास					
	1 जून 2016 तक	वर्ष के दौरान	कर्तवी/समझौता	31 मार्च 2017	1 अग्रल 2016 तक	इस वर्ष	अतिरिक्त/अन्य समझौता	बैची गई परिसंपत्ति पर समझौता	31 मार्च 2017	2017 तक	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कंपनी भूमि	219.67	74.34	-	294.01	64.32	49.82	-	-	114.14	179.87	155.35	-
कंपनी भूमि के अधिकार	61.60	-	-	61.60	7.09	12.32	-	-	19.41	42.19	54.51	-
रेलवे को वे लीच शुल्क	2,776.22	-	-	2,776.22	55.10	39.66	-	-	94.76	2,681.46	2,721.12	-
कुल	3,057.49	74.34	-	3,131.83	126.51	101.80	-	-	228.31	2,903.52	2,930.98	2,930.98
एवं वर्त	2,844.56	212.93	-	3,057.49	39.47	87.04	-	-	126.51	2,930.98	2,805.09	

टिप्पणी :

2.1. कंपनी 31 मार्च 2017 तक 31.14 हेक्टर प्राइवेट भूमि (पूर्ण वर्त 30.65 हेक्टर) को बें ते लिया।

2.2. एंटीक्रूट पूर्ण भारिकों और दिवाना स्तर छर्टरी समिति के दीवान भूमि को वर्त में सहायता प्राप्त की है। कंपनी ने इन भूमियों की दूसरे के लिये केरल सरकार से संपर्क किया तब से पंजीकरण शुल्क और स्टोप शुल्क पर झारदा दिवार नहीं दे रहा।

2.3. कंपनी को नाम भूमि का पंजीकरण प्रक्रिया शुरू है।

2.4. विभिन्न समाकार निकायों/विभागों से जुड़कर 1,63 हेक्टर भूमि में मेंटो का काम एक हड तक चल रहा है। किमत की लावित अंतिम रूप, स्थानांतरण औपचारिकताओं और अन्य वस्तुओं एवं स्थितियों आदि स्थापित समझौतों में शामिल नहीं होता।

2.5. केरल समाकार के अधिकार में नहीं आविष्ट जमिन को अधिकार में है उसे परिसंपत्ति विभाग को लिए के एम आर एल को दिया है। इनके खरीदारी समझौतों में नहीं जोड़ा गया है। अतः इस पर अधिकार नहीं दिया गया है।

2.6. इस वर्त के दीवान राजन्य विभाग के रेजिस्ट्री में नहीं जोड़ा गया है।

2.7. कंपनी ने रेलवे की धरारी पर कार्ड संग्रहीत के लिया दर्दिया रेलवे को रेजिस्ट्रेशन-ग्राहक के समानता पर लिया गया है। उसके कारबाह का वात्रांश 99% के समानता पर लिया गया है। वह रकम असाध परिमाणों में और 70 वर्त के लिये एक प्राप्ति के रूप में दिवाया रेलवे के साथ इकठ्ठी समझौता का प्राप्ति किया है।

2.8. मोबाइल फोन पर दिवार के लिए विचार करें तो कार्यालय उपकरण के अंतर्गत है और इसका उपयोगी जीवन का हैचा तीन वर्ष के लिए किया गया है।

कोङ्गी मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

कोङ्गी मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी

राशि (रु. लाख में)			
नोट 2 आ) पूँजी काम की प्रगति	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) कोङ्गी मेट्रो रेल परियोजना- फेस 1	299,879.88	199,877.76	105,252.80
ख) फेस II (विस्तारण)	795.30	789.15	657.25
कुल	300,675.18	200,666.91	105,910.05

राशि (रु. लाख में)			
नोट 3 आ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) एस ए पी	7.68	7.68	93.30
ख) डिजिटल डोकुमेंट फिल्मिंग सिस्टम (डी डी एफ एस)	2.58	-	-
कुल	10.26	7.68	93.30

राशि (रु. लाख में)			
नोट 4 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (चालू रहित)	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) केरल सरकार से प्राप्त (ई डी सी ऋण)	9,067.07	4,742.28	19.95
ख) सुरक्षा जमा (असुरक्षित और सही माना गया माल)			
i) दूरभाष जमा	0.63	0.61	0.41
ii) सुरक्षा जमा - कास्टिंग यार्ड भूमि	308.90	283.92	260.96
iii) सुरक्षा जमा - अन्य	53.42	45.93	27.45
कुल	9430.02	5072.74	308.77

राशि (रु. लाख में)			
नोट 5: अन्य चालू रहित परिसंपत्तियाँ (चालू रहित)	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) केरल सरकार से प्राप्त' (वैटिला-पेट्टा एल ए)	5,282.85	-	-
ख) अग्रिम पूँजी (असुरक्षित और सही माना गया)			
i) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को परियोजना अग्रिम	2184.38	18,125.31	17,536.44
ii) जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण	6943.90	4,678.59	13,783.74
iii) जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण (पेट्टा विस्तारण)	717.15	6,000.00	-
ग) प्रीपेड व्यव			
i) प्रीपेड खर्च - आर ओ यू रेलवे भूमि	64.12	66.14	68.16
ii) प्रीपेड खर्च - भूमि के लिए मकान का किराया	-	1.91	25.96
iii) प्रीपेड खर्च - भूमि के लिए पट्टा किराया	2.10	2.64	2.07
घ) कर का लगाव (कुल प्रावधान)	254.39	161.39	69.81
ड.) अन्य	-	0.01	-
कुल	15,448.89	29,035.99	31,486.18

कोड्डी मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

	राशि (रु. लाख में)		
नोट 7: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ [चालू]	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) केरल सरकार से प्राप्त (ई डी सी उधार)	1,007.45	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना गया, जब तक कुछ और बताया न गया हो			
(i) अर्जित ब्याज	177.85	2.90	2.08
(ii) काम जमा	9.38	15.51	-
(iii) सरकारी प्राधिकारियों के साथ वकाया	-	0.77	-
(iv) केरल सरकार से प्राप्त (प्रारंभिक काम)	999.60	1,731.15	-
(v) सुरक्षा जमा	35.92	35.22	-
vi) अन्य कर्मचारी अग्रिम	16.72	2.95	2.84
(vii) अन्य	139.16	0.39	17.54
कुल	2,386.08	1,788.89	22.46

	राशि (रु. लाख में)		
नोट 8 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ [चालू]	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
अ) प्रीपेड व्यय	57.75	91.58	104.01
आ) प्रीपेड व्यय - आर ओ यू रेलवे भूमि	2.02	2.02	2.02
इ) प्रीपेड व्यय - भूमि के लिए पट्टा किराया	1.91	24.06	24.06
ई) प्रीपेड व्यय - मकानों का किराया	2.93	2.66	2.47
उ) यात्रा अग्रिम	0.32	0.54	1.55
कुल	64.93	120.86	134.11

	राशि (रु. लाख में)		
नोट 10 : अन्य इक्विटी	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) शेयर आवेदन पैसे अनिर्णीत आवंटन			
i) भारत के राष्ट्रपति	-	11,223.00	-
ii) केरल के राज्यपाल	-	-	5,645.00
कुल	-	11,223.00	5,645.00
ख) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष			
वर्ष के प्रारंभ में वकाया	(2,360.38)	(345.26)	(327.39)
जोड़ें : चालू वर्ष के कुल अतिरिक्त विस्तृत आय	(1,470.35)	(2013.42)	(17.87)
कमी : प्रारंभिक शेष में पूर्व समय के समन्वीता	-	(1.70)	-
वर्ष के अंत में वकाया	(3,830.73)	(2360.38)	(345.26)
कुल :	(3,830.73)	8862.62	5299.74

कोड्डी मेट्रो रेल लिमिटेड
31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणी

टिप्पणी 9 : इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	31 मार्च 2017 तक			31 मार्च 2016 तक			1 अप्रैल 2015 तक		
	संख्या	राशि (रुपाएँ में)	संख्या	राशि (रुपाएँ में)	संख्या	राशि (रुपाएँ में)	संख्या	राशि (रुपाएँ में)	संख्या
अधिकृत प्रत्येक 100 रुपए की इक्विटी शेयर	200,000,000	200,000	200,000,000	200,000	200,000,000	200,000	200,000,000	200,000	200,000,000
प्रदान किया हुआ, सदस्यता प्राप्त और पूर्ण भुगतान किया हुआ									
प्रत्येक 100 रुपए की इक्विटी शेयर पूर्ण भुगतान किया	150,746,000	150,746	128,300,000	128,300	128,300,000	128,300	87,010,000	87,010,000	87,010,00

शेयरों की संख्या और बकाया तकद का समाप्तेजन

विवरण	31 मार्च 2017 तक			31 मार्च 2016 तक			1 अप्रैल 2015 तक		
	संख्या	राशि (रुपाएँ में)	संख्या	राशि (रुपाएँ में)	संख्या	राशि (रुपाएँ में)	संख्या	राशि (रुपाएँ में)	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयर	128,300,000	128,300	87,010,000	87,010	21,500,000	21,500,00			
वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त शेयर	22,446,000	22,446	41,290,000	41,290	65,510,000	65,510,00			
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	150,746,000	150,746	128,300,000	128,300	87,010,000	87,010,00			

9.1 कंपनी में 5% शेयर से ज्ञाता शेयर पकड़ने वाले शेयरधारियों का विवरण
इक्विटी शेयर

शेयरधारियों के नाम	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
शेयरधारियों की संख्या	पकड़ने की संख्या	शेयरों की संख्या	पकड़ने की संख्या
भारत के राष्ट्रपति	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
केन्द्र के राज्यपाल	50	64,150,000	43,505,000
	50	64,150,000	43,505,000

विवरण	31 मार्च 2017 तक			31 मार्च 2016 तक			1 अप्रैल 2015 तक		
	पकड़ने की संख्या	शेयरों की संख्या	पकड़ने की संख्या	पकड़ने की संख्या	शेयरों की संख्या	पकड़ने की संख्या	पकड़ने की संख्या	शेयरों की संख्या	पकड़ने की संख्या
भारत के राष्ट्रपति	75,373,000	50	64,150,000	50	43,505,000	50	43,505,000	50	43,505,000
केन्द्र के राज्यपाल	75,373,000	50	64,150,000	50	43,505,000	50	43,505,000	50	43,505,000

9.2 कंपनी को एक स्तरीय इक्विटी शेयर है जिसमें प्रत्येक शेयर के 100 रु. के अधिकमूल्य है। प्रत्येक शेयरधारी समय-समय पर लाभांश प्राप्त होने का हकदार है और कंपनी के बैठकों में प्रत्येक शेयर के लिए हकदार भी है। परिसमापन के संदर्भ में इक्विटी शेयरधारियों पूरी तरह से ही नकदों के वितरण के बाद यदि कुछ है तो अपने द्वारा पकड़े गए, शेयर के हिसाब से कंपनी के बाकी संपत्तियों प्राप्त होने के लिए योग्य है।

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

राशि (रु. लाख में)

नोट 11 : उद्धार (चालू रहित)	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) अल्पकालिक ऋण (सुरक्षित)			
i) सहायता के माध्यम से पारित-भारत सरकार	103,043.00	42,643.00	16,179.00
ii) कैनरा बैंक	39,222.68	24,977.55	21,976.24
iii) एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक (भूमि अधिग्रहण)	32,940.00	36,600.00	36,600.00
iv) एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक (वैट्रिला- पेट्रा भूमि अधिग्रहण)	9,360.00	10,400.00	-
ख) ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (असुरक्षित)			
i) भारत सरकार	2,033.79	1,516.49	9,195.00
ii) केरल सरकार	5,179.70	3,042.50	30,625.00
कुल	191,779.17	119,179.54	114,575.24

11.1 भारत सरकार द्वारा एजेंसी प्राइंजेसी डी विकास के बीच प्राप्त क्रेडिट दायित्व समझौते के आधार पर सहायता के माध्यम से पारित करने की प्रावधान है। एक फैंच पब्लिक निधीयन एजेंसी और भारत सरकार इसका उधार लेनेवाले हैं। भारत सरकार के संप्रभु गैरंटी द्वारा उधार सुरक्षित है। भारत सरकार के उचित प्रावधानों के अनुसार ऋण कई भागों में विभाजित है। इसके सूद मूल्य छः महीने में बदल जाएगा और उसका मार्जिन 155 तक होगा। प्रत्येक वर्ष में 15 मार्च और 15 सितंबर नियत तारीख होगी। पूँजी रकम को वापस भरने के लिए अधिस्थवत अवधि के बाद पाँच वर्ष के अंदर 40 समतुल्य किश्तों में छः महीने में भर सकते हैं। प्रथम किश्त की नियत तारीख 15 सितंबर 2019 और अंतिम किश्त 15 मार्च 2039 होगी। इस वर्ष के दौरान कंपनी को 604 करोड़ रुपए भारत सरकार की सहायता से पारित होकर मिल चुके हैं। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने सूद के रूप में 7.59 करोड़ रुपए भारत सरकार को भर दिया है।

11.2 पूर्व वर्ष में कंपनी ने कैनरा बैंक के साथ 1,170 करोड़ रुपए के लिए अवधि ऋण का समझौता किया था। पूँजी नकद को वापस भरने का अधिस्थगत अवधि जून 2020 तक है। ऋण तीन महीने में 52 समतुल्य किश्तों के रूप में भरता है और यह वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होगी। कैनरा बैंक के उपर्युक्त नकद की आधार दर 0.60% सूद मूल्य है और कंपनी की पूरी परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार से मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि और सुरक्षा होगी। वर्ष के दौरान कंपनी ने 142.43 करोड़ रुपए निकाल दिया और 29.41 करोड़ व्याज भी चुका लिया।

11.3 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 12 जुलाई 2012 के आदेश सं.के - 14011/37/2005-एम आर टी एस-IV के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना की अनुमति लेते वक्त सूचित किया था कि भूमि अर्जन के मूल्य 672 करोड़ रुपए केरल सरकार के सूद मूल्य ऋण के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन इसके विपरीत केरल सरकार ने 31 मार्च 2016 तक सिर्फ 306.25 करोड़ ही दिए हैं। वाकी नकद के लिए केरल सरकार ने यही निर्णय लिया कि केरल सरकार के लिए केरल आरएल उधार ले और वाकी उपक्रण की देन की प्रावधान केरल सरकार देंगी। केरल सरकार के दिनांक 25.03.2015 के आदेश सं. 20/2015/ट्रांस के तहत भूमि अधिग्रहण की दिशा में एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से 366 करोड़ रुपए अवधि उधार लेने की अनुमति दी है। तदनुसार कंपनी ने एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक के साथ अवधि ऋण लेने की अनुमति मण्डल के 19 वाँ बैठक में दी है। उधार के कुल कार्यकाल 12 वर्ष होंगे उनमें 2 साल अधिस्थगित अवधि होगी वाकी 10 सालों में वार्षिक भुगतान के रूप में वापस भरना है। सूद मूल्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सूद से 0.05% कम है। प्रत्येक 3 सालों में सूद मूल्य में परिवर्तन आएगा। सूद के साथ ऋण वापस भरने का कार्य केरल सरकार ने शुरू कर दिया है। कंपनी ने पूर्व वर्ष 2014-15 में पूरे ऋण का नकद 366 करोड़ रुपए केरल सरकार के निर्देशानुसार ले लिया।

केरल सरकार के दिनांक 30.4.2015 के आदेश सं. 24/2015 ट्रांस के तहत वैट्रिला-पेट्रा सड़क के विस्तार की दिशा में एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से 104 करोड़ रुपए अवधि उधार लेने की अनुमति दी है। तदनुसार कंपनी ने एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक के साथ अवधि ऋण लेने की अनुमति मण्डल के 19 वाँ बैठक में दी है। उधार के कुल कार्यकाल 12 वर्ष होंगे और उनमें 2 साल अधिस्थगित अवधि होगी वाकी 10 सालों में वार्षिक भुगतान के रूप में वापस भरना है। सूद मूल्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सूद से 0.05% कम है। प्रत्येक 3 सालों में सूद मूल्य में परिवर्तन आएगा। सूद के साथ ऋण वापस भरने का कार्य केरल सरकार ने शुरू कर दिया है। कंपनी ने इस वर्ष में पूरे ऋण 104 करोड़ रुपए केरल सरकार के निर्देशानुसार ले लिया।

केरल सरकार के दिनांक 12 जुलाई 2012 के अनुमोदन सं. के-14011/37/2005 एम आर टी एस - IV के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कुल परियोजना लागत में शामिल कर्तों का हिस्सा भारत सरकार और केरल सरकार ने समान रूप से लिया है। व्याज मुक्त राशी उप तालमेल ऋण के रूप में जारी किया जाएगा। भारत सरकार और केरल सरकार दोनों का शेयर 248.50 करोड़ ही जाएगी। उसी आदेशानुसार इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत अनुमान 672 करोड़ रुपए भी व्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

11.5 वर्ष के दौरान भारत सरकार की ओर से कंपनी को केंद्रीय कर की दिशा में व्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में 30 करोड़ रुपए और केरल सरकार की ओर से 152.59 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

11.6 अधीनस्थ ऋण वरिष्ठ अवधि की अद्यगी के बाद प्रतिदेय है। चुकौती अनुसूची और इन ऋणों के अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार और केरल सरकार जारी किए जानेवाले हैं।

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

नोट 12: अन्य वित्तीय देयताएँ [चालू रहित]	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) अवधारण	94.78	141.18	84.40
ख) सुरक्षा जमा	16.49	13.74	0.30
ग) ईडीसी ऋण पर व्याज	9,067.07	4742.28	19.95
घ) नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त सविस्तरी	-	144.00	-
कुल	9,178.34	5,041.20	104.65

नोट 13 : प्रावधान [चालू रहित]	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान			
क) उपदान के लिए प्रावधान	76.30	28.55	17.06
ख) अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	108.91	50.87	33.71
ग) अर्ध वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान	72.76	28.35	19.63
घ) छुट्टी यात्रा रियायत की प्रावधान	-	4.32	-
कुल	257.97	112.09	70.40

नोट 14: अस्थगित कर देयताएँ [चालू रहित]	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
अस्थगित कर देयताएँ			
स्थाई परिसंपत्तियों के बुस अथर्शेष और कर अथर्शेष का अंतर	-	(2.06)	141.97
अस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
अस्वीकृत मूल्यहास और हानि	-	2.06	(139.91)
कुल	-	-	2.06

नोट 15: अन्य चालू रहित देयताएँ	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
अग्रिम रूप में प्राप्त आय	-	87.71	-
कुल	-	87.71	-

नोट 16 : सरकारी अनुदान [चालू रहित]	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) उप ताल मेल ऋण - भारत सरकार	16447.45	13,784.00	-
ख) उप ताल मेल ऋण - केरल सरकार	41129.68	27,582.50	-
ग) शहरी परिवहन योजना के लिए सी एफ ए	226.73	-	-
कुल	57,803.86	41,366.50	-

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणी

नोट 17 : उधार [चालू]	राशि (रु. लाख में)		
	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक (भूमि अधिग्रहण)	3660.00	-	-
ख) एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक (वैट्टिला-पेट्टा भूमि अधिग्रहण)	1040.00	-	-
	4,700.00	-	-

नोट 18 : अन्य वित्तीय देयताएँ [चालू]	राशि (रु. लाख में)		
	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
सुरक्षित			
क) सूद प्राप्त लेकिन उधार नियत नहीं	1,184.16	114.87	81.64
असुरक्षित			
क) नई एवं नवीकरण मंत्रालय से प्राप्त सन्ति	144.00	-	-
ख) अन्य देनदारियाँ			
i) प्राप्त व्यापार/सुरक्षा जमा	245.26	179.29	124.88
ii) भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	7,547.45	9,267.83	6,773.27
iii) अन्य			
1.परियोजना से संबंधित देयताएं	3,382.96	3,234.53	4,294.61
2.केरल रोड निधि बोर्ड	-	-	1,471.79
3.केरल सरकार	5,686.38	1,765.62	377.34
4.सड़क का काम	-	149.30	-
5.प्रारंभिक काम	856.91	355.89	-
6.अन्य	370.15	353.20	188.64
कुल	19417.27	15420.53	13312.17

नोट 19: अन्य चालू देयताएँ [चालू]	राशि (रु. लाख में)		
	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
क) सांविधिक भुगतान	93.32	70.53	17.26
ख) अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	87.72	-	-
कुल	181.04	70.53	17.26

नोट 20 : प्रावधान [चालू]	राशि (रु. लाख में)		
	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
कर्मचारी सुविधा के लिए लाभ			
क) उपदान के लिए प्रावधान	11.36	0.34	0.14
ख) अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	15.40	15.51	6.98
ग) अर्थ वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान	10.47	13.47	3.75
घ) छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	18.88	4.74	-
कुल	56.11	34.06	10.87

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणी

राशि (रु. लाख में)

नोट 21: अन्य आय	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
क) बैंक जमा से सूद	46.30	451.73
ख) अन्य गैर-सहकारिता आय	605.26	102.17
ग) सुरक्षा जमा के तनाव से आय	27.61	25.34
घ) उचित मूल्य अंतर - एस डी प्राप्त	0.21	2.74
कुल	679.38	581.99

22.1 अन्य परिचालन आय

i) आवेदन/निविदा प्रसंस्करण शुल्क	3.12	5.06
ii) परिसंपत्ति की विक्री पर लाभ	-	0.01
iii) आय कर वापसी पर सूद	4.11	0.58
iv) अन्य आय- डी एम आर सी	531.21	96.52
v) परिसमापन हजारना	6.34	-
vi) परामर्श आय	40.98	-
vii) अन्य	19.50	-

राशि (रु. लाख में)

नोट 22 : कर्मचारी	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
क) वेतन और मज़दूरी	348.35	257.15
ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में दान	34.15	23.37
ग) उपादान खर्च	12.06	5.27
घ) कर्मचारी कल्याण खर्च	122.65	70.58
कुल	517.21	356.37

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणी

राशि (रु. लाख में)

नोट 23 : वित्तीय मूल्य	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
क) सहायता के माध्यम से पारित ब्याज - भारत सरकार		
i) कुल ब्याज (अ)	774.23	471.97
ii) निर्माण के दौरान व्यय (आ)	774.23	471.97
iii) लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (अ-आ)	-	-
ख) कैनरा बैंक उधार पर ब्याज		
i) कुल ब्याज (अ)	2,988.15	2566.30
ii) निर्माण के दौरान व्यय (आ)	2,988.15	2566.30
iii) लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (अ-आ)	-	-
ग) अधीनस्थ उधार पर ब्याज		
i) अधीनस्थ उधार पर ब्याज व्यय (अ)	606.14	41.49
ii) निर्माण के दौरान व्यय (आ)	0.00	0.00
iii) लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (अ-आ)	606.14	41.49
घ) प्रतिधारणा धन जमा पर ब्याज		
i) प्रतिधारणा धन जमा पर ब्याज व्यय के तनाव (अ)	17.08	15.91
ii) निर्माण के दौरान व्यय (आ)	12.82	15.00
iii) भारत सरकार को देय (इ)	2.30	0.45
iv) लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (अ-आ-इ)	1.96	0.45
च) सुरक्षा जमा पर ब्याज		
i) सुरक्षा जमा पर ब्याज व्यय के तनाव (अ)	1.45	0.04
ii) लाभ और हानि के विवरण में कुल स्थानांतरण (अ)	1.45	0.04
कुल - लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरण	609.55	41.98

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणी

राशि (रु. लाख में)

नोट 24 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
अ)स्पष्ट परिसंपत्तियों में मूल्यहास	63.65	57.73
ख)अस्पष्ट परिसंपत्तियों में ऋणमुक्ति व्यय	101.80	87.04
कुल	165.45	144.77

नोट 25 : अन्य व्यय	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
आयोजन और संवर्धन	-	36.97
किराया, मूल्य और कर	35.52	43.93
बिजली और इंधन	30.35	11.16
सड़क का काम	255.09	1218.80
मरम्मत और रख-रखाव	105.00	28.07
यात्रा और वाहन का कार्य	23.68	102.47
मुद्रण और लेखन सामग्री	26.35	11.43
विज्ञापन और प्रचार	35.02	37.54
बीमा	0.49	0.51
लेखा परीक्षकों के बेतन (टिप्पणी 25.1 पर ध्यान दें)	7.03	4.76
कार्यालय खर्च	148.01	97.19
कानून और पेशेवार	35.02	117.04
पौधा लगाने का व्यय	31.02	53.88
बैंक प्रभार	(12.58)	47.29
दान	-	-
समूह मीडिया और धारणा प्रबंधन	54.73	54.38
भर्ती का व्यय	-	4.20
साइनेज बोर्ड	0.48	117.91
स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री में हानि	0.06	0.15
विविध व्यय	50.53	40.93
प्रीपेड व्यय के तनाव	26.72	26.52
कुल	852.52	2055.13

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2017 तक समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणी

राशि (रु. लाख में)

25.1 लेखा परीक्षकों के वेतन	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
-----------------------------	------------------	------------------

i) लेखा परीक्षा शुल्क (सेवा कर सहित)	4.04	3.48
ii) अन्य सेवा	1.43	0.68
iii) व्यय की अदायगी	1.56	0.60

राशि (रु. लाख में)

नोट 26 : प्रत्येक इक्स्ट्री शेयर से प्राप्त कमाई	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
कर के बाद कुल लाभ/ (हानि) (रु. लाख में)	(1,470.35)	(2,013.42)
इक्स्ट्री शेयरों की संख्या	14,16,14,975	99,965,027
प्रत्येक शेयर के मूल एवं विरोधी पतला आय (ई पी एस) (रुपए में)	(1.04)	(2.01)

नोट 27: वित्तीय विवरण की अतिरिक्त जानकारी

27.1 भारतीय लेखा मानकों की पहली बार स्वीकृति

31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के यह वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए पहला वित्तीय विवरण है। कंपनी ने 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले और इसके अंतर्गत वर्ष के अवधि के लिए भारतीय जी ए ए पी के अनुसार, लेखांकन मानकों को कंपनी (लेखा मानकों) नियम, 2006 (अधिसूचित रूप में) सहित अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।

तदनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त या उसके बाद के वर्ष के लिए वित्तीय विवरण जो कि भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन में, साथ ही साथ 31 मार्च 2016 को या उसके बाद समाप्त होने वाली अवधि के लिए तुलनात्मक अवधि के आँकड़ों, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सारांश में वर्णित के साथ तैयार किया है। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी की प्रारंभिक तुलन पत्र भारतीय लेखाकरण मानक को कंपनी द्वारा हस्तांतरित तिथि 1 अप्रैल 2016 को तैयार की गई थी। नीचे दिए गए नोट में कंपनी द्वारा अपने भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों को पुनर्स्थापित करने में प्रमुख समायोजन बताए गए हैं, इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2015 तक का तुलन पत्र और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण भी शामिल है।

27.1.1. भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपने पर ली गई छूट

भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाने वालों को भारतीय लेखा मानकों के तहत कुछ आवश्यकताओं के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से कुछ छूट प्रदान करता है। कंपनी ने निम्नलिखित छूटें लागू की हैं:

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति के लिए देय लागत

कंपनी ने 1 अप्रैल , 2016 (संक्रमण तिथि) से अपनी सभी संपत्तियों , संयंत्रों और उपकरणों और अमूर्त संपत्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त, जो पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है, को अपने सारी संपत्तियों के मूल्य को अपने साथ जारी रखने के लिए चुना है।

ख. किसी व्यवस्था में पट्टा शामिल है कि नहीं इसका निर्धारण

भारतीय लेखा मानक 17 का अनुबंध ग में यदि करार या व्यवस्था के शुरुआत में एक करार या व्यवस्था में एक पट्टा शामिल है, इसका आकलन करने हेतु एक इकाई की आवश्यकता है। हालांकि, कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक 101 की छूट के रूप में इस्तेमाल किया है और संक्रमण के समय एम्बेडेड पट्टों के आधार पर और उस जगह के स्थितियों के आधार पर सभी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया।

ग. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय ऋणों का उन्मूलन

कंपनी ने संभावित रूप से भारतीय लेखा मानक को हस्तांतरित तिथि पर या उसके बाद होने वाले लेन देन के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय ऋणों के लिए उन्मूलन आवश्यकताओं को लागू करने के लिए चुना है।

घ. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और माप

कंपनी ने वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप भारतीय लेखा मानकों को हस्तांतरण की तारीख में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया है।

ड. वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी ने वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप भारतीय लेखा मानकों को हस्तांतरण की तारीख में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया है। कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं को पिछली बार लागू किया था ; हालांकि, भारतीय लेखा मानक 101 के अनुमति के अनुसार , इसने उचित और समर्थन योग्य जानकारी का उपयोग किया है जो बिना किसी अनुचित लागत या उस तिथि पर क्रेडिट जोखिम को निर्धारित करने के प्रयास के बिना उपलब्ध है , जो कि वित्तीय साधनों को हस्तांतरण की तारीख में क्रेडिट जोखिम के साथ तुलना करने के लिए शुरू में पहचाने गए थे।

27.1.2. समायोजन

निम्नलिखित समायोजन भारतीय लेखा मानकों के अनुसार भारतीय जीएएपी से भारतीय लेखा मानकों को हस्तांतरित करने का प्रभाव प्रदान करता है।

1. 1 अप्रैल 2015 और 31मार्च, 2016 तक इक्विटी

2. मार्च 31, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए कुल लाभ

**27.1.3. इंडिस्ट्री का समायोजन जैसा कि भारतीय लेखा मानक को पहले आईजीएएपी के तहत रिपोर्ट किया गया था
राशि (रु लाख में)**

विवरण	1 अप्रैल 2015 तक प्रारंभिक तुलन पत्र			31 मार्च 2016 तक अंतिम तुलन पत्र		
	पिछली जीएएपी	भारतीय लेखा मानकों को हस्तांतरण पर समंजन	भारतीय लेखा मानक	पिछली जीएएपी	भारतीय लेखा मानकों को हस्तांतरण पर समंजन	भारतीय लेखा मानक
परिसंपत्तियाँ						
(1) चालू रहित परिसंपत्तियाँ						
(क) संपत्तियाँ, संयंत्र और उपकरण	40,508.33	-	40,508.33	55,536.82	-	55,536.82
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	1,05,953.76	(43.71)	1,05,910.05	2,00,601.76	65.15	2,00,666.91
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	2,805.09	-	2,805.09	2,930.98	-	2,930.98
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	93.30	-	93.30	7.68	-	7.68
(ए) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					-	-
(i) निवेश	-	-	-	-	-	-
(ii) प्राप्त व्यापार	-	-	-	-	-	-
(iii) ऋण		-	-	-	-	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	363.33	(54.56)	308.77	5,105.19	(32.45)	5,072.74
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (कुल)	-			-	-	-
(छ) अन्य चालू रहित परिसंपत्तियाँ	31,503.88	(17.70)	31,486.18	29,150.50	(114.51)	29,035.99
(2) चालू परिसंपत्तियाँ						
(क) आविष्कार	-	-	-	-	-	-
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					-	-
निवेश					-	-
(i) प्राप्त व्यापार	-	-	-	-	-	-
(ii) नकद और नकद समकक्ष	39,134.10	-	39,134.10	23,313.91	-	23,313.91
(iii) अन्य बैंक रोकड बाकी	-			-	-	-
(iv) ऋण	-	-	-	-	-	-
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	22.46	-	22.46	1,909.44	(120.55)	1,788.89
(c) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	120.50	13.61	134.11	254.05	(133.19)	120.86
कुल परिसंपत्तियाँ	2,20,504.75	(102.36)	2,20,402.39	3,18,810.33	(335.55)	3,18,474.78

इक्किटी एवं देयताएँ

इक्किटी

(क) इक्किटी शेयर पूँजी	87,010.00	-	87,010.00	1,28,300.00	-	1,28,300.00
(घ) अन्य इक्किटी	5,357.02	(57.28)	5,299.74	8,953.16	(90.54)	8,862.62
देयताएँ						
(1) चालू रहित देयताएँ						
(क) वित्तीय देयताएँ						
(i) उधार	1,14,599.00	(23.76)	1,14,575.24	1,60,527.00	(41,347.46)	1,19,179.54
प्राप्त व्यापार						
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	127.27	(22.62)	104.65	5,065.66	(24.46)	5,041.20
(घ) प्रावधान	70.40	-	70.40	112.09	-	112.09
विलंबित कर देयताएँ (कुल)				-	-	-
अन्य चालू रहित देयताएँ		-	-	87.71	-	87.71
(ग) विलंबित कर देयताएँ	2.06	-	2.06			
(घ) अन्य चालू रहित देयताएँ						
(ड.) सरकारी अनुदान	-	-	-	-	41,366.50	41,366.50
(2) चालू देयताएँ						
(क) वित्तीय देयताएँ					-	-
(i) लघु अवधि की उधारी				-	-	-
(ii) प्राप्त व्यापार	-		-	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	13,310.87	1.30	13,312.17	15,660.12	(239.59)	15,420.53
(घ) अन्य चालू देयताएँ	17.26	-	17.26	70.53	-	70.53
(घ) प्रावधान	10.87	-	10.87	34.06	-	34.06
कुल इक्किटी एवं देयताएँ	2,20,504.75	(102.36)	2,20,402.39	3,18,810.33	(335.55)	3,18,474.78

27.1.4 समायोजन जैसा कि भारतीय लेखा मानक को पहले आईजीएएपी के तहत रिपोर्ट किया गया था

रुपए (लाख में)

विवरण	31.03.2016 तक समाप्त वर्ष		
	पिछली जीएएपी	भारतीय लेखा मानकों को हस्तांतरण पर समंजन	भारतीय लेखा मानक
I संचालन से राजस्व	-	-	-
II अन्य आय	452.26	129.73	581.99
III कुल राजस्व ((I + II))	452.26	129.73	581.99

IV व्यय:

प्रयुक्त सामग्री की लागत	-	-	-
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीदी	-	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	358.93	-2.56	356.37
वित्तीय व्यय	0	41.98	41.98
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	144.77	0.00	144.77
अन्य व्यय	1934.12	121.01	2055.13
पूर्वकालीन व्यय	1.7	-1.70	0.00
कुल खर्च (IV)	2439.52	158.73	2598.25

V कर देने से पूर्व लाभ (III - IV)	(1,987.26)	(29.00)	(2,016.26)
--	-------------------	----------------	-------------------

VI कर व्यय:

(1) चालू कर	(3.34)	(3.34)
(2) पूर्व कर समंजन		
(3) आस्थगित कर	(2.06)	(2.06)

VII अवधि के लिए लाभ (हानि) (V - VI)	(1,981.86)	(2,010.86)
--	-------------------	-------------------

VIII अन्य व्यापक आमदनी

क (i) ऐसे आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे

अ) पोस्ट रोजगार लाभ दायित्वों के पुनः माप	(2.56)	(2.56)
आ) एफबीओसीआई इक्विटी उपकरण के उचित मूल्य में परिवर्तन		
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे		
ख (i) ऐसे आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे		
अ) नकदी प्रवाह हेजिंग उपकरणों पर लाभ/हानि पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		
	-	(2.56)
		(2.56)

इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VII+ VIII) (वर्ष के लिए लाभ

IX और अन्य व्यापक आय (हानि) (जोड़ें)	(1,981.86)	(2,013.42)
VIII प्रत्येक इक्विटी शेयर पर उपार्जन	(1.98)	(2.01)
(1) मूलभूत (2) गैर दिलुटिव		

27.1.5 तुलन पत्र के समायोजन लिए स्पष्टीकरण और लाभ और हानि का विवरण जैसा कि भारतीय लेखा मानक को पहले आईजीएएपी के तहत रिपोर्ट किया गया था

क. सरकारी ऋण लेखा (उप समन्वय ऋण)

भारतीय लेखा मानक के अधीन चालू लागू बाजार दर के नीचे ब्याज दर के साथ , सरकार या संबंधित संस्थानों द्वारा ऋण या समान सहायता प्रदान की जाती है, इस अनुकूल हित के प्रभाव को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है और गैर-चालू देयताओं के तहत प्रकट किया जाता है।

जीओआई और जीओके ने केएमआरएल को ब्याज मुक्त उप ऋण जारी किया है । भारत सरकार, जीओके और केएमआरएल के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, उप ऋण का पुनर्भुगतान केवल परियोजना के लिए पूरे अवधि के ऋण का भुगतान करने के बाद किया जाएगा। 31 मार्च 2016 को बकाया मुख्य ऋण मार्च 2039 तक पूरी तरह से चुकाया जाएगा और यह माना जाता है कि मार्च 2039 के बाद से उप ऋण का भुगतान करना है।

ऋण या सहायता को शुरू में पहचाना जाता है और उचित मूल्य पर मापा जाता है और भारतीय लेखा मानक 109- वित्तीय साधनों, और प्राप्त आय के अनुसार निर्धारित सरकारी अनुदान को ऋण के आरंभिक मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।

ऋण घटक परिशोधित लागत पर मापा जाता है और समान का ब्याज व्यय को वित्त व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान चालू रहित देयताओं में आस्थगित आय के रूप में शामिल किया है और इसको संबंधित क्षय परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में आकलित किया है और परिसंपत्तियों को पूंजीकृत करने के बाद अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है।

ख. उधार पर लेन देन लागत

भारतीय जीएएपी के तहत , उधार के संबंध में किए गए लेन-देन की लागत को अग्रिम रूप से परिरक्षित किया जाता है और इस अवधि के लिए लाभ या हानि के लिए शुल्क लिया गया है। भारतीय लेखा मानक के तहत , लेनदेन लागत को वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता राशि में शामिल किया गया है और प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ या हानि के लिए शुल्क लिया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान इस खाते में स्थानांतरित राशि 1.30 लाख रुपए हैं और 01.04.2015 को प्रतिधारित कमाई पर शून्य प्रभाव पड़ा है तथा वर्ष 2015-16 के दौरान, चूँकि वित्त लागत का पूंजीकरण किया जा रहा है।

ग. प्रतिधारण जमा का उचित मूल्यांकन

भारतीय लेखा मानक के तहत, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता

है। तदनुसार, कंपनी की भारतीय लेखा मानकों के अधीन पूंजीगत काम प्रगति में प्रतिधारण जमा का उचित मूल्य दिया है। उचित मूल्य और सुरक्षा जमा के लेनदेन मूल्य के बीच का अंतर पूंजीगत काम प्रगति पर की लागत में शामिल किया गया है चूंकि जमा की सम्भावित प्रभाव को पूंजीगत काम प्रगति पर शामिल किया गया था।

घ. पोस्ट रोज़गार लाभ दायित्वों का पुनःमाप

पिछले जीएएपी के तहत, लाभ और हानि के विवरण में बीमांकिक लाभ और नुकसान की पहचान की गई थी। भारतीय लेखा नीति के तहत, बीमांकिक लाभ और हानि शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति के पुनःमाप के भाग के रूप में होता है। 31 मार्च, 2016 तक कुल इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ड. केएमआरएल द्वारा किए गए सुरक्षा जमा

पिछले जीएएपी के तहत, केएमआरएल द्वारा दिए गए ब्याज-मुक्त पट्टे सुरक्षा जमा (जो पट्टा अवधि के पूरा होने पर नकद में वापसी योग्य हैं) उनके लेन-देन मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं। भारतीय लेखा मानक के तहत, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत इन सुरक्षा जमाओं को उचित मूल्यवान बनाया है। उचित मूल्य और सुरक्षा जमा के लेनदेन मूल्य के बीच अंतर प्रीपेड किराए के रूप में पहचाना गया है। इस परिवर्तन के पश्चात, 31 मार्च 2016 तक (1 अप्रैल 2015 को 54.56 लाख रु.) सुरक्षा जमा की राशि 3.44 लाख रु. तक घट गई। 26.52 लाख रु. का प्रीपेड किराया के परिशोधन, जो 25.34 लाख रु. आय के आंशिक रूप से काल्पनिक ब्याज के कारण वर्ष 31 मार्च 2016 तक के लिए लाभ और कुल इक्विटी 1.18 लाख तक कम हो गया।

च. अन्य व्यापक आमदनी

भारतीय लेखा मानक के तहत, किसी अवधि में मान्यता प्राप्त आय और व्यय के सभी मद लाभ या हानि में शामिल किए जाने चाहिए, जब तक कि किसी मानक की आवश्यकता नहीं होती है या अन्यथा अनुमति नहीं देती है। आय और व्यय के आइटम जो कि लाभ या हानि में नहीं पहचाने गए हैं लेकिन लाभ और हानि के विवरण में दिखाए गए हैं क्योंकि 2.56 लाख रु. का अन्य व्यापक आय में रूपए की परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनःमाप शामिल हैं। पिछली जीएएपी के तहत अन्य व्यापक आय की अवधारणा मौजूद नहीं थी।

छ. पूर्व अवधि समायोजन

भारतीय लेखा मानक के अनुसार, सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियाँ अपनी खोज के बाद जारी किए गए मुद्रे के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में पूर्वव्यापी रूप से सही किया जाना है: (क) पिछली अवधि (ओं) के लिए प्रस्तुत पुनः

बयानित तुलनात्मक मात्रा जिसमें त्रुटि हुई है ; या यदि त्रुटि पूर्वकाल से पहले अवधि में प्रस्तुत की गई है , परिसंपत्तियों का अथ शेष, देयताएँ और इक्किटी का सबसे पहले का पुनः बयान प्रस्तुत की गई है ।

इसकी वजह से 01.04.2015 को बची हुई आय में 1.70 लाख रुपये की कमी आई है और 2015-16 के दौरान कुल लाभ हानि में 1.70 लाख रुपये की कमी आई है ।

ज. कर समन्वय

कर समायोजन में पिछले जीएपी और भारतीय लेखा मानक के बीच अंतर के कारण स्थगित कर प्रभाव शामिल है । हालांकि , 31 मार्च 2016 तक भारतीय लेखा मानक के तहत इक्किटी और कुल लाभ में शून्य प्रभाव पड़ा है ।

27.2. विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा और ट्रेवल्स	15.14	28.01
ठेके पर डीएमआरसी द्वारा व्यय (नीचे का नोट देखें)	17229.08	9640.74

डीएमआरसी द्वारा विदेशी मुद्रा में पूँजीगत व्यय का भुगतान उनके खाते के बयान के अनुसार किया जाता है जो केएमआरएल द्वारा भारतीय रूपए में किए गए भुगतान में से होता है ।

27.3. विदेशी मुद्रा में अंतर

केएमआरएल ने विदेशी मुद्रा दर के अंतर के रूप में किसी भी राशि को मान्यता नहीं दी है । भारत सरकार, केरल सरकार और केएमआरएल के बीच के समझौता ज्ञापन के अनुसार , विदेशी मुद्रा के किसी भी विनिमय दर में अंतर, केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

27.4. प्रगति पर पूँजीगत काम (सी डब्ल्यू आई पी)

पूँजीगत परिसंपत्ति का निर्माण यानि मेट्रो रेल प्रणाली प्रगति पर है । 23 मई 2013 के समझौते के अनुसार, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को निष्पादित करेगा और प्रणाली को कमीशन करेगा । डीएमआरसी द्वारा निष्पादित कार्यों को सीडब्ल्यूआईपी के तहत वर्गीकृत किया गया है और 31 मार्च 2017 को डीएमआरसी द्वारा प्रस्तुत निधि उपयोग के विवरण के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है ।

चालू वित्तीय वर्ष में कार्य निष्पादन के लिए डीएमआरसी शुल्क के रूप में 52.15 करोड़ (पिछले वर्ष 64.64 करोड़) को सीडब्ल्यूआईपी के तहत निर्माण के दौरान लंबित पूँजीकरण के व्यय के रूप में वर्गीकृत किया है।

डीएमआरसी के साथ समझौते के अनुसार , परियोजना लागत अग्रिम के रूप में भुगतान की जाती है। इन निधियों की जमाराशि पर प्राप्त ब्याज को सीडब्ल्यूपी से घटा दिया है । इस तरह वर्ष के दौरान ब्याज का हिसाब 3.69 करोड़ रु. है। पिछले साल 7.65 करोड़ रुपए और आज तक 23.88 करोड़ रुपए है। इसके अलावा डीएमआरसी द्वारा निविदा की बिक्री से प्राप्त राशि सीडब्ल्यूआईपी से कम किया है । इस तरह वर्ष के दौरान हिसाब किया गया (पिछले साल 0.13 करोड़ रुपए) 1.0 करोड़ है।

उधार लेने की लागत , जो सीधे अधिग्रहण के कारण होती है ,विशेषक परिसंपत्ति का निर्माण आदि सीडब्ल्यूआईपी के लंबित पूँजीकरण के अधीन बांटा गया है। भारतीय लेखा मानक (आइएनएएस) 23 के अनुसार उधार लेने की लागत से एग्जेन्स फ्रैन्सी डे डेवेलपमेंट (एएफडी) क्रृष्ण की ओर से पास थू सहायता (पीटीए) निधि के माध्यम से किए गए अल्पकालिक जमा पर ब्याज कम किया है। चालू वर्ष के दौरान ऐसे कम की गई राशि 6.77 करोड़ रुपये (पिछले साल 5.62 करोड़ रुपये) है।

दिनांक 16 नवंबर 2015 के केरल सरकार (जीओके) जी.ओ. (एमएस) सं. 72/2015/ट्रांस. और 20 मई, 2017 के जी.ओ. (एमएस) सं. 48/2017/ट्रांस के तहत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से काङ्कनाड तक 11.2 किमी की दूरी तक नई मेट्रो लाइन के लिए 2024 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना लागत को दिनांक 20 मई, 2017 के जीओ (एमएस) सं. 48/2017/ट्रांस के तहत 2577.25 करोड़ रुपए में संबंधित किया गया। यह परियोजना भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट , ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट, यातायात अध्ययन और केएमआरएल द्वारा किए गए अन्य संबंधित व्यय को सीडब्ल्यूआईपी-द्वितीय चरण के तहत समूहबद्ध किया है।

27.5 प्रारंभिक कार्य

दिनांक 19-3-2010 के केरल सरकार (जीओके) के आदेश के तहत जी.ओ.(एम एस) सं. 34/2010/ट्रान. और दिनांक 07.12.2013 के जी.ओ. (एम एस) सं. 110/2013 के अनुसार 242.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ डीएमआरसी द्वारा प्रारंभिक कार्य किया जा रहा है। इन संपत्तियों का स्वामित्व केरल सरकार (जीओके) का है। कोन्नि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) के गठन के बाद , इन कार्यों के लिए आवश्यक निधि केएमआरएल के माध्यम से भेजा जाता है और इसलिए इस खाते का पूरा खर्च केरल सरकार से प्राप्त निधि में लगाया गया है। आज तक , जीओके ने केएमआरएल द्वारा निष्पादित प्रारंभिक और अन्य विविध कार्यों के लिए 218.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की (पिछले वर्ष तक 172.08 करोड़ रुपये) है। आज तक इन प्रारंभिक कार्यों के लिए डीएमआरसी को निधि सहित हस्तांतरित कुल व्यय 199 .70 करोड़ रुपये है।

जीओसी से प्राप्त निधियों को उनके अनुरोध के आधार पर डीएमआरसी को जारी किया जाता है। केएमआरएल ने इन कार्यों के लिए डीएमआरसी को 101.20 करोड़ रुपए (पिछले साल तक 96.20 करोड़ रुपये तक) की संचयी निधि हस्तांतरित कर दिया है। प्रारंभिक कार्यों को हस्तांतरित निधियों के अलावा, 31 मार्च, 2017 तक डीएमआरसी द्वारा किए गए कुल व्यय, 127.77 करोड़ रुपए (पिछले साल 126 करोड़ रुपये) है।

27.6 शहर के सड़कों का सुधार कार्य

निदेशक मंडल की 16 सितंबर 2014 को हुई 18 वीं बैठक ने 31.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर परियोजना क्षेत्र की मुख्य सड़कों में सुधार करने की काम के लिए मंजूरी दे दी है, इस प्रावधान के साथ की गई खर्च के 50% राशि केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दिनांक 28.02.2015 के जी.ओ. (एम एस) सं. 14/2015/पीएलजी के तहत, केरल सरकार ने शहर की सड़कों में सुधार के लिए अनुमानित लागत के 50% के रूप में 15.55 करोड़ रुपए की अनुमति दिया गया और इस काम के लिए 15.55 करोड़ रुपए जारी किए गए। वर्ष 31 मार्च 2017 तक कंपनी ने 26.52 करोड़ रुपए की राशि व्यय की है और 13.26 करोड़ रुपए केरल सरकार से प्राप्त निधि में लगाया गया है।

27.7 इडप्पल्ली फ्लायओवर

दिनांक 13/05/2013 के जी.ओ. सं. 714/2013/पीडब्ल्युडी के तहत केरल सरकार ने इडप्पल्ली फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों को केएमआरएल को सौंपा है, इसे 108.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस काम के लिए केरल रोड फंड बोर्ड (केआरएफबी) ने केएमआरएल को 25 करोड़ रुपये जारी किए हैं। एमओयू द्वारा शर्तों का निष्पादन प्रस्तुत करते हैं और 23 मई 2016 को इसे निष्पादित किया गया।

केएमआरएल द्वारा हस्तांतरित धन के अलावा डीएमआरसी द्वारा फ्लायओवर निर्माण के लिए किए गए पारिश्रमिक सहित कुल व्यय 30.79 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष तक 23.26 करोड़ रुपए) हैं।

31 मार्च 2017 तक, केएमआरएल ने 3.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है जिसमें प्रशासनिक शुल्क के दावा भी शामिल है।

इडप्पल्ली फ्लायओवर का कुल व्यय 34.30 करोड़ रुपए है और आरएफबी ने और शेष राशि को अभी तक जारी नहीं की है।

27.8 पंचालम रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)

दिनांक 05/03/2017 के आदेश सं. जी.ओ.(एमएस) सं. 23/2014/ट्रांस. के तहत केरल सरकार ने आलुवा से पेट्रोल तक के सिविल निर्माण के कारण होने वाली ट्रैफिक ब्लॉक को कम करने के लिए 52.59 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर डीएमआरसी के माध्यम से पंचालम आरओबी के निर्माण कार्यों को केएमआरएल को सौंपा।

केरल सरकार ने पूरे निधि के एमआरएल को जारी कर दिया है। प्राप्त निधि के अलावा , 31 मार्च 2017 तक भूमि अधिग्रहण की लागत की ओर 8.81 करोड़ रुपए जिलाधीश को और 14.83 करोड़ रुपए परियोजना निधि की ओर डीएमआरसी को भुगतान किया गया।

डीएमआरसी ने 31 मार्च 2017 तक रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए पारिश्रमिक सहित 20.02 करोड़ रुपए (पिछले साल तक 17.51 करोड़ रुपये तक) का व्यय किए।

27.9 वैटिला पेट्टा रोड की चौड़ाई

दिनांक 10/03/2015 के जी.ओ. (एम एस) सं. 13/2015/ट्रास के तहत केरल सरकार द्वारा कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक 1.5 किलोमीटर के वैटिला पेट्टा रोड को चौड़ा करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों को करने के लिए सरकार ने 22.35 करोड़ रुपए की राशि जारी किया है। केरमआरएल द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान 6.90 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7.74 करोड़ रुपए) और अब तक 14.64 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

केरल सरकार के जी.ओ. (एमएस) सं. 24/2015/ट्रांस के तहत वैटिला पेट्टा रोड को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी) से 104 करोड़ रुपए की अवधि ऋण प्राप्त करने के लिए मंजूरी दे दी है। तदनुसार, कंपनी ने ईडीसी के साथ 9 मई, 2014 को आयोजित अपनी 19 वीं बोर्ड की बैठक में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार अवधि ऋण समझौता किया है।

वर्ष के दौरान जिलाधीश को सड़क चौड़ाने के कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की अग्रिम के रूप में अब तक 60.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किया गया है।

27.10 केरमआरएल में गैर मोटर चालित परिवहन की पहल

केरल सरकार ने दिनांक 19.04.2017 के जी.ओ. सं. 34/2017/ट्रांस के तहत प्रांसीसी विकास एजेंसी , एग्जेन्स फ्रैन्काइज़ डे डेवेलपमेंट (एएफडी) से मेट्रो रेल परियोजना के समान शर्तों के अनुसार निधि प्राप्त करके 161 करोड़ रुपये की राशि के लिए केरमआरएल के गैर मोटर चालित परिवहन पहल के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एनएमटी योजना के अंतर्गत स्टेशन उन्मुख विकास, प्रमुख जंक्शन सुधार और शहरी स्थान बनाने वाली पैदल चलने वाली परियोजना भी शामिल है।

वर्ष के दौरान , केरमआरएल ने स्टेशन उन्मुख विकास कार्यों के लिए 32.82 लाख रुपये की राशि खर्च की है।

27.11 एकीकृत जल परिवहन प्रणाली

केरल सरकार (जीओके) ने दिनांक 19.04.2017 के जी.ओ. (एमएस) सं. 73/2015/ट्रांस के तहत 682.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोच्चि में एकीकृत जल परिवहन व्यवस्था के लिए अनुमोदित किया है। इस परियोजना को

"जलवायु मित्रवत शहरी गतिशीलता" पहल के भाग के रूप में भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत जर्मन वित्तपोषण एजेंसी "क्रेडिनेटस्टाल्ट फर विडेरॉफबाऊ" (केएफडब्ल्यू) द्वारा एक नरम ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है और परियोजना की शेष राशि को 102 करोड़ रु. की लागत से केरल सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

परियोजना के सभी वित्तीय और परिचालन जोखिम परियोजना के कानूनी मालिक के रूप में केरल सरकार के साथ निहित होंगे और के एमआरएल केरल सरकार की ओर से निष्पादन और संचालन एजेंसी होंगे। इस लेखे में आज तक व्यय की गई 0.69 करोड़ रुपए की राशि को जीओके से प्राप्त राशि के रूप में दिखाए गए हैं।

वर्ष के दौरान , केएमआरएल ने केरल राज्य और केएफडब्ल्यू के साथ एक परियोजना समझौता किया है।

केएमआरएल ने केएफडब्ल्यू के साथ जीओआई और केएफडब्ल्यू के बीच ऋण समझौते के अनुसार 85 मिलियन यूरो की राशि का लाभ उठाने के लिए एक अलग समझौता भी कर किया है।

27.12 वित्तीय संस्थाओं को खुला लूप संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड आधारित स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली के लिए कंसोर्टियम

केएमआरएल ने 10 जून 2015 को कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के लिए संपर्क रहित खुला लूप स्मार्ट कार्ड आधारित स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड की अगुवाई वाली कंसोर्टियम के साथ समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वचालित टिकट सिस्टम को लागू करना है , जिसमें स्वचालित किराया संग्रहण (एएफसी) प्रणाली और यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीज़ा (ईएमवी) मानक आधारित संपर्कहीन स्मार्ट कार्ड सिस्टम शामिल हैं। ईएमवी कार्ड न केवल मेट्रो प्रणाली में उपयोग करने में सक्षम है , बल्कि वाणिज्यिक गैर किराया बॉक्स लेनदेन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।

कंसोर्टियम के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार , 208.80 करोड़ रुपए की राशि रॉयल्टी के रूप में अंतिम स्टेशन खोलने के तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए केएमआरएल को दिया जाएगा। संविदा पर हस्ताक्षर करने पर , रॉयल्टी भुगतान के रूप में केएमआरएल को 1 करोड़ रुपए जारी किया गया। राशि "अन्य चालू देयताओं" के तहत वर्गीकृत है।

27.13. एमएनआरई से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

4.80 करोड़ रुपये की राशि (32 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत का 15%) को "राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि" के तहत 4.0 मेगावाट की कुल सकल क्षमता का बिजली संयंत्र ग्रिड से जुड़े सौर फोटो वोल्टिक (एसपीवी) की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा नई और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में मंजूरी दे दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान केएमआरएल को सीएफए की पहली किस्त के रूप में 1.44 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुआ है और इसे "अन्य वित्तीय देयताओं" के तहत वर्गीकृत किया है।

डीएमआरसी द्वारा मेसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (डेवलपर) को सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन प्रदान किया गया है। यह अनुबंध रेस्को (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल पर आधारित है, जहां परियोजना लागत में डेवलपर और पीपीए (पावर खरीद समझौते) द्वारा 25 साल तक पारस्परिक रूप से सहमत टैरिफ पर आधारित है, इसे केएमआरएल द्वारा हस्ताक्षरित किया जा रहा है। एमएनआरई से प्राप्त सब्सिडी की राशि डेवलपर को परियोजना लागत के लेखापरीक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वितरित की जाएगी।

27.14. शहरी विकास मंत्रालय(एमओयूडी) और केरल सरकार (जीओके) से केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

वित्तीय वर्ष के दौरान, एमओयूडी द्वारा शहरी परिवहन आयोजन योजना के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 99.76 लाख रुपए जारी किया गया, जिसमें सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन आदि के लिए आ रहे कुल व्यय का 80% राज्य सरकार द्वारा और 20% एमओडी द्वारा वहन किया जाएगा।

31 मार्च 2017 तक कुल में से 2.26 करोड़ रुपये व्यय किए गए, 31 मार्च 2017 तक एमओडी ने 99.76 लाख रुपये जारी किए हैं।

वित्तीय सहायता के अपने हिस्से के रूप में, एमओयूडी और जीओके से क्रमशः 81.62 और लाख 45.35 लाख जीओके से प्राप्त किया गया है।

27.15. भारतीय लेखा मानक -19 (संशोधित) के संबंध में प्रकटीकरण - कर्मचारी लाभ

निधि और पेंशन निधि : कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार हैं जिसमें दोनों कर्मचारी और कंपनी कवर कर्मचारियों के वेतन का एक विशिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान के रूप में देते हैं। योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में भुगतान किया जाता है।

कंपनी की पेंशन योजना प्रॉविडेंट फंड स्कीम से जुड़ी है। भविष्य निधि योजनाओं के अंतर्गत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत शामिल हैं, अलावा इसके 1 सितंबर के बाद कंपनी के उन कर्मचारियों को भविष्य निधि (पीएफ) सदस्य बनने वालों, और प्रतिमाह जिसका वेतन 15,000 रु से अधिक है, उनको ईपीएस योजना के तहत कवर नहीं किया जा रहा है। उक्त लाभ, अगर कर्मचारी, केएमआरएल में शामिल होने पर पीएफ का मौजूदा सदस्य था, तो ही दिया जाएगा। उपरोक्त पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लेता है और न ही नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान: उपदान अधिनियम, 1972 के अनुसार हर कर्मचारी के लिए जो लगातार पांच साल या उससे अधिक की सेवाएं प्रदान करता है, उपदान देय है। उपदान योजना के संबंध में देयताएं भारतीय लेखा मानक 19 द्वारा अपेक्षित अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए प्रत्येक शेष राशि पत्र तारीख में एक स्वतंत्र बीमांकिक के मूल्यांकन , वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार इसका प्रावधान किए गए हैं।

अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी: एचआर पॉलिसी के मुताबिक कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी और आधे वेतन की छुट्टी के लाभ प्रदान करती है। इस खाते की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी): कंपनी ने अनुमोदित नीति के अनुसार अपने कर्मचारियों को गृहनगर के लिए वास्तविक यात्रा के खर्च के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए खर्च को पूरा करने के लिए कर्मचारी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस खाते की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

बीमा: चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए मेडिकल बीमा पॉलिसी भी ली है।

27.15.1 वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि और तुलन पत्र के विवरण में पाई गई विभिन्न परिभाषित लाभ की सारांशित स्थिति निम्नानुसार है:

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए प्रकटीकरण्यानि उपदान, अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी छुट्टी यात्रा रियायत (निधि रहित योजना) 31 मार्च 2017 के वास्तविक रिपोर्ट के आधार पर								
	उपदान पात्रता (निधि रहित) (रु लाखों में)		अर्जित छुट्टी भुनाना (निधि रहित) (रु लाखों में)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (निधि रहित) (रु लाखों में)		छुट्टी यात्रा रियायत (निधि रहित) (रु लाखों में)	
विवरण	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व	28.88	17.19	66.38	40.69	41.82	23.38	9.05	0.00
वर्तमान सेवा लागत	58.07	11.83	52.26	18.68	32.30	12.63	11.07	5.96
ब्याज लागत	2.25	1.34	5.18	3.17	3.26	1.82	0.67	
लाभ का भुगतान / वापस ले लिया प्रावधान	0.00	0.00	-5.23	0.00	0.00	0.00	-4.66	-5.84
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91
वित्तीय अवधारणाओं में परिवर्तन से वास्तविक (लाभ) / हानि	35.25	0.00	32.14	0.00	21.60	0.00	0.31	0.29
आचरण दायित्वों पर (लाभ) / हानि - समायोजन अनुभव का कारण	-36.79	-1.48	-26.41	3.84	-15.75	3.99	-5.37	-0.27
वर्ष के अंत में लाभ दायित्वों	87.66	28.88	124.32	66.38	83.23	41.82	11.07	9.05

31 मार्च , 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ व्यय के तहत लाभ और हानि के विवरण में निम्नानुसार है:

	उपदान पात्रता (निष्ठि रहित) (रु लाखों में)	अर्जित छुट्टी भुगाना (निष्ठि रहित) (रु लाखों में)	अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (निष्ठि रहित) (रु लाखों में)	छुट्टी यात्रा रियायत (निष्ठि रहित) (रु लाखों में)				
विवरण	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक
वर्तमान सेवा लागत	58.07	11.83	52.26	18.68	32.30	12.63	11.07	5.96
व्याज लागत	2.25	1.34	5.18	3.17	3.26	1.82	0.67	0.00
पिछली सेवा लागत							0.00	8.91
कुल	60.32	13.17	57.44	21.85	35.56	14.45	11.74	14.87
कम करें : सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित वास्तविक (लाभ) / नुकसान	48.25	7.90	45.95	13.11	28.45	8.67	9.39	8.92
लाभ और हानि के ब्यान में मान्यता प्राप्त व्यय	12.07	5.27	11.49	8.74	7.11	5.78	2.35	5.95

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय के ब्यान में निम्नानुसार है:

	उपदान पात्रता (निष्ठि रहित) (रु लाखों में)	अर्जित छुट्टी भुगाना (निष्ठि रहित) (रु लाखों में)	अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (निष्ठि रहित) (रु लाखों में)	छुट्टी यात्रा रियायत (निष्ठि रहित) (रु लाखों में)				
विवरण	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक
कुल परिभाषित लाभ देयताएँ/ (परिसंपत्ति) के पुनःपाप								
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण वापर्सी/हानि	35.25	0.00	32.14	0.00	21.60	0.00	0.31	0.29
समायोजन अनुभव के कारण - वास्तविक/ नुकसान	(36.79)	(1.48)	(26.41)	3.84	(15.75)	3.99	(5.37)	(0.27)
ओसीआई में कुल पुनः पाप	(1.54)	(1.48)	5.73	3.84	5.85	3.99	(5.06)	0.02
कम करें : सीडब्ल्यूआईपी के लिए हस्तांतरण से वास्तविक (लाभ) / हानि	(1.23)	(0.89)	4.58	2.30	4.68	2.39	(4.05)	0.01
ओसीआई के विवरण में पाई गई व्यय	(0.31)	(0.59)	1.15	1.54	1.17	1.60	(1.01)	0.01

मार्च 31, 2017, 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 तक उपदान, अर्जित छुट्टी भुनाना, आधा वेतन छुट्टी नकदीकरण और एलटीसी लाभ दायित्वों का निर्धारण करने वे लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएँ निम्नानुसार हैं:

विवरण	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	01/04/2015 तक
छुट की दर	7.50%	7.80%	7.80%
वेतन वृद्धि दर - पहले 5 वर्षों में	6.00%	3.00%	3.00%
वेतन वृद्धि की दर - 5 वर्षों के बाद	6.00%	3.00%	3.00%

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त कुल परिसंपत्ति / देयता								
विवरण	उपदान पत्रता (निष्ठि रहित)		अर्जित छुट्टी भुनाना (निष्ठि रहित)		अर्धा वेतन छुट्टी नकदीकरण (निष्ठि रहित)		छुट्टी यात्रा रियायत (निष्ठि रहित)	
	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक	31/03/2017 तक	31/03/2016 तक
दायित्व के वर्तमान मूल्य	87.66	28.88	124.32	66.38	83.23	41.82	11.07	9.05
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतर	87.66	28.88	124.32	66.38	83.23	41.82	11.07	9.05
अमान्य संक्रमणकालीन दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अमान्य पिछली सेवा लागत - गैर-निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त दायित्व	87.66	28.88	124.32	66.38	83.23	41.82	11.07	9.05

27.16 भारतीय लेखा मानक -108 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट योग्य व्यापार क्षेत्र है ,जो जो कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना को विकसित करने , संचालित करने और बनाए रखने के लिए हैं। तदनुसार , वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि कंपनी के एकल व्यापार क्षेत्र से संबंधित है

27.17 संबंधित पार्टी लेनदेन

27.17.1 कुंजी प्रबंधन व्यक्ति :

27.17.1.1 श्री एलियास जोर्ज (प्रबंध निदेशक)

27.17.1.2 श्री अब्रहाम उम्मन (निदेशक – वित्त)

27.17.1.3 श्री प्रवीण गोयल (निदेशक – प्रणाली)

27.17.1.4 श्री तिरुमन अर्चुनन (निदेशक – परियोजना) दिनांक 29.08.2016 से

27.17.1.5 श्री अनिल कुमार बी (कंपनी सचिव)

27.17.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का खुलासा

(कुंजी प्रबंधन व्यक्ति)

रुपए (लाख में)

विवरण	श्री एलियास जोर्ज (प्रबंध निदेशक)	श्री अब्रहाम उम्मन (निदेशक – वित्त)	श्री प्रवीण गोयल (निदेशक – प्रणाली)	श्री टी अर्चुनन (निदेशक – परियोजना)	श्री अनिल कुमार बी (कंपनी सचिव)
वेतन और भत्ते					
चालू वर्ष	6.22	28.72	27.73	14.81	15.50
गत वर्ष	-	26.77	14.81	-	14.30
भविष्य निधि और अन्य के लिए योगदान					
चालू वर्ष	-	2.83	2.87	1.50	1.52
गत वर्ष	-	2.42	1.42	-	1.31
अन्य लाभ					
चालू वर्ष	9.35	5.82	8.30	4.44	3.81
गत वर्ष	6.96	2.87	3.62	-	0.21

क) 31 अक्टूबर 2016 तक सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में अपनी क्षमता में , प्रबंध निदेशक, केरल सरकार से अपने वेतन ले रहे थे । इसके बाद, वह केरल के वेतन पर्ची में है ।

ख) पूरे समय के निदेशकों को कंपनी की नीति के अनुसार वसूली के अधीन निजी यात्रा के लिए वाहन किराए पर लिया गया है ।

ग) उपरोक्त राशि में वास्तविक मूल्यांकन पर निर्धारित के अनुसार उपदान के लिए योगदान , छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत आदि के लिए प्रावधान नहीं है ।

27.18 भारतीय लेखा मानक के संबंध में प्रकटीकरण (पट्टे)

पट्टे जिसके तहत कंपनी काफी हद तक सभी जोखिमों और स्वामित्व को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । जब हासिल किया जाता है , तो इस तरह की परिसंपत्तियां पट्टे की शुरुआत में , जो भी कम हो , उचित मूल्य या न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूँजीगत किया जाता हैं। ऑपरेटिंग पट्टों के तहत पट्टे का भुगतान पट्टा अवधि पर लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध लाभ में एक सीधी रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

27.19 भारतीय लेखा मानक -33 आय प्रति शेयर के संबंध में प्रकटीकरण (आय प्रति शेयर)

विवरण	2016-17	2015-16
वर्ष के लिए कुल लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(1470.35)	(2013.42)
- इंडिटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- मूलभूत	141614975	99,965,027
- मंदित	141614975	111,188,027
प्रति शेयर मूल आय (अंकित मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर) (रुपये)	(1.04)	(2.01)
एंट्री डिलीटिव कमाई प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर) (रुपये)	(1.04)	(2.01)

27.20 भारतीय लेखा मानक 42 के संबंध में प्रकटीकरण (आय पर कर के लिए लेखा)

31.03.2017 तक को कंपनी ने अप्रतिबंधित मूल्यहास और संचित घाटे के कारण 1482.11 लाख रुपये (पिछले साल 752.71 लाख रुपये) की कर संपत्ति स्थगित कर दी है। 31.03.2017 तक स्थगित कर देयता 430.84 लाख रुपए (पिछले साल रु 322.74 लाख) है। चूंकि 31.03.2017 को 1051.27 लाख रुपए (पिछले साल की कुल आस्थगित कर देयता 429.97 लाख रुपये) का कुलआस्थगित कर संपत्ति है, वास्तविक निश्चितता के अभाव में और विवेक मामले के रूप में, लेखे में आस्थगित कर संपत्ति के बारे में विचार नहीं किया गया है।

27.21 भारतीय लेखा मानक -36 के संबंध में प्रकटीकरण (परिसंपत्तियों की हानि)

हालांकि, परिसंपत्तियों की हानि का कोई संकेत नहीं है और इसलिए वित्तीय वर्ष के लेखाओं में परिसंपत्ति का कोई हानि नहीं है।

27.22 पार्टियों के कुछ डेबिट / क्रेडिट बकाया पुष्टि और समायोजन के अधीन हैं, इसके परिणामस्वरूप प्रभाव, यदि कोई हो, तो अनजान है।

27.23 लघु उद्यमों और छोटे उद्यमों के लिए बकाया

मार्च 31, 2017 और 31 मार्च, 2016 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कोई बकाया राशि नहीं है। इस पर किसी भी ब्याज या बकाया नहीं है।

27.24 पूँजी प्रतिबद्धताओं, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्ति

क) आकस्मिक देयताएँ

राशि (रुपए लाख में)

आकस्मिक देयताएँ	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
कंपनी के खिलाफ के दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया			
• कोच्चिन मेट्रो रेल परियोजना कई लिए	494.49	435.12	1029.26
• केरल सरकार (जीओके) की ओर से केएमआरएल द्वारा गई प्रारंभिक कार्य के लिए बैंक गैरंटी	130.11	187.15	187.15
	77.55	1.00	शून्य

ख) पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

राशि (रु.लाख में)

क) पूँजी और अन्य प्रतिबद्धताएं	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	31.03.2015 तक
केएमआरएल की तरफ से मूर्त परिसंपत्ति अनुबंधों की अनुमानित राशि (विदेशी मुद्रा संविदाएं अग्रिमों का कुल सहित) डीएमआरसी में दर्ज किया गया, शेष को निष्पादित और प्रदान नहीं किया जाएगा	58280.02	125,296.43	195,372.06
परामर्श अनुबंध सहित केएमआरएल द्वारा दर्ज संविदा की अनुमानित राशि (अग्रिमों का कुल) , शेष को निष्पादित किया जाना है और इसके लिए प्रदान नहीं किया है			
क. मूर्त परिसंपत्ति	2413.14	6886.81	14931.78
ख. अमूर्त परिसंपत्ति	शून्य	66.63	115.64
कुल राशि	60693.16	132,249.88	2,10,419.48

ग) आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक परिसंपत्ति , जो महत्वपूर्ण और सामग्री हैं, शून्य हैं (पिछला साल - शून्य)

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में संलग्न है। कृते और बोर्ड निदेशकों की ओर से

कृते के वर्गीस एवं कंपनी

शासनपत्रित लेखाकार

FRN 004525S

साम वर्गीस एलियास जोर्ज
सहभागी

M.No.216979

निदेशक

प्रवीण गोयल बी. अनिल कुमार

(प्रणाली)

निदेशक (वित्त)

स्थान: कोचीन

तारीख: 03-10-2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्य भारतीय लेखा मानकों पर रिपोर्ट

हमने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक नुकसान सहित), नकद प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में आए परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश आदि शामिल है।

भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 34 (5) में मुकर्रर मामलों केलिए ज़िम्मेदार है, वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में, जो वित्तीय स्थिति के एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, आम तौर पर भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें। इस ज़िम्मेदारी में यह भी शामिल है कि कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमिताओं को रोकना और पता लगाना, उचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग, फैसला लेना और जाँचना है कि जो उचित और विवेकपूर्ण है, डिज़ाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के रखरखाव, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जो प्रभावी ढंग से काम करें, वित्तीय बयान की तैयारी और प्रस्तुति के संबद्ध जो एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री गलत बयान से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना।

हमने अधिनियम के प्रावधान को ध्यान में रखा है, लेखा और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम के प्रावधान और अधीन बनाए गए नियमों के तहत रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा का आयोजन किया था। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि वित्तीय विवरण सामग्री विवरण से मुक्त होने के लिए हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन तथा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और लेखा परीक्षा किया।

भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरण में प्रदर्शन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए राशि और वित्तीय बयान में खुलासे शामिल होना है। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, वित्तीय बयान की सामग्री गलत बयान के जोखिम का मूल्यांकन सहित उन जोखिम आकलन करने में, लेखा परीक्षक ने परिस्थितियों के अनुसार उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मानता है कि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया डिज़ाइन करने के लिए एक सच्चे और निष्पक्ष विचार दे और जो कंपनी की वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रासंगिक है। एक लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाई गई लेखांकन अनुमान के औचित्य, उसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा के लिए प्राप्त साक्ष्य, भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणी पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

राय

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमारे लिए दिए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार 31 मार्च, 2017 में कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त हो गए वर्ष में अपने नकदी प्रवाह और नुकसान, आवश्यक जानकारी आवश्यक रूप में देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- कंपनियों द्वारा (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (“आदेश”) के अनुसार भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनियों की अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार हम अनुबंध के में अनुच्छेद 3 और 4 में बताए गए आदेश के निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण जारी कर दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार , हम अनुबंध – ग में यह दिया है , भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर अनुबंध में कंपनी के पुस्तकें और रिकार्ड की इस तरह की जाँच के आधार पर, हमें दिए उचित जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने रिपोर्ट तैयार किया है।
3. कंपनी की अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं :-
 - अ. हमने सभी जानकारियों और स्पष्टीकरण की मांग की है यह हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार और हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ।
 - आ. कानून द्वारा ज़रूरी खाते की उचित पुस्तकों को उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होने तक कंपनी द्वारा रखा गया है ।
 - इ. तुलन पत्र, लाभ और हानि और नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट के साथ निपटा इंक्रिटी में परिवर्तन के विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण खाते की पुस्तकों के साथ अनुबंध में है ।
 - ई. हमारी राय में, उक्त भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का पालन करते हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियम के साथ पढ़ें ।
 - उ. कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) का प्रावधान 5 जून, 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) के तहत लागू नहीं है ।
 - ऊ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में, हमारी अलग रिपोर्ट "अनुलग्नक ख" देखें, हमारी रिपोर्ट में कंपनी की पर्याप्तता और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संचालन के प्रभाव पर एक असंशोधित राय व्यक्त करता है ।
 - ऋ. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i) कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणों के रूप में अपने भारतीय लेखा मानक की वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 27.24 देखें)।
- ii) कंपनी ने प्रचलित कानून या लेखा मानकों के तहत अपेक्षित प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सामग्री निकट भविष्य में होने वाली हानियों के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर लिए डेरीवेटिव करार सहित हो।
- iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कोई भी राशि नहीं थी।
- iv) कंपनी ने दिनांकित 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान वित्त मंत्रालय के 8 नवंबर 2016 को 3407 (ई) की अधिसूचना एसओ में परिभाषित के रूप में निर्दिष्ट बैंक नोटों में अपने होल्डिंग और सौदे के संबंध में भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण प्रदान किया है। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि खुलासा कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों के अनुसार हैं (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 6 देखें)।

कृते के. वर्गीस एवं कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525S)

सैम वर्गीस
सहभागी
(सदस्य सं. 216979)

स्थान: कोड्ही
तारीख: 03/10/2017

अनुबंध – ए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के खातों पर हमारी रिपोर्ट

1. स्थाई परिसंपत्तियों के संबंध में:

- (अ) कंपनी आम तौर पर इसके भूमि के मामले के अलावा पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखती है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और स्थाई परिसंपत्तियों की स्थिति शामिल होती है।
- (आ) कंपनी की स्थाई परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है। हमारे विचार में, भौतिक सत्यापन की आवधिकता कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, पुस्तक रिकॉर्ड के संबंध में वर्ष के दौरान किए गए सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।
- (इ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, शीर्षक कार्य 21.6807 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर कंपनी के नाम पर कोई स्थाई परिसंपत्तियों नहीं हैं, शीर्षक कार्य सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, इसका दस्तावेजीकरण प्रगति पर है और इसका प्रबंधन केरल सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।

2. आविष्कार के संबंध में:

कंपनी की निर्माण गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। तदनुसार, यह किसी भी भौतिक सूची नहीं रखता है। अतः यह खंड लागू नहीं है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य दलों के लिए सुरक्षित या असुरक्षित कोई भी क्रृति नहीं दिया है।

4. हमारी राय और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी ने ऋण अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है।
5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है।
6. भारत की केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के तहत कंपनी के लागत रिकॉर्डों के रखरखाव का निर्धारण नहीं किया है। अतः खंड लागू नहीं है।
7. अ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, निर्विवाद साँविधिक देय राशि के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती / अर्जित राशि में भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय राशि सम्मिलित है जो आम तौर पर नियमित रूप से उचित अधिकारियों के साथ कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान जमा किया गया है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उपकर और किसी भी अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि के संबंध में, जो 31 मार्च, 2017 के बकाया राशि के रूप में कोई सामग्री निर्विवाद मात्रा 17,03,687/- रूपए के देय सेवा कर को छोड़कर, उस तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय थे।
8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, आयकर, सीमा शुल्क, सेवा कर इत्यादि के लिए कोई बकाया नहीं है, जो विवादों के कारण 31 मार्च, 2017 को जमा नहीं किए गए हैं।
9. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे सामने प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और रिकॉर्डों के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
10. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं है और इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई सामग्री धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या इस वर्ष के दौरान सूचित या प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

11. जैसा कि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अतः धारा 197 के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के तहत लागू नहीं हैं।
12. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) लागू नहीं है।
13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड पर हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन के अनुसार आवश्यक लागू लेखा के लेनदेन का विवरण वित्तीय बयान में प्रकट किया है।
14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें और कंपनी के रिकॉर्ड पर हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 का अनुपालन आवश्यकता के दौरान कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के किसी भी तरह की आंदोलन या निजी कार्य नियुक्ति नहीं किया है।
15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड पर हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या उसके साथ जुड़े लोगों के साथ गैर नकद लेनदेन में प्रविष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xv) लागू नहीं है।
16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आई के तहत कंपनी को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

**कृते के. वर्गीस एवं कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525S)**

**सैम वर्गीस
सहभागी
(सदस्य सं. 216979)**

**स्थान: कोङ्कण
तारीख: 03/10/2017**

अनुबंध 'बी' स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट कोञ्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के खातों पर हमारी रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने कोञ्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आंतरिक लेखापरीक्षित संयोजन के रूप में कंपनी के भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017 में किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर कंपनी के प्रबंधन को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखा अधिनियम की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयार करना आदि शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित, भारतीय लेखा संस्थान के संस्थान और लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन टिप्पणी ("मार्गदर्शन नोट") के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया था, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का एक लेखा परीक्षा हद तक लागू किया। हमने नैतिक आवश्यकताओं का

अनुपालन और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाई और कार्यान्वयन किया हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्यास आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और बनाए रखा और इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्यासता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, जो कि एक सामग्री कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना आदि शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखाकार के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिम के आकलन शामिल हैं, जो कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है।

हमें विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्यास और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंध में, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है; (2) लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाये जा रहे हैं, इसका उचित आश्वासन देना है; तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, या इसके भौतिक प्रभाव से वित्तीय विवरणों पर कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

मिलनसार की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत वक्तव्य हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। मिलनसार की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत वक्तव्य हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

राय

"भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टिट्यूट द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन नोट में कहा गया कि आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में कंपनी में सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

**कृते के. वर्गीस एवं कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525S)**

**सैम वर्गीस
सहभागी
(सदस्य सं. 216979)**

**स्थान: कोल्कता
तारीख: 03/10/2017**

अनुबंध 'सी' स्वतंत्र लेखा परीक्षाकों की रिपोर्ट

पैरा 2 में निर्दिष्ट अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के खातों पर हमारी रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिशा-निर्देशों के अनुसार
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क्रम सं.	सी ए जी निर्देश	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कंपनी को फ्रीहोल्ड और लीज़होल्ड भूमि के लिए क्रमशः स्पष्ट शीर्षक/पट्टा है? यदि नहीं, तो कृपया बताएं कि जिस क्षेत्र के लिए फ्रीहोल्ड और लीज़होल्ड भूमि का शीर्षक के लिए/पट्टा लेखा उपलब्ध नहीं है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अनुमानित 31.14 9 हेक्टेयर भूमि है। सत्यापन के लिए उपलब्ध शीर्षक कार्य सीमा 9.4612 हेक्टेयर भूमि तक है। शेष 21.6807 हेक्टेयर भूमि के शीर्षक कार्य सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। शीर्षक कार्यों में यह भी पाया गया कि 2.74 एकड़ की सीमा तक कंपनी के नाम पर गलती से पंजीकृत है, जो कंपनी की परिसंपत्ति में शामिल नहीं किया गया है।
2	क्या वहाँ किसी भी मामले पर अधित्याग/ऋण काट/ कर्जा/ब्याज आदि कर रहे हैं , तो इसके क्या कारण हैं और राशि शामिल किया गया ।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण/ऋण/ब्याज इत्यादि के छूट का कोई भी मामला नहीं है।
3	क्या तीसरे पक्षों के साथ पड़े हुए माल सूची और सरकार या अन्य	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई तीसरे पक्षों के साथ पड़े हुए माल सूची नहीं है।

अधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है?	वर्ष 2016-17 के दौरान, सरकार या अन्य एजेंसियों से परिसंपत्तियों के रूप में कोई उपहार प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि, 1.63 हेक्टेयर सीमा तक विभिन्न सरकारी निकायों / विभागों के भूमि में मेट्रो का काम चल रहा है। मूल्य के अंतिम रूप देने, औपचारिकताओं को हस्तांतरण और अन्य नियम और शर्तों को लंबित करने के लिए, इन भूमि को स्थाई परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।
--	---

कृते के. वर्गीस एवं कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 004525S)

सैम वर्गीस
सहभागी
(सदस्य सं. 216979)

स्थान: कोड्डी
तारीख: 03/10/2017



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा वार्ड, चेन्नै

*Indian Audit and Accounts Department
Office of the Principal Director of Commercial Audit
and ex-officio Member Audit Board, Chennai*

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की लेखा पर भारत के नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम की धारा 139 (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक को कंपनी अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपना राय व्यक्त करने की ज़िम्मेदारी है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित है।

मैं, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वित्तीय वक्तव्य के अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक अनुपूरक लेखापरीक्षा का आयोजन किया है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजातों को लिए बिना किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी अधिकारियों से प्रारंभिक पूछताछ और रिकार्ड से सिर्फ कुछ चुने हुए लेखा का परीक्षण करके स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अपने ध्यान में आए अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा और यह वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए मेरे विचार से आवश्यक हैं।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट 27.24: पूंजी प्रतिबद्धताओं, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक देयताएँ

कोच्चि मेट्रो परियोजना के विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किए गए विवाचन और सुलह के दावों को शामिल नहीं करने के कारण

आकस्मिक देयताएं 76990 लाख रुपए तक न्यून दर्शित किया गया है। जैसा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) और के एमआरएल के बीच हुए अनुबंध के प्रावधानों के मुताबिक, ठेकेदारों के दावों की प्राथमिक देनदारी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) के साथ है, कंपनी को इसका खुलासा करना चाहिए था।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से,

ह0/-

(अनिम चेरियान)

प्रमुख निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं

पदेन सदस्य, लेखा परेक्षा बोर्ड, चेन्नै

स्थान: चेन्नै- 34

तारीख: 29.11.2017

वर्ष 2016-17 के लिए सीएजी और एजी टिप्पणियों के लिए प्रबंधन का उत्तर

सी एंड एजी टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
<p>कोच्चि मेट्रो परियोजना के विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किए गए विवाचन और सुलह के दावों को शामिल नहीं करने के कारण आकस्मिक देयताएं 76989 लाख रुपए तक न्यून दर्शित किया गया है। जैसा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) और के एमआरएल के बीच हुए अनुबंध के प्रावधानों के मुताबिक, ठेकेदारों के दावों की प्राथमिक देनदारी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) के साथ है, कंपनी को इसका खुलासा करना चाहिए था।</p>	<p>कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) का एक निष्पादन एजेंसी है। जैसा कि मध्यस्थिता और समायोजन कार्यवाही एक सतत गतिविधि होने के कारण, डीएमआरसी के विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किए गए दावों के मूल्य को लेखाओं पर टिप्पणियों में "आकस्मिक देयताएँ" शीर्ष के तहत शामिल नहीं किया गया है। चालू वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी में उचित रूप से यानि, वर्ष 2017-18 और बाद के वर्षों के लिए, "आकस्मिक देयताएँ" शीर्ष के तहत इसका खुलासा किया जाएगा।</p>

CONTENTS

	Page No
1. Board of Directors.....	3
2. Notice of AGM.....	4
3. Chairman's Letter.....	11
4. Directors' Report.....	14
5. Corporate Governance Report	42
6. Financial Statements for the year 2016-17.....	50
7. Independent Auditors' Report.....	89
8. Comments of the Comptroller & Auditor General of India.....	99

REGISTERED OFFICE:

8th Floor, Revenue Tower, Park Avenue,
Kochi – 682011 Kerala, India.
Phone : +91 484 2350 455
Fax No: +91 484 2360 686
www.kochimetro.org

STATUTORY AUDITORS

M/s K Varghese & Co. Chartered
Accountants Market Road,
Ernakulam.

SECRETARIAL AUDITORS

Shri T.R. Sreeram,
Practising Company Secretary,
Door no. VIII/104A,
'Chandra Vihar'
Maradu, Cochin – 682 304.

INTERNAL AUDITORS

M/s. J R S & Co.
Chartered Accountants
2nd Floor, The Monarch
P. T. Usha Road, Kochi – 682011

COMPANY SECRETARY

B. Anilkumar

OUR BANKS

Canara Bank
State Bank of India
Indian Bank
HDFC Bank Ltd.
Axis Bank Ltd.
IDBI Bank Ltd.
Federal Bank Ltd.
Dhanalaxmi Bank Ltd.
The Ernakulam District Co-operative Bank Ltd.

BOARD OF DIRECTORS

(as on 3rd October, 2017)

Shri Durga Shanker Mishra	-	Chairman, Kochi Metro Rail Limited Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Room No.122 C, Nirman Bhawan, New Delhi.
Shri Mukund Kumar Sinha	-	OSD (UT) & Ex-officio Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Room No.138 C Nirman Bhawan, New Delhi.
Shri Sharat Sharma	-	Director (Operations), DMRC Ltd., Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi.
Shri Ajit Pandit	-	Additional Member (Works), Railway Board, Ministry of Railway, Rail Bhawan, New Delhi – 110001
Shri L. Narasim Prasad	-	Director (Systems & Operations), Chennai Metro Rail Limited, Chennai.
Vice Admiral S.K.K. Krishnan	-	Independent Director, A 403, Jal Vayu Vihar, Powai, Mumbai – 400076
Dr K. M. Abraham	-	Chief Secretary Government of Kerala, Government Secretariat, Thiruvananthapuram - 695001.
Shri M. Sivasankar	-	Secretary, Government of Kerala, Government Secretariat, Thiruvananthapuram - 695001.
Shri K. Mohammed Y. Safirulla	-	District Collector, Collectorate, Kakkanad, Ernakulam - 682030.
Shri Elias George	-	Managing Director Kochi Metro Rail Ltd., 8 th Floor, Revenue Tower, Kochi.
Shri Abraham Oommen	-	Director (Finance) Kochi Metro Rail Ltd., 8 th Floor, Revenue Tower, Kochi.
Shri Praveen Goyal	-	Director (Systems) Kochi Metro Rail Ltd., 8 th Floor, Revenue Tower, Kochi.
Shri Thiruman Archunan	-	Director (Projects) Kochi Metro Rail Ltd., 8 th Floor, Revenue Tower, Kochi.

KOCHI METRO RAIL LIMITED

Registered Office: 8th Floor, Revenue Tower, Park Avenue, Kochi – 682011, Kerala, India.

Tel: +91 484 2380 980, Fax: +91 484 2380 686, Website: www.kochimetro.org

CIN: U60100KL2011SGC029003

NOTICE OF THE SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixth Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held on 30th November, 2017 at 12:30 P.M at the Registered Office of the Company at Revenue Tower, 8th Floor, Opposite Park Avenue, Kochi - 682011, to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st March 2017 along with the Report of the Board of Directors, the Statutory Auditors thereon and the comments of the Comptroller and Auditor General of India.
2. To fix the remuneration to the Statutory Auditors M/s K. Varghese & Co., Chartered Accountants appointed by the Comptroller and Auditor General of India (for the financial year 2016-17) of Rs. 3,50,000/- (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) plus out of pocket expenses and service tax.

Special Business:

3. Appointment of Vice Admiral S.K.K. Krishnan as Independent Director.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution with or without modification as an Ordinary Resolution:

3.1 “RESOLVED THAT pursuant to Sections 160 & 161 of the Companies act, 2013 and other applicable provisions if any, Vice Admiral S.K.K. Krishnan (holding DIN: 00340235), who was appointed by the Board as an Independent Director on ad hoc basis as additional director be and is hereby appointed as an Independent Director of the Company, not liable to retire by rotation in terms of Section 149(4), (10) & (11) and 152(6)(e) of the Companies Act, 2013 to hold office for a term of three years w.e.f 30th May 2017”.

3.2 “RESOLVED FURTHER THAT the Vice Admiral S.K.K. Krishnan be paid a sitting fee of Rs. 15,000/- for attending each Board and Sub Committee Meetings of KMRL in addition to travelling, conveyance, accommodation and out of pocket expenses in accordance

with the policy of the Company as applicable to Board Level Executives (BLE) subject to deduction of tax at source as applicable.”

By Order of the Board of Directors
For Kochi Metro Rail Limited

Sd/-
B. Anilkumar
Company Secretary

Place: Kochi

Date: 28th November, 2017

Notes:

1. The explanatory statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013, is annexed hereto.
2. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a member of the Company.
3. The form of proxy duly stamped and signed must be deposited at the Registered Office of the Company in not less than 48 hours before the meeting. A proxy form is enclosed.
4. Comments from the Comptroller and Auditor General of India pursuant to section 139 (5) of the Companies Act, 2013 will be sent soon after the same is received.

EXPLANATORY STATEMENT AS REQUIRED UNDER SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 3: Appointment of Vice Admiral S.K.K. Krishnan as the Independent Director of the Company

Vice Admiral S.K.K. Krishnan has been appointed by the Board, as an additional director in the capacity of Independent Director of the Company, who holds office up to the date of this Annual General Meeting and is eligible for appointment as an Independent Director to hold office for a term of three years w.e.f 30th May, 2017, pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and the Articles of Association of the Company. Vice Admiral S.K.K. Krishnan is not disqualified from being appointed as Independent Director in terms of Section 164 of Companies Act, 2013 and has given his consent to act as Independent Director. Accordingly, the Board recommends the resolution No. 3, in relation to appointment of Vice Admiral S.K.K. Krishnan as Independent Director, for the approval by the shareholders of the Company.

(None of the directors except Vice Admiral S.K.K. Krishnan are interested in the resolution.)

KOCHI METRO RAIL LIMITED

Registered Office: 8th Floor, Revenue Tower, Park Avenue, Kochi – 682011, Kerala, India. Tel: +91 484 2380 980, Fax: +91 484 2380 686, Website: www.kochimetrail.org
CIN: U60100KL2011SGC029003

ATTENDANCE SLIP

Please fill attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting venue.

Name

Address

Folio No

No. of Shares held

I certify that I am the registered shareholder/proxy for the registered shareholder of the Company.

I hereby record my presence at the sixth Annual General Meeting of the Company held on November 30, 2017 at 12.30 p.m. at Kochi Metro Rail Limited, 8th Floor, Revenue Tower, Park Avenue, Kochi – 682011, Kerala, India.

Signature of Member / Proxy

KOCHI METRO RAIL LIMITED

Registered Office: 8th Floor, Revenue Tower, Park Avenue, Kochi – 682011, Kerala, India Tel: +91 484 2380 980, Fax: +91 484 2380 686, Website: www.kochimetrail.org
CIN: U60100KL2011SGC029003

Form No. MGT-11 Proxy form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Name of the member(s):

Registered address:

E-mail id:

Folio No/ Client ID:

DP ID:

I/We, being the member (s) of shares of the above named company, hereby appoint

1. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature: , or failing him

2. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature: , or failing him

3. Name:

Address:

E-mail Id:

Signature:

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the sixth Annual general meeting of the company, to be held on the 30th day of November, 2017 at 12.30 p.m. at the

Registered office of the Company and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

No.	Resolution
1	To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31 st March 2017 along with the Report of the Board of Directors, the Statutory Auditors thereon and the comments of the Comptroller and Auditor General of India.
2	To fix the remuneration to the Statutory Auditors M/s K. Varghese & Co., Chartered Accountants appointed by the Comptroller and Auditor General of India (for the financial year 2016-17).
3	Appointment of Vice Admiral S.K.K. Krishnan as Independent Director of the Company.

Signature of shareholder



Affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy holder(s)

Note:

1. A Proxy need not be a Member of the Company.
 2. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ROUTE MAP



Chairman's Letter



I have great privilege to extend a warm welcome to all of you to the Sixth Annual General Meeting of KMRL being held on 30th November, 2017. As you all are aware, the Company should have held the 6th Annual General Meeting (AGM) before 30th September, 2017; but with the permission of Registrar of Companies Kerala, this date was extended up to 26th December, 2017.

I would like to start by expressing my gratitude to Shri Rajiv Gauba, the Predecessor Chairman for having guided the Company and its Board towards moving forward. I would like to acknowledge the diligence and efficiency of Shri Elias George, the outgoing Managing Director, who helped KMRL to reach where it is today. I would like to take this opportunity to wish the new Managing Director, Shri A.P.M. Mohammed Hanish the very best for leading the Company to a new trajectory of success. I would also like to place on record my deep appreciation towards all the stakeholders who contributed their best in furtherance of the Company's objectives.

The Directors' Report and the Audited Annual Accounts of the Company of the Financial Year 2016-17 as well as the Statutory Auditors' Report have already been circulated to you. The comments of Comptroller and Auditor General (C&AG) of India on the Supplementary Audit have been received today. The C&AG report contains a comment pertaining to understatement of contingent liability due to non-inclusion of Arbitration and Conciliation claims made by various contractors of Kochi Metro project. The management has issued an appropriate reply in this regard.

It is a matter of great pride that the first reach of the project, covering the Aluva-Palarivattom corridor with a total length of 13.4 km, and including 11 stations, was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi in the august presence of His Excellency, the Governor of Kerala, the Hon'ble Chief Minister of Kerala, the Hon'ble Union Minister for Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation and Parliamentary Affairs and many other dignitaries on 17th June 2017; which is a record time achievement for KMRL. This stretch was opened to the public on 19th June 2017. The latter part of Phase I from Palarivattom to Maharaja's College (Reach-2A) was commissioned and opened to the public 3rd October 2017. The remaining part i.e., Reach-2B of the project encompassing the Maharaja's College-Petta corridor with a total length of 7.47 km and with 6 stations is expected to be completed in 2019.

The Board of KMRL has also decided to extend the metro corridor from the JLN station, Kaloor; to Kerala's IT hub at Kakkanad, with a length of 11.2 km. and having 11 stations; which will be the Phase-II of the Kochi Metro Rail Project. This corridor will ensure that one of the key commercial and IT hubs of Kerala at Kakkanad will have access to the metro system, thus improving the overall traffic of the metro and the revenue earning potential of your Company. The proposal is now under revision in order to comply with the new Metro Rail Policy (MRP).

Apart from providing a modern Mass Rapid Transit System in the city of Kochi, the Company is expanding its role to become a total transport solution provider for the people. The Company is working towards integration of all public transportation, including the metro, the buses, the ferries and non-motorised transport into a single seamless system, with a single network, a common mobility card and a single time table. In this regard, the Company has also framed a draft Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) Bill, which is under the consideration of the State Government.

I am also glad to note that the Company has entered into an agreement with the Government of Kerala for executing and operating the Kochi Water Metro project, with the assistance of the German funding agency, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) for improving connectivity between the coastal areas and the islands around the Kochi lagoon and to improve the mobility and the livelihood opportunities of the people living in those areas; so that they can also benefit from the economic opportunities available in the city of Kochi. A separate wing has been set up in KMRL with adequate manpower for the Water Metro Project. KMRL has also engaged a General Consultant for it.

The company has taken initiative in improving non-motorised transportation facilities in the influence zone of the metro to improve last mile connectivity; the efforts include developing streetscapes, walking paths and cycle paths as well as improving critical road junctions for improving mobility and for enhancing urban transit safety, with the technical and financial assistance of the French funding agency, Agence Française de Développement (AFD).

I appreciate the efforts of KMRL for taking a unique initiative and first of its kind in India by engaging the Kudumbashree Mission, a self-help group under the aegis of Local Self Governance Department of GoK, in selected aspects of its operations and maintenance activities like housekeeping and ticketing. KMRL has also employed the Transgender Community in the O&M activities through Kudumbashree Mission ensuring their social and economic inclusion.

It is a matter of pride that Urban Mobility India (UMI) has awarded KMRL for its project '**Seamless Transport in Kochi**' as the '**Best City in Urban Transport Initiative**' category for its innovative features including implementation of integration with Water Transport (Water Metro).

Kochi Metro was also lauded for its introduction of RuPay based transit card – in the name and style '**Kochi 1**' card. The 'Kochi 1' card was unveiled by the Hon'ble Prime Minister of India on 17th June, 2017, and is in use since then.

I also appreciate the initiatives taken by KMRL for developing the **Kochi 1 App**, which is a City App for transit and other services for Kochi; similar to the Mobility App available in certain cities worldwide. This App would provide a multi-functional digital environment, driven by transportation systems where customers can avail value-added services during their commute. This App is expected to be a spearheading initiative in the country and would also add to the revenue model of your Company from non-operating sources.

The people of Kochi and also from various parts of the State have embraced the Metro system and accepted KMRL with ardour and alacrity. I would like to thank the citizens of Kochi and the people of Kerala for their encouragement, support and goodwill which has enabled KMRL to achieve their goals, despite various difficulties encountered in project implementation.

I once again express my deep appreciation towards Shri Rajiv Gauba, the previous Chairman, under whose able guidance the Company moved forward towards achieving its pursuit to set up a world

class mass rapid transit system. I wish to thank the various departments of the Government of India and the Government of Kerala, the Board of Directors and various stakeholders for their unstinted support to the KMRL Project.

I deeply appreciate and acknowledge the sincere efforts and dedication of all the employees of KMRL for achieving the Company's goals. The transformation of a Company is continuous process and the pay-off do not happen overnight. We have made tremendous progress, but we still have much to do. Together, I am confident we will complete the transformation of KMRL into a company that creates significant value for all of its stakeholders.

Thanking you,

Sd/-

Durga Shanker Mishra

Chairman

DIRECTORS' REPORT

Dear Members,

Your Company's Directors are pleased to present the Sixth Annual Report of the Company, along with the Audited Financial Statements, for the financial year ending 31st March 2017.

About the Project

The Kochi Metro Rail Project was originally envisaged from Aluva to Petta, for a total length of 25.612 km with 22 stations at an estimated completion cost of Rs. 5181.79 crore. The Board of Directors of Kochi Metro Rail Limited (KMRL) decided to extend the metro corridor by another 2 km from Petta to Thripunithura with an additional investment of Rs. 359 crores, as Phase IA. In the larger interest of the Company and for the benefit of commuters, it was considered prudent to further augment the passenger carrying capacity and to improve the economic viability of the project. Keeping in view of this objective, the Board has also approved Phase II of the project from JLN station to Info Park via Kakkanad. The total length of Phase II is proposed as 11.2 km, with 11 stations. The proposed Phase II will connect Info Park, Smart City, Special Export Processing Zone (SEPZ), Kakkanad and many State / Central Govt. offices along the route. It will be constructed at an additional investment of Rs. 2577.25 crore which will improve the connectivity to Kerala's prime IT Hub at Kakkanad. The proposal is now under revision in order to comply with the new Metro Rail Policy (MRP).

Commencement of Revenue Operation

It is a matter of gratification for the Board of Directors of your company to report that the Reach-1 of Phase I, from Aluva to Palarivattom with a section length of 13.4 kms and 11 stations, was inaugurated by the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi on 17th June 2017, in the august presence of His Excellency, the Governor of Kerala, the Honourable Chief Minister of Kerala, the Honourable Union Minister for Urban Development, Housing, Urban Poverty Alleviation and Parliamentary Affairs and many other dignitaries. The inaugural ceremony was well attended by the people from the various cross sections of the society with great enthusiasm and alacrity. The entire city of Kochi was in a festive mood in welcoming their Kochi Metro; the first Metro Rail Project in the State. The Reach –1 section was opened to the general public on 19th June 2017.

A robust system of receiving public enquiries and feedback has been established from the first day of operations. A Passenger Helpline was started at Muttom Depot and mechanism of recording written feedback has also been put in place at stations. Public has shown considerable enthusiasm in sharing their feedback about the system. An efficient mechanism for addressing public complaints has also been put in place. The helpline is increasingly becoming the one-point contact for the people of Kochi with KMRL.

Your Company also believes in social & economic inclusion and has involved Kudumbashree Mission, a self-help group under the aegis of Local Self Governance Department of Government of Kerala, in selected aspects of its operations and maintenance activities like housekeeping and ticketing. Your Company is also taking up many initiatives to make its station facilities disabled-friendly. In a historic move, your Company decided to include Transgender Community in the O&M activities through Kudumbashree Mission. Details thereof have also been provided under the section 'Human Resource'.


Your Company had started the preparedness for O&M activities well in advance. KMRL has recruited around 300 O&M Staff. Training has been given to 254 people among them and Competency Certificate has been issued. The training of KMRL staff and the outsourced staff is being conducted regularly in the Training Centre at Muttom Depot.

Status of the Reach-2A from Palarivattom to Maharaja's College

Reach-2A, which encompasses the stretch from Palarivattom to Maharaja's College, was inaugurated by the Honourable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan in the presence of the Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Housing and Urban Affairs Shri Hardeep Singh Puri, on 3rd October, 2017.


Reach-2B – Maharaja's College to Petta

The progress achieved for the reach Maharajas College to Pettah of Kochi Metro Rail Phase I project for Civil Works as on 31.07.2017, is as follows:



Kochi Metro Rail Project –Phase I (Aluva to Petta)

The overall progress of Kochi Metro Rail Phase I project as on 31st July, 2017, is as follows:



Preparatory Works for Phase I

The major ongoing preparatory work of Kochi Metro Phase I is the widening of Kunnara Park – Petta stretch for which 60% of the work has already been completed. The land acquisition & construction work is targeted to be completed by end of this year.

As a part of preparatory work of Phase I, KMRL envisages re-construction of two lane Chambakkara bridge into a four lane one along the Metro viaduct for which Government of Kerala has accorded administrative sanction for Rs. 33.66 crore. A separate tender for the construction of a four lane bridge along with the metro viaduct for a length of 300 meters for crossing the Chambakkara Canal is under finalization.

Project Status of Phase IA

The Board of Directors of Kochi Metro Rail Limited (KMRL) had decided to extend the metro corridor by a length of 2 km from Petta to S.N. Junction consisting of two stations with an additional investment of Rs. 359 crores, as Phase IA. The land acquisition procedures for commencing the said extension is in progress now. Government of Kerala has accorded administrative sanction of Rs. 123 crores for the preparatory works of this extension. Administrative sanction has also been received for land acquisition of both project & preparatory work. SIA study has been completed and will be submitted to Government of Kerala shortly.

Project status of Phase II

The Board had approved Phase II of the project from JLN station to Info Park via Kakkanad. The total length of Phase II is 11.2 km, with 11 stations. As mentioned in this report it will connect Info Park, Smart City, Special Export Processing Zone (SEPZ), Kakkanad and many State / Central Govt. offices along the route. The revised proposal submitted to Government of Kerala was accorded the administrative sanction in May 2017 and it was submitted to the Government of India for its approval. This project, envisaging a revised project cost of Rs. 2577.25 crore, is presently under the consideration of the Central Government. The French funding agency M/s Agence Française de Développement (AFD) has shown interest in funding the project. Once the approval is received, the Phase II Project is expected to be completed in a time span of 4 years.

Government of Kerala has accorded administrative sanction of Rs. 189 crores for the preparatory works of Phase II. District administration has floated tender for conducting the SIA study for land acquisition for the preparatory works.

Connectivity Initiatives

Various efforts are being initiated by your company to further improve the transportation infrastructure in the city. In terms of its project sanction conditions, your Company has also been mandated to pursue the integration of various modes of transport and support the establishment of a Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) for Kochi City. To realize this vision, your Company has initiated several steps and conceived projects well beyond the construction of the Metro Rail.

In view of the fact that the city of Kochi also encompasses the backwaters, your Company has conceptualized an Integrated Water Transport project, details of which are presented under a separate section.

Comprehensive Mobility Plan

Integration of various modes of transport to the Metro Rail System with a view to improving the ridership is one of the agreed terms and conditions of the tripartite agreement signed between Government of India, Government of Kerala and KMRL. Your Company had engaged a consultant to prepare a Non-Motorized Transportation (NMT) Master Plan, Comprehensive Mobility Plan (CMP),

and Integrated Public Transport (IPT) in order to improve the accessibility to public transport network and the overall passenger experience. The study covers the feasibility and implementation framework for building an NMT infrastructure on a 2 km buffer zone along the Metro rail alignment and creation of a Public Bike sharing system. The NMT initiatives are approved by the Board and Government of Kerala at a cost of Rs. 161 crores and AFD has shown interest in financing the scheme. Your Company has also identified Aluva, Edappally and Vytila junctions for development as these junctions attract heavy traffic. The study of Comprehensive Mobility Plan (CMP) & Parking Master Plan for Greater Kochi and Integrated Public Transport Solutions was completed.

Your Company is also implementing an open-loop mobility card for ticketing solution, which will be valid across various modes of urban public transport that will enable customers to purchase tickets for transit as well as to effect other non-transit payments.

Your Company has developed a City App for Kochi, which would be similar to mobility apps available in leading cities in developed countries. This will provide a digital environment driven by transportation systems where passengers can avail customized value-added services.

Other City Improvement Initiatives

Your Company has also implemented the following programmes:

- Around 50 roads have been rebuilt conforming to the best standards with a 2-year maintenance warranty.
- More than 5000 saplings have been planted across Kochi under the Green Kochi initiatives.
- Modern street signage has been installed at multiple places in the city.
- As a part of NMT initiative, a walkway development project in Panampilly Nagar, "Streetscape" comprising of approximately 0.85 KM of walkway, beatification along with Street light and Bollards, tree illumination etc. was conceptualized. "Streetscape" was completed on time and made open to the public by the Honourable Chief Minister of Kerala on 21st June, 2016. This project has set the benchmark for all the city improvement works happening around the city.

With these initiatives, your Company is moving towards establishing itself as a total transport solution provider, and is helping Kochi city achieve seamless, integrated public transportation comprising of the metro, ferries, buses and non-motorized transport, with features like single ticketing, a single network and a single timetable for all public transport modes across the city.

Rolling Stock and System Contracts

A. Rolling Stock

The design of the Rolling Stock with state-of-the-art passenger amenities along with necessary safety features was finalized. All the eight trains required for start of passenger service for the Reach-1 section have been commissioned and inducted into the service following due safety certification process. The balance trains for the Reach-2 section are under various stages of manufacture in the Sri City facility of the manufacturer. In this context, it is worth mentioning that 70% of the components are indigenous, manufactured in India in compliance with the 'Make in India' initiative launched by the Hon'ble Prime Minister of India.

B. Signaling & Telecom

M/s Alstom Transport India Ltd. led consortium is executing the Signaling & Train Control and Telecommunication Systems of the Kochi Metro Rail Project. M/s Bureau Veritas Italia S.p.A is the Independent Safety Assessor (ISA).

Signaling & Train Control and Telecommunication System for the Reach-1 starting from Aluva to Palarivattom was tested & commissioned, which includes nine trains (09) declared fully fit for revenue operation with Automatic Train Protection.

The detailed design of Signaling & Telecom for the section Reach-2A from Palarivattom to Maharaja's College has been finalized. Installation activities are under progress. The commissioning of the Automatic Train Operation of the trains will be done along with the commencement of operations of Reach-2A.

C. Traction, Power Supply and Electrical & Mechanical

As reported in the last year, the works of Power Supply, Traction and Third Rail for Phase I had been awarded to M/s Alstom Transport SA & M/s Alstom Transport India Pvt. Ltd. The receiving sub-station as well as the Auxiliary Sub Station /Traction Sub Station (ASS/TSS) in depot and at the 11 stations for the Reach-1 section have been commissioned, duly obtaining the certifications from Electrical Inspector General (EIG). The installation work for the Reach-2A section is progressing.

The KSERC issued revised tariff orders for the power consumed by KMRL with one tariff for the traction as well as for the station loads, which is the lowest among the Indian Metros. Similarly, single point billing is sanctioned with commercial loads in stations being metered separately.

The work related to Electrical and Mechanical systems of the five stations under Reach-2A i.e., Palarivattom to Maharaja's College is in progress.

The work for the supply and installation of Lifts had been awarded to Johnson Lifts Pvt Ltd. Erection of all lifts for the Reach-1 and Reach-2A section has been completed and the testing is in progress.

The works for the supply and installation of Escalators had been awarded to the Consortium of Johnson Lifts (P) Ltd & SJEC, China. Installation of 51 escalators for the Reach-1 is completed. Erection of 23 escalators for the Reach-2A section was completed and the testing is in progress.

D. Solar Plant

KMRL had taken up the work for the installation of the roof top solar plant of capacity 4MW at stations and the Depot which were awarded to Hero Solar Energies (P) Ltd in accordance with the Renewable Energy Service Company (RESCO) Model under Central Financial Assistance (CFA) @15% from the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India. The solar plant has been installed in all the 11 station roofs and depot buildings, the capacity of which works out to 1386 kWP and generation of electricity has started. On an average, about 3300 kWh per day of energy is

generated in the station buildings.

In Muttom Depot, vacant land is available where KMRL can install solar panels on the land. A Feasibility cum Detailed Project Report has been prepared to find out the feasibility as well as the yield of the plant, to proceed with the implementation. The extent of area of the vacant land available is approximately 40,000 sq mtr, from which approximately 2.3 MWp power can be generated. This project is in tendering stage under the RESCO model.

Thus, with the implementation of these two projects, it is estimated that KMRL will be able to save about 25000 KWH per day. Altogether, this would account to approximately 30% of the total energy usage of KMRL. Once the project is fully operational 30 % reduction in fossil fuel usage can be thus achieved, which would reduce the carbon emissions and give immense weightage for the project to be justified.

E. Automated Fare Collection System

Your Company has introduced a unique, technologically advanced Automated Fare Collection System (AFC) under an innovative implementation model. In this business model, a consortium led by Axis Bank bears the capital and maintenance cost of the implementation of the AFC system for 10 years and will also pay a royalty of Rs. 208 crores to KMRL over the same period. Axis Bank will also issue co-branded smart cards of EMV standards, which can be used as tickets for Kochi Metro and as stored value cards at other Points of Sale (PoS). The smart card was officially launched on 17th June 2017 during the inaugural ceremony of Kochi Metro.

AFC equipment, both on site and on cloud has been installed and commissioned for the first 11 stations from Aluva to Palarivattom. AFC system has been working satisfactorily since the opening of the section for revenue operation. Some of the salient features of the AFC system are:

- Use of QR coded tickets for transit.
- EMV standard Contactless Smart Card for transit operation.

F. Platinum Rating - IGBC Green MRTS Certification

As a Green initiative of KMRL, Indian Green Building Council (IGBC) has evaluated in detail, the green features of these 16 elevated stations under Elevated/ At Grade Station Category and all the stations from Aluva – Maharaja's College station of Phase I stretch of KMRL was awarded with the highest certification level of Platinum rating and Global leadership recognition.

G. Non-Motorized Transport and pedestrian-friendly initiatives

In accordance with the guidelines of the Ministry of Urban Development (MoUD) that MRTS projects shall facilitate public bike sharing and pedestrian friendly facilities in the influence zone of the stations, your Company is preparing a Non-Motorized Transportation (NMT) Master Plan that envisages multiple projects for the improvement of NMT infrastructure (Phase I). Station oriented development includes revamping or extending the footpath and drains, providing covered walkways, creating drop off points, designated bus bays, parking areas, pedestrian crossings with pelican lights and improvement of existing junctions. Projects under Execution are:-

- Development of an NMT corridor along the entire length of the metro network from Aluva to Maharaja's College.

- Hospital Road walkway project, to integrate the busiest boat jetty in Kochi (Ernakulum Boat Jetty) with the Maharajas College Metro station (located on MG Road) through a 3.5m wide walkway is being executed by KMRL under the aegis of Cochin Smart Mission Limited.
- Junction improvement at Edappally – Edappally Junction, being the intersection of two major highways (NH47 of 630 Kms and NH17 of 1270 Kms), is one of the busiest junctions in Kerala. This junction which is under the flyover and the Metro corridor and very near to the Edapally Metro Station attracts huge traffic owing to Malls, Churches and Hospitals etc., in its vicinity.
- Aluva – Pulinchodu Corridor Works to pedestrianize the corridor. Aluva lies North of Kochi city and is the gateway to the Metro corridor. With a metro station, two bus terminals, a major railway station, the town has a good potential to become an important interchange hub.
- Three junctions - Aluva, Edapally and Vytila, are intended to be developed as multi-modal transport hubs and NMT corridors.

The improvement plans are being designed by UMTC, CODATU and Egis Rail. The cost estimate for these NMT initiatives is Rs. 161 crores and is expected to be funded by AFD.

Alternate Revenue Initiatives

With a view to shore up its bottom line, your Company is exploring ways to leverage the indirect beneficiaries and other sources for alternate incomes. The avenues for non-fare box revenue has been identified and explored and includes the following:

- Advertisements
- Commercial Development & Rentals
- Property Development
- Leasing of Optic Fiber Cables
- Semi-Naming for Stations
- Leasing of tower spaces
- Parking

Property Development- Kakkanad Metro city

Development of 18 acres of land close to the proposed Kakkanad Metro Station, allotted to KMRL by the Government of Kerala, is being undertaken as Metro City Project. This project envisages construction of approximately 30 lakh sq.ft. In the first phase, construction of residential apartments admeasuring 12 lakh sq. ft. would be undertaken and action for engaging a Design Built Developer for Phase I is in final stage.

Integrated Water Transport Project

As mentioned in the initial part of this report, the Integrated Water Transport project envisages passenger ferries connecting thirty-eight jetties across ten islands and the mainland in and around Ernakulam. The project has 16 defined routes with a total length of 76 km.

This initiative is the first comprehensive project of its genre, being implemented anywhere in the country for the development of water transport network. The project has the wherewithal to change the water transport landscape of India in the days to come. The development and the energy-efficient

modernization of the water transport system contemplated in this project will significantly improve the mobility of the city's population and reduce environmental pollution and the volume of resources consumed.

The financial and operational responsibility of this project vests with the Government of Kerala who is the de-jure owner of the project and your company will be the agency responsible for its execution and operations. The total outlay for this project is pegged at Rs. 747 crores (excluding land cost). German funding agency KfW has signed a loan agreement with Government of India for EUR 85 million on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development for funding of this project. A tripartite agreement between the Government of Kerala, KfW, and your Company was executed on 18th June 2016 in the presence of the Hon'ble Chief Minister of Kerala, Shri. Pinarayi Vijayan in New Delhi.

Your company has established a separate vertical exclusively for this water transport project and inducted personnel to oversee the implementation of this project. A consortium, comprising of AECOM, UMTC and Zebec Marine has already been appointed as General Consultant for the project execution.

The preparatory works like environmental clearances from Ministry of Environment and Forest (MOEF) surveys and traffic studies are progressing well. Your company shall come out with various tenders pertaining to the project shortly. We expect to launch the first fleet of boats by 2019.

Financial Highlights and Project Funding

During the financial year 2016-17 the Company made a net loss after tax of Rs. 14.70 crore against the previous year's loss of Rs. 20.13 crore.

Share Capital and Subordinate debts

KMRL received Rs. 112.23 crore (previous year, Rs. 150 crore) towards equity during the year from the Government of Kerala. The total paid up Share Capital of KMRL as on 31st March 2017 is Rs. 1507.46 crore (previous year Rs. 1283.00 crore). During the year 2016-17, Government of India provided Rs. 30.00 crore (previous year Rs. 60.64 crore) as interest free subordinate debt towards Central Taxes. Government of Kerala has provided an amount of Rs 152.59 crore towards subordinate debt (Previous year NIL). The total subordinate debt received till 31st March 2017 from both the Governments are Rs. 641.43 crore (up to the previous year Rs. 458.84 crore).

Your Company has received 100% of the approved equity-funding share from the Government of India and the Government of Kerala till the end of the financial year 2016-17.

Term Loans

During the year, an amount of Rs. 604.00 crore was drawn as Pass Through Assistance (PTA) from Government of India against the Agence Française de Développement (AFD) loan. A loan amount of Rs. 142.44 crore was also drawn from Canara Bank during the year. The cumulative loan availed up to 31st March, 2017 was Rs. 1030.43 crore as PTA and Rs. 392.44 crore from Canara Bank.

Human Resource

In line with the tradition of pioneering HR practices, the Human Resources Department of KMRL has

driven myriad changes in the way human resources are managed and developed, striking a balance between business needs and individual aspirations. KMRL follows the value - "Employee Empowerment". It focuses on improving the work culture, employee engagement, productivity, effectiveness and efficiency.

Keeping the Mission and Vision statement of KMRL, the manpower required for its operation & maintenance were recruited on time and training was imparted to them. As on 31st March 2017, KMRL has a team of highly dedicated personnel, i.e., 80 in Projects, 352 in Operation & Maintenance Wing and 11 in Water Metro project. In view of the peak construction activities for Phase I and the subsequent revenue operations, the intake of manpower and their competency building is in progress. Virtual classroom training programmes using centralized training infrastructure and resources were used to impart training to the newly recruited technical manpower.

As part of women empowerment, KMRL has given works contract to Kudumbashree Mission (a women's self-help group, of Government of Kerala), for providing services ranging from manning Ticket Operating Machines & Excess Fare Office, Housekeeping, Crowd Management at stations etc. As part of our social commitment and empowerment of less privileged group, KMRL had engaged 19 Transgenders through Kudumbashree for the aforesaid operations.

The guidelines issued by the Government of India from time to time with regard to reservation of services for SCs/STs/PH/OBCs etc. are being followed. As on 31st March 2017, Kochi Metro has employed 38 Scheduled Caste, 187 Other Backward Class, 8 Ex Servicemen and 2 Persons with Disabilities.

The Management of KMRL always feels that motivated, contented and satisfied workforce is the key for the successful achievement in its organizational goals. Keeping this objective in view, the Company is giving paramount importance for human resource development and realization of its potential. The employer-employee relationship continues to be cordial throughout the year and KMRL was able to meet the targets.

Board of Directors

As on the date of this report, the Board of your Company comprises of 13 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 4 Directors are nominees of the Government of Kerala, 1 is an independent director and 3 are Functional Directors. The Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India is the Chairman, while the Managing Director is a nominee of the Government of Kerala. A detailed note on the Board of Directors is provided under the section 'Corporate Governance Report'.

Number of Meetings of the Board

During the financial year 2016-17, the Board of Directors of your Company met two times, on the 19th July 2016 and the 30th November, 2016.

Committees of the Board

The Board has constituted eight sub-committees commensurate with the size and nature of the operations of KMRL. These are the Audit Committee, the Corporate Social Responsibility Committee, the Human Resource Development and Remuneration Committee, the Operation and Maintenance Committee, the Project Management Committee, the Investment Committee, the Procurement

Committee and the Property Development Committee. Each of these sub-committees has clearly spelt out Terms of Reference duly approved by the Board. These sub-committees meet according to the requirements of your Company from time to time. The details of the sub-committees of the Board are provided under the section 'Corporate Governance Report'.

Directors' Responsibility Statement

The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values and the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act').

The Company has adopted all the applicable Ind AS and the adoption was carried out in accordance with applicable transition guidance. Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

In compliance with section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors state that:

- in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2017, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanations for material departures;
- the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of your Company at the end of the financial year and of the profit and loss of your Company for that period;
- the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of your Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the Directors have prepared the annual accounts on a going-concern basis;
- the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and are operating effectively.

Extract of the Annual Return

The extract of the Annual Return as provided under sub-section (3) of section 92 of the Companies Act, 2013, in the prescribed form, MGT 9 is annexed to this Report.

Particulars of loans, guarantees and investments

During the year under Report, your Company has not

- a. given any loan to any person or other body corporate;
- b. given any guarantee or provided security in connection with any loan to any other body corporate or person; and
- c. acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under section 186 of the Companies Act, 2013.

Related Party Transactions

During the year under report, your Company has not entered into any contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013.

Material changes and commitments

There have been no material changes and commitments affecting the financial position of your Company, except for adoption of Indian Accounting Standards (IndAS), statutorily required to be adopted by companies having net worth of Rs. 500 crore or more.

Conservation of energy and technology absorption

Your Company has contracted and used state-of-the-art technology for the metro systems for increased energy efficiency and sustainability as cost effective solutions. Your Company is implementing various alternate sources of energy like solar power, which will help reduce dependence on conventional non-renewable energy sources.

Sustainable, energy efficient and cost effective solutions and systems are incorporated in the metro rail cars, power supply system and stations as follows:

- Renewable energy source of Solar power plant is installed over the roof tops of all the stations and depot buildings, which will save cost as well as considerable quantum of fossil fuel. Additional Solar power plant is under the process of implementation, along the unutilized land available within the depot area.
- Energy efficient LED lights are used in lighting the interior and exterior in trains.
- LED lights will be used for all the lighting works in the Stations and the Depot including High Mast light in Depot. The street light along the high way as well as in the depot is also been provided with energy efficient LED lights.
- Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) drive for the train's propulsion system, which uses optimized energy during the powering of the train. The equipment will regenerate energy during the braking period, which is very frequent in the case of short inter-station distances of metro system.
- Reversible substation of VVVF technology is under execution process in the traction substations at designated locations, which will pump the excess regenerated energy unutilized by the other trains in the section.
- Variable Refrigerant Flow (VRF) air-conditioning systems are adopted in the stations and depot which saves considerable amount of energy. The HVAC system used has a high COP value of 2.2, which is reliable and energy efficient under all weather conditions.
- VVVF drive for the lifts & escalators, which provides sleep mode for the lifts and idling or slow speed mode escalators when passengers are not detected.
- Energy efficient 33KV high voltage power distribution system is adopted for distribution of power throughout the metro corridor.
- IGBC has evaluated the green features of the 16 elevated stations under Elevated/ At Grade Station Category and has appraised all the 16 elevated metro stations in Aluva - Petta Corridor of Phase I stretch of KMRL with the highest certification level of Platinum rating and Global leadership recognition.

Corporate Communication Management and presence in Social Media

The Corporate Communications Department of KMRL has been continuously ensuring the company's active presence in public space explaining and detailing company's vision, mission and the philosophy. The Department has been effectively engaging the public through news media,

advertising campaigns and Digital media

The dynamic participation and interaction with the public through the digital media has helped the Company draw out relevant suggestions from the public for the betterment of Kochi Metro. It is the dedication and effort that we put in the digital media that resulted in gaining nearly 5 lakh followers and likes and the reach of 1 million people in the Facebook page. The Facebook page of the Company has become one single platform for the public to know anything and everything new about Kochi Metro. The inaugural ceremony of Kochi Metro held at Kaloor Jawaharlal Nehru Stadium, on June 17th 2017 was streamed live on Facebook and You Tube for all the users to witness the event and it was viewed by nearly 4 lakh people around the world. Instant response on messages and comments also helped in the rise of followers and to create a healthy rapport with them. Your Company is constantly monitoring the complaints that are received as messages and comments and also have taken necessary actions to resolve them.

In addition to Facebook, social media platforms like Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Wikipedia etc. are also managed with constant updates on all activities with photos and videos. Important events are also updated regularly in the blog of Kochi Metro, which also has a good number of subscribers.

In order to boost the web based communication system, our website is also managed with constant updates regarding activities and progress in work, information for employees, tenders and career news for the public. We have also made creative logos for Kochi Metro and various modes of transport like Metro Cycle, Water Bus and Metro Taxi.

Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year there was no foreign exchange earnings. However, an amount equivalent to Rs. 15.14 lakh was incurred towards foreign travel.

Risk Management Policy

Your Company is committed to identify potential risks before they occur so that the risk management activities may be planned and invoked as and when needed across the life of the project and to mitigate its adverse impacts on achieving the larger objectives.

Keeping this in view your Company has identified the following specific objectives:

1. to ensure that all the current and future material risk exposures of the Company are identified, assessed, quantified, appropriately mitigated, minimized and managed on time;
2. to ensure that high priority risks are aggressively managed and eliminated;
3. to ensure that all risks are cost-effectively managed throughout the project;
4. to promote information sharing at all levels of the management to make informed decisions on issues critical to the success of the project;
5. to ensure compliance with the appropriate regulations, wherever applicable.

Your Company has adopted the following measures to achieve and improve the specific objectives:

- Engagement of IIM Kozhikode as a consultant for preparation of a Risk Management Policy for the Company.
- Constitution of an internal team consisting of the Company Secretary, the General Manager

(HR, Admin and Training) and the Legal Officer to ensure compliance with the various statutes applicable to the Company.

- Conducting quarterly internal audit by independent auditors; their observations are reviewed by the Audit Committee and corrective actions taken wherever found appropriate.
- Physical verification of assets at regular intervals by a team constituted for the purpose and by the internal auditors.
- Use of data encryption technology for communication and storage of data which ensures safety and data security.
- Insure the assets of the Company.

Fixed Deposits

Your Company has not accepted any fixed deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Corporate Social Responsibility

Being a responsible and responsive corporate citizen, your Company is committed to its stakeholders viz., the shareholders, the employees, the management, the suppliers, the customers and the community at large. As an environment friendly metro organisation, your Company has been undertaking initiatives from its inception to improve the standard of living and to enhance the quality of life of the people in Kochi, acknowledging the Company's responsibility towards the society.

Your Company has complied with the provisions of the Companies Act, 2013 in letter and spirit and has constituted a Corporate Social Responsibility Committee comprising of:

1. Shri Elias George	-	Chairman
2. Shri Mukund Kumar Sinha	-	Member
3. Vice Admiral S.K.K. Krishnan	-	Member
4. Smt Sheela Thomas	-	Member
5. Shri Abraham Oommen	-	Member
6. Shri Praveen Goyal	-	Member
7. Shri Thiruman Archunan	-	Member

Although there was no statutory requirement to expend towards Corporate Social Responsibility, your Company voluntarily undertook the following initiatives during the year under report:

- Under the 'Go Green' Initiative your Company planted more than 5000 trees in and around Kochi city.
- To improve the road travelling experience in Kochi, 50 roads were strengthened using the latest available technology.
- The walkway development project in Panampilly Nagar with approximately 0.85 KM of walkway, beautification along with Street light and Bollards, tree illumination etc.
- Your Company also helped the panchayats and municipalities in Kochi to clean the drainages to mitigate the hardships of the people during the monsoon.
- After the inaugural function, a 'Snehayatra' was organized on 18th June, 2017 as a benign effort facilitated by your company for the disadvantaged children and destitute people to ride on our metro system.

Directors and Key Managerial Personnel

During the year under report the following Directors were appointed in the place of the named Directors who retired/superannuated:

SI No.	Name of the Director Ceased	Date of cessation	Name of the Director appointed	Date of appointment
1.	Shri Jiji Thomson	29.02.2016	Shri S.M. Vijayanand	23.05.2016
2.	Shri Madhusudan Prasad	31.03.2016	Shri Rajiv Gauba	01.04.2016
3.	Shri Laj Kumar	31.05.2016	-	-
4.	-	-	Shri Thiruman Archunan	29.08.2016
5.	Dr M.G. Rajamanickam	20.09.2016	Shri K. Mohammed Y. Safirulla	20.09.2016
6.	Shri V.J. Kurian	20.09.2016	Shri M. Sivasankar	20.09.2016

The office of the following Directors remained unaltered during the year:

- Shri Rajiv Gauba, Chairman
- Shri Elias George, Managing Director
- Shri Mukund Kumar Sinha
- Dr K.M. Abraham
- Shri L. Narasim Prasad
- Shri Abraham Oommen
- Shri Praveen Goyal

Directorial changes that occurred before 31st March, 2017:

- On 1st April, 2016 Shri Rajiv Gauba, Secretary, Ministry of Urban Development, had taken over as Director and Ex-Officio Chairman of the Company in place of Shri Madhusudan Prasad.
- On 23rd May, 2016 Shri S.M. Vijayanand, Chief Secretary, Government of Kerala took charge as Director (Government of Kerala nominee) on the Board.
- On 31st May, 2016 Shri Laj Kumar, Additional Member (Works), Railway Board ceased to be Director.
- On 29th August, 2016 Shri Thiruman Archunan was appointed as the Director, Projects of the Company.
- On 20th September, 2016 Shri K. Mohammed Y. Safirulla and Shri M. Sivasankar took charge as Directors of the Company

Directorial changes that occurred after 31st March, 2017 but before the date of this report:

- On 7th April, 2017, Shri Sharat Sharma, Director (Operations), Delhi Metro Rail Corporation and Shri Anirudh Jain, Addl. Member (Works), Railway Board took charge as Directors (Government of India nominees) on the Board.
- On 25th April, 2017 Smt Nalini Netto, Chief Secretary, Government of Kerala took charge as Director (Government of Kerala nominee) on the Board.
- On 30th May, 2017, Smt Sheela Thomas and Vice Admiral S.K.K. Krishnan were appointed as independent directors of the Company.
- On 23rd June, 2017 Shri Durga Shanker Mishra, Secretary, Ministry of Urban Development took charge as Chairman (Government of India nominee) on the Board.
- On 16th August, 2017 Smt Sheela Thomas tendered her resignation.
- On 29th August, 2017 Shri Ajit Pandit, Addl. Member (Works), Railway Board was nominated as Director on the Board in place of Shri Anirudh Jain.
- On 31st August, 2017 Smt Nalini Netto ceased to be Director.
- Shri Praveen Goyal, Director Systems, tendered his resignation and will relieve his office on 23rd October, 2017.
- Shri Abraham Oommen, Director Finance, will superannuate on 31st October, 2017 and will relieve his office on the same date.

Your Company has the following Key Managerial Personnel as on the date of this report:

- Shri Elias George, Managing Director,
- Shri Abraham Oommen, Director, Finance,
- Shri Praveen Goyal, Director, Systems,
- Shri Thiruman Archunan, Director, Projects
- Shri B. Anilkumar, Company Secretary.

Presentation of financial statements

The financial statements of your Company for the year ended 31st March, 2017 have been disclosed as per Schedule III to the Companies Act, 2013.

Significant and Material orders

No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going-concern status of the Company and affecting its operations.

Internal Financial Control

The Board has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of your Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial statements.

Corporate governance

Your Company adheres to Corporate Governance standards and pursues transparency, integrity and accountability in all its activities. A separate section entitled 'Corporate Governance Report' has been annexed to this report.

Secretarial Standards of ICSI

Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has on 23rd April, 2015, notified the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) effective 1st July, 2015. The Company is complying with the same, except with respect to the timely conduct of the Board meetings.

Auditors

Statutory Auditor

Pursuant to section 139 of the Companies Act, 2013 M/s K. Varghese & Co., Chartered Accountants were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) who shall continue in office till the conclusion of the next Annual General Meeting.

The Report of the Statutory Auditors, being a part of the Directors' Report, has been annexed herewith.

Secretarial Auditor

Pursuant to the provisions of section 204 of the Companies Act, 2013, Shri T.R. Sreeram, Practising Company Secretary, was appointed to conduct the secretarial audit of your Company for the year 2016-17. The report from the secretarial auditor and the explanations or comments to every qualification made by the Company Secretary in practice in his secretarial audit report is annexed to this Report.

Internal Auditor

M/s JRS & Co, Chartered Accountants, Kochi, were appointed as the Internal Auditors of your Company to conduct internal audit and oversee the duties of the internal auditors of the Company and their report is reviewed by the Audit Committee from time to time.

Other Disclosures

The Company has a policy on prevention of sexual harassment at workplace. The Company has constituted an Internal Complaints Committee in line with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 consisting of the following members to look into the cases pertaining to sexual harassment of women and to facilitate a safe working environment free from sexual harassment.

Composition of the Internal Complaints Committee:

- Ms. Susan Solomon Thomas - Presiding Officer
- Dr. Lizamma Koshy, Retd. HoD (Chemistry) Maharajas College, Ernakulam - External Member
- Ms. Lilly Kutty Raju - Member
- Dr. A. J. Augustine - Member & Convener

There has been one instance of sexual harassment reported during the year under review.

Acknowledgement

Your Directors wish to place on record their sincere appreciation of the assistance rendered by the Central / State Government and local authorities, Office of the C&AG, Statutory Auditors, Secretarial

Auditors, Internal Auditors, AFD, KfW, Canara Bank, Ernakulum District Cooperative Bank and other Commercial Banks, Delhi Metro Rail Corporation Ltd, Bangalore Metro Rail Corporation Ltd., both the print and the visual media, contractors, suppliers, vendors, advisors, consultants, customers and various stakeholders connected with the affairs of the Company and thank each one of them. The Board also places on record its sincere appreciation of the commitment and the whole-hearted co-operation extended by the officers and other staff members of your Company.

For and on Behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chairman

Place: Kochi

Date: 3rd October, 2017

EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN (FORM MGT 9)

As on the Financial Year ended on 31st March, 2017

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i. Corporate Identity Number, CIN	:	U60100KL2011SGC029003
ii. Registration Date	:	02/08/2011
iii. Name of the Company	:	KOCHI METRO RAIL LIMITED
iv. Category/ Sub Category of the Company	:	PUBLIC COMPANY
v. Address of the Registered office and Contact Details	:	REVENUE TOWER, 8 TH FLOOR, OPPOSITE SUBHASH PARK, KOCHI, KERALA, INDIA, PIN – 682 011. Tel: +91 484 2380 980, Fax: +91 484 2380 686, E-mail: kochimetro@2011@gmail.com Website: www.kochimetro.org
vi. Whether listed Company	:	No
vii. Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	:	NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the Company shall be stated:-

SL. No.	Name and Description of the main products/ services	NIC Code of the product/ service	% to total turnover of the company

Not Applicable since the Company is in project stage and yet to start its operations.

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any holding, subsidiary and associate companies.

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Shareholding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Individual/HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Central Govt.	-	6,41,50,000	6,41,50,000	50	-	7,53,73,000	7,53,73,000	50	17.49
c) State Govt.(s)	-	6,41,50,000	6,41,50,000	50	-	7,53,73,000	7,53,73,000	50	17.49
d) Bodies Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Bank/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL:(A) (1)	-	12,83,00,000	12,83,00,000	100	-	15,07,46,000	15,07,46,000	100	
(2) Foreign									
a) NRIs - Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any other...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (A) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	-	12,83,00,000	12,83,00,000	100	-	15,07,46,000	15,07,46,000	100	17.49
B. PUBLIC SHAREHOLDING									
(1) Institutions									
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt.(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (B)(1):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) Non Institutions									
a) Bodies Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual shareholders holding nominal share capital up to Rs.1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individuals shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (B)(2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	-	12,83,00,000	12,83,00,000	100	-	15,07,46,000	15,07,46,000	100	17.49

ii) Shareholding of Promoters

SL No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/encumbered to total shares	
1	President of India	6,41,50,000	50	-	7,53,73,000	50	-	17.49
2	Governor of Kerala	6,41,50,000	50	-	7,53,73,000	50	-	17.49
	Total	12,83,00,000	100	-	15,07,46,000	100	-	17.49

Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

SL. No.	Name of Promoters	Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	President of India	6,41,50,000	50	-	-
	Governor of Kerala	6,41,50,000	50	-	-
	Total	12,83,00,000	100	-	-
	Change in share holding				
1.	President of India 19 th July, 2016 (Allotment)	80,00,000	5.54	7,21,50,000	50
2.	Governor of Kerala 19 th July, 2016 (Allotment)	80,00,000	5.54	7,21,50,000	50
3.	President of India 30 th November, 2016 (Allotment)	32,23,000	2.13	7,53,73,000	50
4.	Governor of Kerala 30 th November, 2016 (Allotment)	32,23,000	2.13	7,53,73,000	50
	At the end of the year				
	President of India	-	-	7,53,73,000	50
	Governor of Kerala	-	-	7,53,73,000	50
	Total	-	-	15,07,46,000	100

iii) Shareholding pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

SL. No	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc.)	-	-	-	-
	At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	-	-	-	-

iv) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

SL. No	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	Shri Rajiv Gauba				
	At the beginning of the year	1	-	-	-
	At the end of the year	1	-	-	-
2.	Shri Mukund Kumar Sinha				
	At the beginning of the year	1	-	-	-
	At the end of the year	1	-	-	-
3.	Shri Elias George				
	At the beginning of the year	2	-	-	-
	At the end of the year	2	-	-	-
4.	Shri Jitendra Tyagi				
	At the beginning of the year	1	-	-	-
	At the end of the year	1	-	-	-
6.	Shri L. Narasim Prasad				
	At the beginning of the year	1	-	-	-
	At the end of the year	1	-	-	-
7.	Dr K.M. Abraham				
	At the beginning of the year	1	-	-	-
	At the end of the year	1	-	-	-
8.	Shri S.M. Vijayanand				
	At the beginning of the year	1	-	-	-
	At the end of the year	1	-	-	-
9.	Shri K. Mohammed Y. Safirulla				
	At the beginning of the year	1	-	-	-
	At the end of the year	1	-	-	-
10.	Shri M. Sivasankar				
	At the beginning of the year	1	-	-	-
	At the end of the year	1	-	-	-
11.	Shri Abraham Oommen				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
12.	Shri Praveen Goyal				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
13.	Shri Thiruman Archunan				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
14.	Shri B. Anilkumar				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-

Note: The Directors hold shares as nominees of the Government.

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

(Rs. in Lakh)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	114620.54	4558.98	-	119179.52
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	4857.15	-	-	4857.15
Total (i+ii+iii)	119477.69	4558.98	-	124036.67
Change in Indebtedness during the financial year				
+ Addition	80154.09	2654.50	-	82808.59
- Reduction	114.87	-	-	114.87
Net Change	80039.22	2654.50	-	82693.72
Indebtedness at the end of the financial year	-	-	-	-
i) Principal Amount	189265.68	7213.49	-	196479.17
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	10251.23	-	-	10251.23
Total (i+ii+iii)	199516.91	7213.49	-	206730.40

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(Rs. in Lakh)

SL. No.	Particulars of Remuneration	Name of the MD/WTD/Manager				Total Amount
		Shri Elias George (MD)	Shri Abraham Oommen (WTD)	Shri Praveen Goyal (WTD)	Shri Thiruman Archunan (WTD)	
1	Gross salary					
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax. 1961.	6.22	28.72	27.73	14.82	77.49
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961	4.55	0	4.38	2.60	11.53
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-		-
2	Stock option	-	-	-		-
3	Sweat Equity	-	-	-		-
4	Commission	-	-	-		-
	as % of profit	-	-	-		-

	others (specify)	-	-	-	-	-	
5	Others, please specify	4.80	8.65	6.79	3.34	23.58	
	Total (A)	-					
	Ceiling as per the Act	Not Applicable					

Notes: Upto Oct 2016 Salary of the Managing Director is paid by the Government of Kerala and from Nov 2016 by KMRL.

Salary and perquisites include all elements of remuneration i.e. salary, allowances and benefits.

No bonus, pension or performance linked incentive is paid to any of the Directors.

The Company has not issued any stock options to any of the Directors.

B. Remuneration to other Directors:

During the year the Company has not paid any remuneration to the non-executive Directors.

C. Remuneration of Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD:

(Rs. in Lakh)

SL. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary B. Anilkumar	CFO	Total
1	Gross Salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	-	15.50		15.50
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	-	1.48	-	1.48
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
2	Stock Option	-	-	-	-
3	Sweat Equity	-	-	-	-
4	Commission	-	-	-	-
	as % of profit	-	-	-	-
	others, specify	-	-	-	-
5	Others, please specify	-	3.85	-	3.85
	Total	-			

VII. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

During the year 2016-17, there were no penalties/punishment/compounding of offences under Companies Act, 2013.

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the Financial Year ended 31st March, 2017

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

Form MR - 3

The Members

Kochi Metro Rail Limited

(CIN # U60100KL2011SGC029003)

8th floor, Revenue Tower

Opp. Subhash Park

Kochi – 682 011.

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Kochi Metro Rail Limited** (hereinafter called the company). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on the verification of company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2017 ('Audit Period') complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the company has followed the Board processes and has the required compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **Kochi Metro Rail Limited** for the financial year ended on 31st March, 2017 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under; (***The clause is not applicable as the company is an Unlisted Public Company.***)
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under; (***The clause is not applicable as the company is an Unlisted Public Company.***)
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowings (***The clause is not applicable during the Audit period.***)
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): (***The company being an Unlisted Public Company, Clause (v) and its***

sub clauses (a) to (h) are not applicable).

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme Guidelines, 1999;
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998.

I have also examined with applicable clauses of following:

- (I) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India and
- (ii) The Listing Agreements entered into by the company with Bombay Stock (s) Exchange Limited, National Stock Exchange of India Limited and London Stock Exchange. (***The Clause is not applicable as the company is an Unlisted Public Company.***)

During the period under review the company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines and Standards as mentioned above, subject to the following observations:

1. *The company has not appointed Independent Directors as required under Section 149(6) of the Act during the audit period. However, the Board in its 26th Meeting held on 30th May 2017 has appointed two Independent Directors.*
2. *The Company has constituted an Audit Committee but the composition does not consist of Independent directors as stipulated in Section 177 of the Act as there were Nil Independent Directors during the reporting period.*
3. *The company has not appointed Woman Director as required under Section 149(1) of the Act during the audit period. However, the Board in its 26th Meeting held on 30th May 2017 has appointed a Woman Director.*
4. *During the financial year 2016-17, the company has held two board meetings on 19/07/2016 and 30/11/2016 respectively. As per Section 173(1) of the Companies Act, 2013, every company must hold a minimum of four board meetings every year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive meetings of the board. Prior to the meeting of 19/07/2016, the board of the company met on 18/01/2016. Thus the company is in contravention of the provisions of Section 173(1) of the Companies Act, 2013 and Secretarial Standard 1 (SS-1) on the meeting of the Board of Directors issued by the Institute of Company Secretaries of India.*

I further report that in respect of other laws specifically applicable to the company, I have relied on

information/records produced by the company during the course of the audit and the reporting is limited to that extent. The company has complied with following legislations specifically applicable to it:

- (a) Income Tax Act, 1961;
- (b) Service Tax Act, 1994;
- (c) Kerala Value Added Tax Act, 2003 and CST;
- (d) Provisions of all Labour legislations governing the Company's employees;
- (e) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970;
- (f) Inter State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979;
- (g) Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996;
- (h) Provisions of Environment protection laws;
- (i) Right to Information Act, 2005 and
- (j) Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

I further report that:

The Board of Directors of the company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The change in the composition of the Board of Directors that took place during the audit period were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings. Agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Decisions at Board Meetings are carried out and recorded in the Minutes of Meetings of Board of Directors.

There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Signature: Sd/-

T R Sreeram

Place: Ernakulam

Date: 03/10/2017

Name of the Company Secretary: T R Sreeram

FCS No : 4926

C.P. No : 3351

Annexure - A

The Members
Kochi Metro Rail Limited
(CIN # U60100KL2011SGC029003)
8th floor, Revenue Tower
Opp. Subhash Park
Kochi – 682 011.

The report of even date is to be read along with this Annexure.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the company. My responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on my audit.
2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. I believe that the processes and practices that were followed provide a reasonable basis for my opinion.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the company.
4. Where ever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. I have based my opinion on the basis of information/records produced by the company during the course of the audit and the reporting is limited to that extent.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company

**Signature: Sd/-
T R Sreeram**

Place: Ernakulam

Date: 03/10/2017

Name of the Company Secretary: T R Sreeram

FCS No.	:	4926
C.P. No	:	3351

Corporate Governance Report

Kochi Metro Rail Limited (KMRL) is an unlisted Public Limited Company, and is pursuing the underlying principles of Corporate Governance, based on the canons of financial propriety of honesty, integrity, accountability, adequate disclosures, legal compliances, transparency in decision-making and avoiding conflicts of interest. Kochi Metro Rail Limited believes in stakeholder satisfaction, financial prudence and commitment to values. Therefore, the Board will continue to seek to identify and formalize best practices for adoption by the Company. Our corporate structure, business and disclosure practices have been aligned to our Corporate Governance philosophy.

In the performance of its functions, KMRL is guided by the CVC guidelines, the Articles of Association (AoA) of the Company, the provisions of the Companies Act 2013, applicable accounting standards, regulations prescribed by authorities like the C&AG, provisions of the Right to Information Act, 2005 and Rules made thereunder. In addition, all the applicable statutes governing the functioning of the organization in respect of safety, health, environment, welfare of the employees and those engaged through contractors, provision for fair compensation, rehabilitation and resettlement of project affected persons etc., are appropriately complied with. During the year under review, the Company has implemented clear policies for the rehabilitation and resettlement of project affected persons.

Board of Directors

As on the date of this report, the Board of Directors of Kochi Metro Rail Limited comprises 15 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 5 Directors are nominees of the Government of Kerala, 2 are Independent Directors and 3 are Functional Directors. The Chairman is also the Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India, and the Managing Director is a nominee of the Government of Kerala.

Composition of the KMRL Board as on the date of this Report: -

1. Shri Durga Shanker Mishra	-	Chairman
2. Shri Mukund Kumar Sinha	-	Director
3. Shri L. Narasim Prasad	-	Director
4. Shri Anirudh Jain	-	Director
5. Shri Sharat Sharma	-	Director
6. Smt Nalini Netto	-	Director
7. Shri Elias George	-	Managing Director
8. Dr K. M. Abraham	-	Director
9. Shri M. Sivasankar	-	Director
10. Shri K. Mohammed Y. Safirulla	-	Director
11. Vice Admiral S.K.K. Krishnan	-	Independent Director
12. Smt Sheela Thomas	-	Independent Director
13. Shri Abraham Oommen	-	Director (Finance)
14. Shri Praveen Goyal	-	Director (Systems)
15. Shri Thiruman Archunan	-	Director (Projects)

During the period under report, the following Directors were inducted, based on nominations received from both the Governments;

1. Shri Rajiv Gauba, Nominee Director & Chairman, Government of India
2. Shri S.M. Vijayanand, Nominee Director, Government of Kerala
3. Shri K. Mohammed Y. Safirulla, Nominee Director, Government of Kerala
4. Shri Sharat Sharma, Nominee Director, Government of India
5. Shri Anirudh Jain, Nominee Director, Government of India
6. Smt Nalini Netto, Nominee Director, Government of Kerala

During this period, Shri Thiruman Archunan was appointed by the Company as Director, Projects.

Note of Appreciation

The Board places on record its appreciation for the valuable services rendered and the expert advice provided by Shri Rajiv Gauba, Chairman, who demitted office consequent on his superannuation as Secretary, MoUD and the following persons who ceased to be Directors during the year under review;

1. Shri Laj Kumar (up to 31.05.2016)
2. Dr M.G. Rajamanickam (up to 20.09.2016)
3. Shri V.J. Kurian (up to 20.09.2016)

The Board of Directors of the Company comprises professionals with proven administrative and execution capability committed to the objectives of the Company and who also collectively direct the Company's affairs.

Attendance record of Directors:

SL. No.	Name of the Director	Meetings held in 2016- 17 during the tenure of their Directorship	Meetings attended	Attended AGM
1.	Shri Rajiv Gauba	2	2	No
2.	Shri Mukund Kumar Sinha	2	2	Yes
3.	Shri Jitendra Tyagi	2	2	Yes
4.	Shri L. Narasim Prasad	2	2	No
5.	Shri S.M. Vijayanand	2	0	No
6.	Shri Elias George	2	2	Yes
7.	Dr K. M. Abraham	2	0	No
8.	Shri V. J. Kurian	1	0	No
9.	Dr M. G. Rajamanickam	1	1	No
10.	Shri M. Sivasankar	1	0	No
11.	Shri K. Mohammed Y. Safirulla	1	0	No
12.	Shri Abraham Oommen	2	2	Yes
13.	Shri Praveen Goyal	2	2	Yes
14.	Shri Thiruman Archunan	1	1	Yes

Information supplied to the Board

The Board is presented before each meeting with relevant information and proposals, which require the Board's consideration in various matters related to the working of the Company, especially those that require deliberations at the highest level. Presentations are also made to the Board by the functional directors on the progress of the project, legal compliance and other important matters from time to time.

Board procedures

Board Meetings are conducted for critical evaluation and review of the performance of the Company and for ensuring effective implementation of management decisions. During the financial year 2016-17, the Board of Directors of the Company met twice; on 19th July, 2016 and 30th November 2016.

The Company has streamlined a procedure for holding the Board and the Board Sub- Committee Meetings, as explained below.

a) Scheduling and selection of Agenda items for Board/Board Sub-Committee Meetings

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board. To address specific urgent needs, meetings are also called at shorter notice. The Board also passes Resolutions by Circulation, but only for such matters, which are of utmost urgency and which are permissible in terms of the provisions of the Companies Act, 2013;
- The agenda papers are prepared by the Heads of Departments concerned and submitted to the Managing Director. Duly approved detailed agenda notes, management reports and other explanatory statements, backed by comprehensive background information, are circulated in advance amongst the members for facilitating meaningful, informed and focused decisions at the meetings;
- In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s), which are not on the agenda, are taken up for discussion with the permission of the Chair;
- The Board is also informed of major events/items and approvals taken whenever necessary. The Managing Director keeps the Board apprised of the overall performance of the Company at the Board Meetings;
- A review of the status of actions taken on the directives of the Board in earlier meetings also forms a part of the Agenda;
- The members of the Board have complete access to all the information of the Company;
- Also, the Board meetings are conducted in line with the applicable Secretarial Standards.

b) Briefing by the Managing Director

At the beginning of each meeting of the Board, the Managing Director briefs the Board members about the key developments, including the status of the project and other important achievements/developments relating to the Company in various areas.

c) Recording minutes of proceedings at the Board meeting

Minutes of the proceedings of each Board are recorded and are entered in the Minutes Book. The minutes of the meetings are circulated in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the applicable Secretarial Standards. The minutes of the Board Meetings are submitted for confirmation at its next meeting after these are signed by the Chairman. The minutes of the meetings of the Sub-committees of the Board are also placed before the Board for its information.

d) Compliance

The Heads of Departments, while preparing agenda notes ensure adherence to all the applicable statutory requirements, including the provisions of the Companies Act 2013, the Articles of Association and the CVC guidelines.

The employees of the Company pursue the tenets of the Code of Conduct approved and adopted by the Company, while discharging the duties and responsibilities entrusted to them. They always maintain high moral standards and values in contributing towards corporate functioning and the appropriate and timely guidance from the management helps them ensure better governance practices.

Committees of the Board

The Board has constituted eight sub-committees, which are commensurate with the size and nature of the operation of the Company. These are the Audit Committee, the Corporate Social Responsibility Committee, the Human Resource Development and Remuneration Committee, the Operation and Maintenance Committee, the Project Management Committee, the Investment Committee, the Procurement Committee and the Property Development Committee. Each of these committees has clearly spelt out Terms of Reference, duly approved by the Board. These Committees meet according to the requirements of the Company from time to time. The details regarding the Board sub - committees are given below.

1. Audit Committee

Composition as on 31st March, 2017:

1. Dr. K. M. Abraham	-	Chairman
2. Shri Mukund Kumar Sinha	-	Member
3. Shri K. Mohammed Y. Safirulla	-	Member
4. Shri M. Sivasankar	-	Member
5. Shri Praveen Goyal	-	Member

During 2016-17, the Audit Committee met thrice viz., 26th April, 2016, 11th July, 2016 and 21st November, 2016. In addition to the members of the Audit Committee, these meetings were attended by the Director, Finance and those executives who were considered necessary for providing inputs to the Committee. The Terms of Reference of the Audit Committee, as approved by the Board are in accordance with the Companies Act, 2013.

The Company Secretary acted as the Secretary to the Audit Committee.

Attendance record of Members:

SL. No.	Name of the Member	Meetings held in 2016 - 17 during the tenure of their Membership	Meetings attended
1.	Dr K. M. Abraham	3	3
2.	Shri Mukund Kumar Sinha	3	Nil
3.	Dr M. G. Rajamanickam	2	Nil
4.	Shri V.J. Kurian	2	Nil
5.	Shri Praveen Goyal	3	3

2. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

Composition as on 31st March, 2017:

- | | | | |
|----|-------------------------|---|----------|
| 1. | Shri Elias George | - | Chairman |
| 2. | Shri Mukund Kumar Sinha | - | Member |
| 3. | Shri L. Narasim Prasad | - | Member |
| 4. | Shri Abraham Oommen | - | Member |
| 5. | Shri Praveen Goyal | - | Member |
| 6. | Shri Thiruman Archunan | - | Member |

No meetings of the CSR Committee were held during the year.

3. Project Management Committee

Composition as on 31st March, 2017:

- | | | | |
|----|-------------------------|---|----------|
| 1. | Shri Elias George | - | Chairman |
| 2. | Shri Mukund Kumar Sinha | - | Member |
| 3. | Shri Jitendra Tyagi | - | Member |
| 4. | Shri Abraham Oommen | - | Member |
| 5. | Shri Praveen Goyal | - | Member |
| 6. | Shri Thiruman Archunan | - | Member |

The Committee met once on 24th April, 2016

Attendance record of Members:

SL. No.	Name of the Member	Meetings held in 2016 - 17 during the tenure of their Membership	Meetings attended
1.	Shri Elias George	1	1
2.	Shri Mukund Kumar Sinha	1	1
3.	Shri Jitendra Tyagi	1	1
4.	Shri Abraham Oommen	1	1
5.	Shri Praveen Goyal	1	1

4. Investment Committee

Composition as on 31st March, 2017:

1. Shri Elias George	-	Chairman
2. Dr K. M. Abraham	-	Member
3. Shri M. Sivasankar	-	Member
4. Shri Abraham Oommen	-	Member
5. Shri Praveen Goyal	-	Member
6. Shri Thiruman Archunan	-	Member

No meetings of the Investment Committee were held during the year.

5. Procurement Committee

Composition as on 31st March, 2017:

1. Shri Elias George	-	Chairman
2. Shri Jitendra Tyagi	-	Member
3. Shri Abraham Oommen	-	Member
4. Shri Praveen Goyal	-	Member
5. Shri Thiruman Archunan	-	Member

No meetings of the Procurement Committee were held during the year.

6. Operation and Maintenance Committee

Composition as on 31st March, 2017:

1. Shri Elias George	-	Chairman
2. Dr K. M. Abraham	-	Member
3. Shri L Narasim Prasad	-	Member
4. Shri Abraham Oommen	-	Member
5. Shri Thiruman Archunan	-	Member
6. Shri Praveen Goyal	-	Member

No meetings of the Operation and Maintenance Committee were held during the year.

7. Property Development Committee

Composition as on 31st March, 2017:

1. Shri Elias George	-	Chairman
2. Shri L. Narasim Prasad	-	Member
3. Shri K. Mohammed Y. Safirulla	-	Member
4. Shri Abraham Oommen	-	Member
5. Shri Praveen Goyal	-	Member
6. Shri Thiruman Archunan	-	Member

The Committee met once on 4th July, 2016

Attendance record of Members:

SL. No.	Name of the Member	Meetings held in 2016 - 17 during the tenure of their Membership	Meetings attended
1.	Shri Elias George	1	1
2.	Dr. M.G. Rajamanickam	1	1
3.	Shri L. Narasim Prasad	1	1
4.	Shri Abraham Oommen	1	1
5.	Shri Praveen Goyal	1	1

8. Human Resources Development Committee

Composition as on 31st March, 2017:

- | | | |
|---------------------------|---|----------|
| 1. Shri Elias George | - | Chairman |
| 2. Shri M. Sivasankar | - | Member |
| 3. Shri Abraham Oommen | - | Member |
| 4. Shri Praveen Goyal | - | Member |
| 5. Shri Thiruman Archunan | - | Member |

The Committee met once on 22nd November, 2016.

Attendance record of Members:

SL. No.	Name of the Member	Meetings held in 2016 - 17 during the tenure of their Membership	Meetings attended
1.	Shri Elias George	1	1
2.	Shri Abraham Oommen	1	1
3.	Shri Praveen Goyal	1	1

Disclosures

- There have been no materially significant related party transactions, i.e., transactions of the Company of a material nature with its promoters, the directors or the management, subsidiaries or relatives etc., that may have a potential conflict of interest with the interests of the Company at large;
- There were no instances of penalties imposed or strictures passed against the Company by any statutory authority;
- There were no items of expenditure debited in the books of accounts, which were not for the purpose of the business of the Company;
- The Company has separate persons to the post of Chairman and Managing Director.

Company's Website

The Company's website is www.kochimetro.org. All major information pertaining to the Company, including the project, contracts, job recruitment processes etc., are published on the website. Moreover, the Company hosts all its tenders on the Website to disseminate timely information about all procurements of goods and services. The Website also provides information on all important events, activities and progress of the Metro Rail Project and other significant developments, and is continuously updated.

Registered Office	Company Secretary
CIN U60100KL2011SGC029003 Kochi Metro Rail Limited 8th Floor, Revenue Tower, Park Avenue, Kochi-682 011. Ph: +91-484-2380980, Fax: +91-484-2380686	B. Anilkumar Kochi Metro Rail Limited 8th Floor, Revenue Tower, Park Avenue, Kochi-682 011. Ph: +91-484-2380980, +91-8129270036 E-Mail – anilkumar.b@kmrl.co.in

**KOCHI METRO RAIL LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH , 2017**

Particulars	Note No.	As at 31.03.2017	As at 31.03.2016	Amount (in Rs. Lakh) As at 01.04.2015
ASSETS				
(I) Non-current assets				
(a) Property, Plant and Equipment	2.A	58,111.38	55,536.82	40,508.33
(b) Capital work-in-progress	2.B	300,675.18	200,666.91	105,910.05
(c) Other Intangible assets	3.A	2,903.52	2,930.98	2,805.09
(d) Intangible assets under development	3.B	10.26	7.68	93.30
(e) Financial Assets				
(i) Investments		-	-	-
(ii) Trade receivables		-	-	-
(iii) Loans		-	-	-
(iv) Others	4	9,430.02	5,072.74	308.77
(f) Deferred tax assets (net)		-	-	-
(g) Other non-current assets	5	15,448.89	29,035.99	31,486.18
Total Non - Current Assets (I)		386,579.25	293,251.12	181,111.72
(II) Current assets				
(a) Inventories		-	-	-
(b) Financial Assets				
(i) Trade receivables		-	-	-
(ii) Cash and cash equivalents	6	41,258.77	23,313.91	39,134.10
(iii) Other Bank balances		-	-	-
(iv) Loans		-	-	-
(v) Other Financial assets	7	2,386.08	1,788.89	22.46
(c) Other current assets	8	64.93	120.86	134.11
Total Current Assets (II)		43,709.78	25,223.66	39,290.67
Total Assets (I) +(II)		430,289.03	318,474.78	220,402.39
EQUITY AND LIABILITIES				
(I) EQUITY				
(a) Equity Share capital	9	150,746.00	128,300.00	87,010.00
(b) Other Equity	10	(3,830.73)	8,862.62	5,299.74
Total Equity (I)		146,915.27	137,162.62	92,309.74
LIABILITIES				
(II) Non-current liabilities				
(a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings	11	191,779.17	119,179.54	114,575.24
(ii) Other financial liabilities	12	9,178.34	5,041.20	104.65
(b) Provisions	13	257.97	112.09	70.40
(c) Deferred Tax liabilities	14	-	-	2.06
(d) Other non-current liabilities	15	-	87.71	-
(e) Government Grants	16	57,803.86	41,366.50	-
Total Non - Current Liabilities (II)		259,019.34	165,787.04	114,752.35
(III) Current liabilities				
(a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings	17	4,700.00	-	-
(ii) Trade payables		-	-	-
(iii) Other financial liabilities	18	19,417.27	15,420.53	13,312.17
(b) Other current liabilities	19	181.04	70.53	17.26
(c) Provisions	20	56.11	34.06	10.87
Total Current Liabilities (III)		24,354.42	15,525.12	13,340.30
Total Equity and Liabilities (I) + (II) + (III)		430,289.03	318,474.78	220,402.39

Significant accounting policies

1.2

See accompanying notes forming part of the financial statements

2-27

In terms of our report attached.

For K. Varghese & Co.

Chartered Accountants

FRN 004525S

For and on behalf of the Board of Directors

Sam Varghese
Partner
M.No.216979

Elias George
Managing Director

Abraham Oommen
Director (Finance)

Praveen Goyal
Director (Systems)

B. Anil Kumar
Company Secretary

Place : Cochin
Date : 03-10-2017

Place : Cochin
Date : 03-10-2017

KOCHI METRO RAIL LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH , 2017

Amount (in Rs. Lakh)

	Particulars	Note No.	For the year ended 31.03.2017	For the year ended 31.03.2016
I	Revenue from operations			
II	Other income	21	679.38	581.99
III	Total Revenue (I + II)		679.38	581.99
IV	Expenses:			
	Cost of materials consumed		-	-
	Purchases of Stock-in-Trade		-	-
	Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and Stock-in-Trade		-	-
	Employee benefits expense	22	517.21	356.37
	Finance costs	23	609.55	41.98
	Depreciation and amortization expense	24	165.45	144.77
	Other expenses	25	852.52	2,055.13
	Total expenses (IV)		2,144.73	2,598.25
V	Profit / (Loss) before tax (III - IV)		(1,465.35)	(2,016.26)
VI	Tax expense:			
	(1) Prior tax adjustment		-	(3.34)
	(2) Deferred tax		-	(2.06)
			-	(5.40)
VII	Profit / (Loss) for the period (V - VI)		(1,465.35)	(2,010.86)
VIII	Other comprehensive income			
	A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
	a) Remeasurements of post employment benefit obligations		(5.0)	(2.56)
	b) Changes in fair value of FVOCI equity instruments		-	-
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
	B (i) Items that will be reclassified to profit or loss			
	a) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		-	-
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		-	-
			(5.00)	(2.56)
IX	Total Comprehensive Income for the year (VII+ VIII) (Comprising Profit / (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)		(1,470.35)	(2,013.42)
VIII	Earnings per equity share:	26		
	(1) Basic and Dilutive		(1.04)	(2.01)
	Significant accounting policies	1.2		
	See accompanying notes forming part of the financial statements	2-27		

In terms of our report attached.

For K. Varghese & Co.

Chartered Accountants

FRN 004525S

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sam Varghese

Partner

M.No.216979

Place : Cochin

Date : 03-10-2017

Sd/-
Elias George

Managing Director

Place : Cochin

Date : 03-10-2017

Sd/-
Abraham Oommen

Director (Finance)

Sd/-
Praveen Goyal

Director (Systems)

Sd/-
B. Anil Kumar

Company Secretary

KOCHI METRO RAIL LIMITED

Statement of Changes in Equity for the year ended 31.03.2017

A. Equity Share Capital		Amount (in Rs. Lakh)				
	Balance at the beginning of the reporting period	Changes in equity share capital during the year			Balance at the end of the reporting period	
	128300.00	22,446.00			150746	
B. Other Equity						Amount (in Rs. Lakh)
		Reserves and Surplus				
		Share Application Money Pending Allotment	Capital Reserve	Securities Premium Reserve	General Reserve	Retained Earnings
Balance at the beginning of the reporting period	11223.00	-	-	-	-	(2,360.38)
Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the reporting period	-	-	-	-	-	-
Total comprehensive income / (Loss) for the year	-	-	-	-	-	(1,470.35)
Dividends (including taxes)	-	-	-	-	-	-
Transfer from retained earnings	-	-	-	-	-	-
Amortisation of premium	-	-	-	-	-	-
Equity Shares issued during the year	(11,223.00)	-	-	-	-	(11,223.00)
Balance at the end of the reporting period		-	-	-	-	(3,830.73)
						(3,830.73)

Significant accounting policies 1.2

See accompanying notes forming part of the financial statements 2-27

In terms of our report attached.

For K. Varghese & Co.

Chartered Accountants

FRN 004525S

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Sam Varghese

Partner

M.No.216979

Place : Cochin

Date : 03-10-2017

Sd/-

Elias George

Managing Director

Sd/-

Abraham Oommen

Director (Finance)

Sd/-

Praveen Goyal

Director (Systems)

Sd/-

B. Anil Kumar

Company Secretary

Place : Cochin

Date : 03-10-2017

**KOCHI METRO RAIL LIMITED
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.17**

Particulars	Amount (in Rs. Lakh)	
	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
A. Cash Flow from Operating activities		
Net Profit/(Loss) before tax	(1,470.35)	(2,013.42)
Adjustment for		
(Profit) / Loss on sale of asset (net)	0.06	0.15
Depreciation and amortization expense	165.45	144.77
Interest income	(46.30)	(451.73)
Prior period adjustments to opening balance	-	(1.70)
Net Gain arising on financial assets measured at FVTPL	578.33	13.40
Operating Profit/(Loss) before working capital changes	(772.81)	(2,308.53)
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets		
(Increase)/ Decrease in Financial Assets	(4,329.47)	(4,735.88)
(Increase)/ Decrease in other non- current Assets	(88.52)	(6,066.09)
(Increase)/ Decrease in other Assets	(414.30)	(1,755.24)
(Increase)/ Decrease in Provisions	167.93	64.88
(Increase)/ Decrease in other Payables	9,877.05	7,185.90
Net Cash flow from / (used in) Operating activities (A)	4,439.88	(7,614.96)
B. Cash Flow from Investing activities		
Payment to acquire property , plant and equipment including capital advances	(6,523.34)	(6,193.34)
Payment for Capital WIP including capital advances	(81,044.89)	(92,815.81)
Interest income received	548.15	1,012.95
Receipts from Government Grants	99.76	-
Net Cash flow from / (used in) investing activities (B)	(86,920.32)	(97,996.20)
C. Cash flow from Financing activities		
Proceeds from Long term loan from Canara Bank	14,243.84	3,000.00
Proceeds from Pass through assistance from Agence Francaise de Development(AFD)	60,400.00	26,464.00
Proceeds from Long term loan from Ernakulam District Coopertive Bank	-	10,400.00
Proceeds from Sub Debt from Government of Kerala	15,259.00	-
Proceeds from Sub Debt from Government of India	3,000.00	6,064.00
Proceeds from Share Application money received	11,223.00	46,868.00
Finance Cost Paid	(3,700.54)	(3,005.03)
Net Cash flow from / (used in) financing activities (C)	100,425.30	89,790.97
Net Increase / (decrease) in cash and cash equivalents (A) + (B) + (C)	17,944.86	(15,820.19)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	23,313.91	39,134.10
Cash and cash equivalents at the end of the year	41,258.77	23,313.91
Comprising of		
Cash on Hand	-	-
Balance with Banks:		
- Current Accounts	152.97	1,360.39
- Term Deposits(with maturity less than twelve months	21,527.61	584.32
Cash in Sub Treasury Account	19,577.69	21,368.70
Restricted Cash	0.50	0.50
Cash at bank	41,258.77	23,313.91

In terms of our report attached.

**For K. Varghese & Co.
Chartered Accountants
FRN 004525S**

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sam Varghese
Partner
M.No.216979
Place : Cochin
Date : 03-10-2017

Sd/-
Elias George
Managing Director
Place : Cochin
Date : 03-10-2017

Sd/-
Abraham Oommen
Director (Finance)

Sd/-
Praveen Goyal
Director (Systems)

Sd/-
B.Anil Kumar
Company Secretary

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

1.1 Corporate Information

Kochi Metro Rail Limited (KMRL) is incorporated under the Companies Act, 1956 and is a Government Company within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013.

The Company was set up as a Joint venture between Government of India (GOI) and Government of Kerala (GOK), with equal equity shareholding, to implement the Metro Rail Project in Kochi city. KMRL is also entrusted with the tasks of subsequent expansion of the Metro network, its operation, maintenance and allied activities to ensure sustainable operations.

1.2 Significant accounting policies

Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values and the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') . The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

The Company has adopted all the Ind AS standards and the adoption was carried out in accordance with Ind AS 101, *First-Time Adoption of Indian Accounting Standards*. The transition was carried out from the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

The financial statements for the year ended 31st March 2017 are the first financial statements prepared by the company in accordance with Ind AS. An explanation on how the transition from previous GAAP to Ind AS has affected the company's financial position, financial performance and cash flow is furnished in Note number 27.1 of the "Additional information to the Financial Statement".

Basis of preparation and presentation of Financial Statements

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the following –

- a. Financial assets and liabilities and contingent consideration that is measured at fair value;
- b. assets held for sale - measured at fair value less cost to sell ;
- c. defined benefit plans - plan assets measured at fair value ;

In determining the fair value of its financial assets and financial liabilities, the Company uses a variety of methods and assumptions that are based on market conditions and risks existing at each reporting date. The methods used to determine fair value include discounted cash flow analysis, available quoted bank borrowing and lending rates. All methods of assessing fair value result in general approximation of value, and such value may never actually be realized. For financial assets and liabilities maturing within one year from the Balance Sheet date and which are not carried at fair value, the carrying amounts approximate fair value due to the short maturity of these instruments.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly-issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

1.3 Use of estimates and judgments

The preparation of the financial statements in conformity with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards requires the management to make some estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. Some of the estimations require higher degrees of judgment to be applied than others. Management continuously evaluates all of its estimates and judgments based on available information and its experience and believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results may differ from these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known or materialized.

Key sources of estimation of uncertainty at the date of the financial statements, which may cause a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, is in respect of impairment of investments, useful lives of property, plant and equipment, valuation of deferred tax assets, provisions and contingent liabilities.

Impairment of investments

The Company reviews its carrying value of investments carried at amortised cost annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for.

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful life and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant capitalization and which component of the asset may be capitalized. The reassessment of useful life may result in change in depreciation expense in future periods.

During the current year, the management determined that there were no changes to the useful life's and residual values of the property, plant and equipment.

Valuation of deferred tax assets

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets at the end of each reporting period. Significant judgments are involved in determining the elements of deferred tax items. The policy for the same has been explained under Note 1.17.

Provisions and contingent liabilities

A provision is recognised when the Company has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions (excluding employee benefits as per actuarial valuation) are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle

the obligation at the Balance sheet date. These are reviewed at each Balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are not recognised in the financial statements. A contingent asset is neither recognised nor disclosed in the financial statements.

1.4 Revenue Recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Amounts disclosed as revenue are net of returns, trade allowances, rebates, value added taxes and amounts collected on behalf of third parties. The company recognises revenue when the amount of revenue can be reliably measured, it is probable that future economic benefits will flow to the entity

Other Income

1.4.1 Interest income is recognised on accrual basis using effective interest rate method.

1.4.2 Other incomes are recognized on receipt basis.

1.4.3 Items of revenue and expenditure incurred in the current financial year that are not directly related to creation of a capital asset is charged off as revenue expenditure in the Statement of Profit and Loss.

1.5 Property, Plant and Equipment

On transition to Ind AS, the company has opted to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment recognised as at 1st April 2015 measured as per the previous GAAP and use that carrying value as the deemed cost of the property, plant and equipment.

Property, Plant and Equipment (except freehold land) are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment if any. Freehold land is carried at historical cost. The company is adopting the cost model for determining gross carrying amount.

The cost of fixed asset comprises its purchase price, including any import duties and other taxes net of recoverable taxes and any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use including interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use and net of any trade discounts and rebates and other incidental expenses and an initial estimate of the costs of dismantling, removing the item and restoring the site on which it is located, if any.

When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components). The cost of replacement spares/ major inspection relating to property, plant and equipment is capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably.

Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each Balance Sheet date is classified as capital advance under other non-current assets and the cost of assets not put to use before such date are disclosed under “Capital work-in-progress”. Subsequent expenditures relating to property, plant and equipment are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably.

The cost and related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements upon sale or retirement of the asset and the resultant gains or losses are recognized in the Statement of Profit and Loss. Assets to be disposed of are reported at the lower of the carrying value or the fair value less cost to sell.

1.6 Intangible assets

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment. Intangible assets are amortized over their respective individual estimated useful lives on a straight-line basis, from the date that they are available for use.

Branding cost incurred which are capitalized as intangible asset and amortised on a straight line basis over a period of five years.

Amount paid to railways towards right to use (permissions) cost is capitalized as intangible asset and amortized on a straight line basis over a period of seventy years.

Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalized as intangible asset and amortized on a straight line basis over a period of five years.

1.7 Capital work in Progress (CWIP)

Assets under construction as at balance sheet date are shown as Capital Work in Progress (CWIP). Expenditure directly related to construction activity has been capitalized. All direct expenditure attributable to the various components of the project are accounted as CWIP under respective heads. Common expenses which are directly related to the construction activities, but attributable to more than one components of the works are grouped under CWIP as expenses during construction, to be allocated to various assets on completion.

Interest received on project funds provided to DMRC is reduced from CWIP. Work in progress is booked based on the expenditure statement and management certificate provided by DMRC as verified by the KMRL.

Income pertaining to construction period such as interest earned on short term deposits, other than from temporary deployment of funds received by way of equity and interest free subordinate debt, sale of tender documents etc are reduced from CWIP.

1.8 Land

The value of parcels of land handed over by the landowners and taken over by the Company through the District Collector has been capitalized at the time of taking the possession of the land by the Company without waiting for the registration of title deeds in the name of the Company. The value of land handed over for construction, which belongs to various government bodies and departments, has not been capitalised since the amount payable and other terms are yet to be finalised.

Enhanced compensation, if any, under The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 shall be booked as and when the payment is due since the amount cannot be estimated.

The costs of acquisition of structures in the land and land filling expenses are charged to the cost of

land. Sale proceeds of these structures demolished for the construction by KMRL is adjusted against the cost of acquisition

1.9 Impairment of Assets / financial assets

The carrying values of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment is recognized. The impairment loss recognized is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which an asset is identified as impaired.

1.10 Depreciation and Amortization

(i) Depreciation on property, plant and equipment is provided based on the useful lives of assets, prescribed under the Schedule II of the Companies Act 2013.

(ii) An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognized is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on de-recognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is de-recognized. Fully depreciated asset still in use are retained in the Financial Statement.

The estimated useful life of the assets are as follows;

Computers (servers & networks)	Six years
Computers (end user devices)	Three years
Electrical appliances, equipment's and installations	Ten years
Furniture and fixtures	Ten years
Office equipment (*)	Five years
Vehicle	Eight years
Intangible assets (**)	Five years

(iv) Residual value of 5% has been retained for all the Fixed Assets, which is in line with the provisions of the Schedule II.

(v) Individual assets costing less than Rs. 5,000 are charged to expense at the time of purchase itself

(vi) Intangible assets are amortized on a systematic basis over the best estimate of its useful life.

(vii) Way leave charges paid to Railways is recognized as intangible assets and amortized on a straight-line method over a period of 70 years(**).

(viii) The useful life of mobile phone, which is grouped under office equipment, is estimated at three years(*) .

The useful live , residual value and method of depreciation of property, plant and equipment and intangible assets are reviewed at each financial year and adjusted prospectively, if appropriate.

1.11 Government Grants

Grants from the government are recognised at their fair value where there is a reasonable assurance that the grant will be received and the company will comply with all attached conditions.

Government grants relating to income are deferred and recognised in the profit or loss over the period necessary to match them with the costs that they are intended to compensate and presented within other income.

Government grants relating to the purchase including construction of property, plant and equipment are included in non-current liabilities as deferred income and are credited to profit or loss on a systematic basis over the expected lives of the related depreciable assets and presented in the other income.

When the company receives grants of non-monetary assets, the asset and the grant are recorded at fair value amounts and released to profit or loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

When loans or similar assistance are provided by governments or related institutions, with an interest rate below the current applicable market rate, the effect of this favourable interest is regarded as a government grant. The loan or assistance is initially recognised and measured at fair value and the government grant is measured as the difference between the initial carrying value of the loan determined in accordance with IndAS 109- Financial Instruments. The loan is subsequently measured as per the accounting policy applicable to financial liabilities.

Government grants shall be recognised in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.

1.12 Financial assets

All financial assets are initially measured at fair value, plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Financial assets are classified using the following measurement categories:

- To be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income or through profit and loss), and;
- To be measured at amortised cost

1.13 De-recognition of financial assets

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party.

1.14 Financial liabilities

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings or payables as appropriate.

All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

1.15 De-recognition of financial liabilities

After initial recognition, financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the Effective interest rate method. Gains and losses are recognised in profit or loss or CWIP ,as applicable ,when the liabilities are derecognised through the amortisation of effective interest.

1.16 Operating cycle

Based on the nature of the operating activities of the company and the normal time between acquisition of assets and their relocation in cash or cash equivalents, the company has determined its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of its assets and liabilities as current and non-current.

1.17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset

Provisions are recognised when the company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, for which it is probable that a cash outflow will be required and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, it's carrying amount is the present value of those cash flows(when the effect of time value of money is material). These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

When the company expects some or all of a provision to be reimbursed, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profit and loss net of any reimbursement.

Contingent Liabilities are disclosed when the company has a possible obligation or a present obligation and it is probable that an outflow of resources will not be required to settle the obligation or the amount of obligation cannot be measured with sufficient reliability.

Contingent assets are not recognized in the books of account. If it has become virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and the related income are recognised in the financial statements of the period in which the change occurs. If an inflow of economic benefits has become probable, an entity discloses the contingent asset

1.18 Taxation

Current tax is determined as the amount of tax payable in respect of taxable income for the year computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 . Taxable income differs from 'profit before tax' as reported in the Statement of Profit and Loss because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are neither taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary

differences can be utilised.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Current and deferred tax are recognised in the Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or items related to equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity respectively.

1.19 Foreign exchange transaction/translations

Items included in the financial statements of the entity are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (“functional currency”). The financial statements are presented in Indian Rupees (“INR”), which is the functional currency and presentation currency of the Company

Foreign exchange transactions are recorded at the functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies existing as on the Balance Sheet date are translated at the functional currency exchange rate prevailing as at the Balance Sheet date. The exchange difference arising from the settlement of transactions during the period and effect of translations of assets and liabilities at the Balance Sheet date are recognized in the Statement of Profit and Loss.

1.20 Employee benefits

Provident Fund and pension fund: The eligible employees of the Company are entitled to receive benefits under provident fund schemes in which both employees and the Company make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees' salary. The contributions are paid to the Regional Provident Fund Account.

The company's pension scheme is linked with provident fund scheme. All eligible employees of the company under provident fund schemes are also covered under employee pension scheme (EPS), except for those employees of the company becoming provident fund (PF) members after 1st September 2014 and whose pay is more than Rs. 15,000/- per month is not being covered under the EPS scheme. The said benefit is being extended only, if the employee, while joining KMRL was an existing member of PF .

Under the above pension scheme, no contribution is collected from the employees and is paid from the employer's contribution

Gratuity: Provision towards Gratuity, as per actuarial valuation is provided for during the current year for eligible employees.

Earned and half-pay Leave: The Company provides earned leave benefits and half-pay leave to the employees .The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation.

Leave Travel Concession (LTC) : The Company provides financial assistance to the employee in meeting expenses of actual travel involved to their hometown as well as any place in India as per the approved policy. The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation.

Under Ind AS 19 – The liability or asset recognized in the balance sheet in respect of its defined benefit

plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period .The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have tenure approximating the tenures of related liability.

The interest income/ (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognized in the Statement of profit or loss.

Remeasurement gains and losses arising from changes in actuarial assumptions and experience adjustments are recognised in the period in which they occur directly in other comprehensive income.

1.21 Borrowing cost

Borrowing costs include interest and exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost.

Costs in connection with the borrowing of funds to the extent not directly related to the acquisition of qualifying assets are charged to the Statement of Profit and Loss over the tenure of the loan. Borrowing costs, allocated to and utilized for qualifying assets, pertaining to the period from commencement of activities relating to construction / development of the qualifying asset upto the date of capitalisation of such asset are added to the cost of the assets.

1.22 Segment reporting

The Company has only one reportable business segment, which is developing, running and maintaining of Kochi metro rail system. Accordingly, the amounts appearing in the financial statements are related to the Company's single business segment.

1.23 Cash and Cash equivalents (for the purpose of cash flow statement)

Cash for purpose of Cash Flow Statement comprises cash at hand, Government treasury and demand deposits with banks .Cash equivalents are short term balance with an original maturity of three months or more but less than twelve months from the date of acquisition ,highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

1.24 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit or loss before extra ordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

1.25 Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period should be adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

ANNUAL REPORT —2016–2017—

Kochi Metro Rail Limited
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Note 2A : Property, Plant and Equipment

Particulars	Amount (in Rs. Lakh)					
	As at 1st April 2016	Additions/ adjustments during the year	Gross carrying amount	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2017	Depreciation
						As at 1st April 2016
Land (Freehold)	55,245.98	2,558.18	57,804.16	-	-	-
Computers	84.18	55.71	139.89	56.41	19.57	75.98
Electrical Appliance	36.68	3.23	39.91	7.34	3.75	11.09
Electrical Equipments	7.52	-	7.52	2.45	0.81	3.26
Electrical Installations	100.87	-	100.87	26.71	10.36	37.07
Fire Equipments	0.51	-	0.51	0.51	-	0.51
Furniture and Fixtures	158.46	10.10	168.56	42.00	15.99	57.99
Office Equipment	43.37	6.60	49.61	22.12	10.14	0.23
Plant and Machinery	-	4.55	4.55	-	0.02	4.53
Vehicles	24.68	-	24.68	7.89	3.01	10.90
Total	55,702.25	2,638.37	58,340.26	165.43	63.65	0.23
Previous year	40,619.14	15,089.08	59.97	55,702.25	110.81	57.73
					3.11	165.43
						55,536.82
						40,508.33

Note 3A : Other Intangible assets

Particulars	Amount (in Rs. Lakh)					
	As at 1st April 2016	Additions/ adjustments during the year	Gross carrying amount	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st March 2017	Depreciation
						As at 1st April 2016
Computer software	219.67	74.34	294.01	64.32	49.82	-
Branding- Kochi Metro	61.60	-	61.60	7.09	12.32	-
Way leave charges to Railway	2,776.22	-	2,776.22	55.10	39.66	-
Total	3,057.49	74.34	3,131.83	126.51	101.30	-
Previous year	2,844.56	212.93	3,057.49	39.47	87.04	-
					126.51	126.51
						2,930.98
						2,805.19

Notes:

- 2.1. The Company has taken over possession of 31.14 hectares of private Land till 31st March 2017 (previous year 30.65 hectares).
- 2.2. The Land value capitalized is the purchase price agreed between the landowners and the District Level Purchase Committee. The registration cost and stamp duty is not taken into consideration, since the Government of Kerala has exempted these charges vide Government order no. G.O.(P) No. 164/2014/TD/2353 & 2354 dated 25th September 2014.
- 2.3. Registration of Land in the name of the Company is under process.
- 2.4. Metro works are going on in an extent of 1.63 hectares of land belonging to various Government bodies/departments. Pending finalisation of the price, transfer formalities and other terms and conditions, these parcels of lands are not included in the fixed assets
- 2.5. The Government of Kerala (GoK) vide G.O. (MS) No 91/13/RD dt. 12-3-2013 had allotted an area of 17.315 acres of land which is in the possession of Kerala Public Works Department to Kochi Metro Rail Limited for the purpose of property development. Value of these parcel of land is not included in Fixed assets, since the land is not yet assigned on registry to Kochi Metro Rail Ltd .Hence not yet taken possession of this land.
- 2.6. During the year, an net adjustment of Rs. 16 crore has been made in the fixed assets (land) based on the additional information from the revenue department
- 2.7. The Company had paid an amount of Rs.27.76 crore during the financial year 2014-15 towards way leave charges to Southern railways for the construction of via duct for Kochi Metro Rail Project over railway land. The permission has been taken for an initial period of 35 years against one time lump sum payment equivalent to 99% of the current market value of land .The tenure can be further extended for a period of 35 years on payment of a nominal fees per annum. The amount is shown under intangible asset and amortized for a period of 70 years. The agreement with railways is yet to be executed.
- 2.8. In case of mobile phone, grouped under office equipment, the useful life is estimated at three years.

ANNUAL REPORT —2016–2017—

Kochi Metro Rail Limited
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Note 2.B : Capital work -in -progress	Amount (in Rs. Lakh)		
	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Kochi metro rail project- phase 1	2,99,879.88	1,99,877.76	1,05,252.80
b) Phase II (Extension)	795.30	789.15	657.25
Total	3,00,675.18	2,00,666.91	1,05,910.05

Note 3.B : Intangible assets under development	Amount (in Rs. Lakh)		
	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) SAP	7.68	7.68	93.30
b) Digital Document Filing System(DDFS)	2.58	-	-
Total	10.26	7.68	93.30

Note 4 : Other Financial Assets [Non current]	Amount (in Rs. Lakh)		
	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Receivable from Government of Kerala (EDC loan)	9,067.07	4,742.28	19.95
b) Security Deposit (Unsecured and Considered Good)			
i) Telephone Deposit	0.63	0.61	0.41
ii) Security Deposit-Casting Yard Land	308.90	283.92	260.96
iii) Security Deposit -Others	53.42	45.93	27.45
Total	9430.02	5072.74	308.77

Note 5 : Other non-current assets [Non current]	Amount (in Rs. Lakh)		
	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Receivable from Government of Kerala (Vyttila-Petta LA)	5,282.85	-	-
b) Capital advances(Unsecured and Considered good)			
i) Project Advance to Delhi Metro Rail Corporation	2184.38	18,125.31	17,536.44
ii) District Collector-Land Aquisiton	6943.90	4,678.59	13,783.74
iii) District Collector-Land Aquisiton(Petta extension)	717.15	6,000.00	-
c) Prepaid Expenses			
i) Prepaid Expenses - ROU Railway Land	64.12	66.14	68.16
ii) Prepaid Expenses - Lease rentals for land	-	1.91	25.96
iii) Prepaid Expenses - Rental of Building	2.10	2.64	2.07
d) Taxation (Net of provisions)			
	254.39	161.39	69.81
e) Others			
Total	15,448.89	29,035.99	31,486.18

ANNUAL REPORT —2016–2017—

Kochi Metro Rail Limited

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Note 6 : Cash and Cash equivalents [Current]	Amount (in Rs. Lakh)		
	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Cash on hand	-	-	-
b) Balance with Banks (In current accounts)	152.97	1,360.39	85.10
c) Balance in Sub Treasury Account	19,577.69	21,368.70	37,500.70
d) Term Deposits(with maturity less than twelve months)	21,527.61	584.32	1,547.80
e) Earmarked balances with banks	0.50	0.50	0.50
Total	41,258.77	23,313.91	39,134.10

Details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from Novemeber 8, 2016 to December 30, 2016 as provided in the table below

	SBNs #	Other denomination Notes	Amount (in Rs.) Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016	-	-	-
(+) Permitted receipts	-	2542.00	2542.00
(-) Permitted payments	-	-	-
(-) Amount deposited in Banks	-	2542.00	2542.00
Closing cash in hand as on 30.12.2016	-	-	-

For the purpose of this clause, the term "Specified Bank Notes" shall have the same meaning provided in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, No. S.O. 3407(E), dated Novemeber 8, 2016.

Note 7 : Other Financial Assets [Current]	Amount (in Rs. Lakh)		
	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Receivable from Government of Kerala (EDC loan)	1,007.45	-	-
UNSECURED, CONSIDERED GOOD , UNLESS OTHERWISE STATED			
(i) Interest Accrued	177.85	2.90	2.08
(ii) Work Deposits	9.38	15.51	-
(iii) Balance with government authorities	-	0.77	-
(iv) Receivable from government(Kerala preparatory works)	999.60	1,731.15	-
(v) Security Deposits	35.92	35.22	-
(vi) Other Employee Advance	16.72	2.95	2.84
(vii) Others	139.16	0.39	17.54
Total	2,386.08	1,788.89	22.46

Note 8 : Other Current Assets [Current]	Amount (in Rs. Lakh)		
	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
b) Prepaid expense	57.75	91.58	104.01
c) Prepaid Expenses - ROU Railway Land	2.02	2.02	2.02
d) Prepaid Expenses - Lease rentals for land	1.91	24.06	24.06
e) Prepaid Expenses - Rental of Building	2.93	2.66	2.47
f) Travel Advance	0.32	0.54	1.55
Total	64.93	120.86	134.11

Kochi Metro Rail Limited
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Note 9 : Equity Share Capital

Particulars	As at 31 st March 2017		As at 31 st March 2016		As at 01 st April 2015	
	Number	Amount (in Rs. Lakh)	Number	Amount (in Rs. Lakh)	Number	Amount (in Rs. Lakh)
<u>Authorised</u>						
Equity Shares of Rs.100 each	20,00,00,000	2,00,000	20,00,00,000	2,00,000	20,00,00,000	2,00,00,000
Issued, Subscribed and Fully paid up						
Equity shares of Rs.100 each fully paid up	15,07,46,000	1,50,746	12,83,00,000	1,28,300	8,70,10,000	87,010.00

Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	Equity Shares		Equity Shares		Equity Shares	
	As at 31 st March 2017	Amount (in Rs. Lakh)	As at 31 st March 2016	Amount (in Rs. Lakh)	As at 31 st March 2016	Amount (in Rs. Lakh)
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	12,83,00,000	1,28,300	8,70,10,000	87,010	2,15,00,000	21,500.00
Add : shares issued during the year	2,24,46,000	22,446	4,12,90,000	41,290	6,55,10,000	65,510.00
Equity Shares outstanding at the end of the year	15,07,46,000	1,50,746	12,83,00,000	1,28,300	8,70,10,000	87,010.00

9.1 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Name of Shareholder	Equity Shares		Equity Shares		Equity Shares	
	As at 31 st March 2017	Number of Shares held	As at 31 st March 2016	Number of Shares held	As at 31 st March 2016	Number of Shares held
President of India	7,53,73,000	50	6,41,50,000	50	4,35,05,000	50
Governor of Kerala	7,53,73,000	50	6,41,50,000	50	4,35,05,000	50

9.2 The Company has one class of equity shares having a par value of Rs.100/- per share. Each shareholder is entitled to receive dividends as declared from time to time and entitled for one vote per share in the meeting of the Company. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company in proportion to the number of shares held by them after distribution of all preferential amounts, if any.

Kochi Metro Rail Limited

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Note 10 : Other Equity	Amount (in Rs. Lakh)		
	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Share Application Money Pending Allotment			
i) President of India	-	11,223.00	-
ii) Governor of Kerala	-	-	5,645.00
Total	-	11,223.00	5,645.00
b) Surplus in the Statement of Profit and Loss			
Balance as at the beginning of the year	(2,360.38)	(345.26)	(327.39)
Add :Total comprehensive income for the current year	(1,470.35)	(2013.42)	(17.87)
Less : Prior period adjustments to opening balance	-	(1.70)	-
Balance as at the end of the year	(3,830.73)	(2360.38)	(345.26)
Total:	(3,830.73)	8862.62	5299.74

Note 11 : Borrowings [Non current]	Amount (in Rs. Lakh)		
	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Term Loans (Secured)			
i) Pass Through Assistance-Government of India	1,03,043.00	42,643.00	16,179.00
ii) Canara Bank	39,222.68	24,977.55	21,976.24
iii) Ernakulam District Cooperative Bank (land acquisition)	32,940.00	36,600.00	36,600.00
iv) Ernakulam District Cooperative Bank (Vytilla petta land acquisition)	9,360.00	10,400.00	-
b) Interest Free Sub Ordinate Debt (Unsecured)			
i) Government of India	2,033.79	1,516.49	9,195.00
ii) Government of Kerala	5,179.70	3,042.50	30,625.00
Total	1,91,779.17	1,19,179.54	1,14,575.24

11.1 The Pass Through Assistance (PTA) provided by Government of India is based on the credit facility agreement between Agence Francaise De Development (AFD) , a French public funding agency and Government of India(GOI) as the borrower.The loan is secured by sovereign guarantee by the GOI. The loan shall be disbursed in several tranches as per budgetary provisions of Government of India.The rate of interest applicable is 6 monthly EURIBOR plus the margin of 155 basis point .Interest is due on each payment date i.e on 15th March and 15th September of each year. Repayment of the principal amount shall be in forty equal half yearly installments after the moratorium period of five years and the first installment is due on 15th September 2019 and the last installment shall be payable on 15th March 2039. During the year, the company has received an amount of Rs. 604 crore as Pass through Assistance from GOI. The company has paid interest of Rs.7.59 crore to GOI during the year

11.2 The Company has entered into a term loan agreement with Canara Bank for an amount of Rs.1,170 crore. Moratorium for repayment of the principal amount is upto June 2020. The loan shall be repaid in fifty two quarterly installments starting from the financial year 2020-21. The rate of interest applicable is 0.60% above the base rate of Canara Bank ,compounded at monthly rests and secured by paripassu charge on all assets of the company. During the year the company has withdrawn Rs.142.43 crore and paid interest of Rs.29.41 crore.

11.3 While approving the Kochi Metro Rail project vide order No. K-14011/37/2005-MRTS-IV dated 12th July 2012 of Ministry of Urban Development, Government of India, it was indicated that Rs. 672 crore towards cost of land acquisition shall be provided as Interest free Sub Debt by Government of Kerala. Against this,the Government of Kerala has released Rs. 306.25 crore till 31st March 2016.For the balance amount, Government of Kerala had decided that KMRL shall avail loan on behalf of Government of Kerala towards the balance sub debt contribution to be provided by Government of Kerala.

Vide G.O.(Ms)No.20/2015/Trans dated 25.03.2015 of Government of Kerala has accorded approval for availing of term loan of Rs. 366 crore from Ernakulam District Co-operative Bank Ltd (EDC) towards land acquisition. Accordingly, the company has entered into term loan agreement with EDC as approved in its 19th Board meeting.Total tenure of the loan shall be 12 years with two year moratorium and repayment in ten years on annuity basis secured by paripassu charge on all assets of the company. The rate of interest is 0.05% below the base rate of the State bank of India compounded on quarterly rest.The interest rate shall be reset every three years.The repayment of the loan with interest has been undertaken by the Government of Kerala on back-to-back basis.The company has withdrawn the entire loan amount of Rs. 366 crore during the year 2014-15 as per the directions of the Government of Kerala.

Kochi Metro Rail Limited

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Vide G.O.(Ms)No.24/2015/Trans dated 30.04.2015 of Government of Kerala has accorded approval for availing of term loan of Rs. 104 crore from Ernakulam District Co-operative Bank Ltd (EDC) towards land acquisition for widening of Vytilla Petta road. Accordingly, the company has entered into term loan agreement with EDC as approved in its 19th Board meeting. Total tenure of the loan shall be 12 years with two year moratorium and repayment in ten years on annuity basis secured by paripassu charge on all assets of the company. The rate of interest is 0.05% below the base rate of the State bank of India compounded on quarterly rest.. The interest rate shall be reset every three years. The repayment of the loan with interest has been undertaken by the Government of Kerala on back-to-back basis. The company has withdrawn the entire loan amount of Rs. 104 crore during the year 2015-16 as per the directions of the Government of Kerala.

11.4 Vide approval No. K-14011/37/2005-MRTS-IV dated 12th July 2012 from Ministry of Urban Development, Government of India, for the Kochi Metro Rail Project, Government of India and Government of Kerala shall equally share the central taxes included in the total project cost. The amount shall be released as interest free Sub ordinate debt and the share of GOK & GOI shall be Rs. 248.50 crore each. As per the same order, the cost of land acquisition for the project, estimated at Rs.672 crore has also to be provided by GOK as interest free subordinate debt.

11.5 During the year, the Company has received an interest free sub ordinate debt of Rs. 30 crore from GOI and Rs. 152.59 crore from GOK towards central taxes.

11.6 The sub ordinate debt is repayable after the repayment of senior term debts. The repayment schedule and other terms and conditions of these loans are yet to be issued by GOI & GOK.

	Amount (in Rs. Lakh)		
Note 12 : Other Financial liabilities [Non current]	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Retention	94.78	141.18	84.40
b) Security Deposits	16.49	13.74	0.30
c) Interest on EDC loan	9,067.07	4742.28	19.95
d) Subsidy received from Ministry of New & Renewable Energy	-	144.00	-
Total	9,178.34	5,041.20	104.65

	Amount (in Rs. Lakh)		
Note 13 : Provisions [Non current]	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
Provision for employee benefits			
a) Provision for gratuity	76.30	28.55	17.06
b) Provision for earned leave	108.91	50.87	33.71
c) Provision for half pay leave	72.76	28.35	19.63
d) Provision for leave travel concession	-	4.32	-
Total	257.97	112.09	70.40

	Amount (in Rs. Lakh)		
Note 14 : Deferred Tax Liabilities [Non current]	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
Deferred Tax Liabilities			
On difference between book balance and tax balance of fixed assets	-	(2.06)	141.97
Deferred Tax Asset			
Unabsorbed Depreciation and Loss	-	2.06	(139.91)
Total	-	-	2.06

	Amount (in Rs. Lakh)		
Note 15 : Other Non Current Liabilities	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
Income Received in Advance	-	87.71	-
Total	-	87.71	-

Kochi Metro Rail Limited

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Amount (in Rs. Lakh)			
Note 16 : Government Grants [Non current]	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Sub ordinate debts -GOI	16447.45	13,784.00	-
b) Sub ordinate debts -GOK	41129.68	27,582.50	-
c) CFA for Urban Transport Planning	226.73	-	-
Total	57,803.86	41,366.50	-

Amount (in Rs. Lakh)			
Note 17 : Borrowings [Current]	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Ernakulam District Cooperative Bank (land acquisition)	3660.00	-	-
b) Ernakulam District Cooperative Bank (Vytilla petta land acquisition)	1040.00	-	-
	4,700.00	-	-

Amount (in Rs. Lakh)			
Note 18 : Other Financial Liabilities [Current]	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
Secured			
a) Interest accrued but not due on borrowing	1,184.16	114.87	81.64
Unsecured			
a) Subsidy received from Ministry of New & Renewable Energy	144.00	-	-
b) Other payables			
i) Trade/Security deposit received	245.26	179.29	124.88
ii) Land acquisition and structural valuation	7,547.45	9,267.83	6,773.27
iii) Others			
1.Project related liabilities	3,382.96	3,234.53	4,294.61
2.Kerala road fund board	-	-	1,471.79
3.Government of Kerala	5,686.38	1,765.62	377.34
4.Road Works	-	149.30	-
5.Preparatory Works	856.91	355.89	-
6.Others	370.15	353.20	188.64
Total	19417.27	15420.53	13312.17

Amount (in Rs. Lakh)			
Note 19 : Other Current Liabilities [Current]	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
a) Statutory Payments	93.32	70.53	17.26
b) Income Received in Advance	87.72	-	-
Total	181.04	70.53	17.26

Amount (in Rs. Lakh)			
Note 20 : Provisions [Current]	As at 31st March 2017	As at 31st March 2016	As at 31st March 2015
Provision for Employee benefits			
a) Provision for Gratuity	11.36	0.34	0.14
b) Provision for earned leave	15.40	15.51	6.98
c) Provision for half pay leave	10.47	13.47	3.75
d) Provision for leave travel concession	18.88	4.74	-
Total	56.11	34.06	10.87

Kochi Metro Rail Limited

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Note 21 : Other Income	Amount (in Rs. Lakh)	
	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
a) Interest from bank deposits	46.30	451.73
b) Other non-operative income	605.26	102.17
c) Income from Unwinding of security Deposits	27.61	25.34
d) Fair value differential - SD received	0.21	2.74
Total	679.38	581.99

21.1 Other operating income consists of

i) Application/tender processing fees	3.12	5.06
ii) Gain on sale of asset	-	0.01
iii) Interest on income tax refund	4.11	0.58
iv) Other income-DMRC	531.21	96.52
v) Liquidated damages	6.34	-
vi) Consultancy Income	40.98	-
vii) Others	19.50	-

Note 22 : Employee Benefits Expense	Amount (in Rs. Lakh)	
	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
a) Salaries and wages	348.35	257.15
b) Contribution to Provident Fund and other funds	34.15	23.37
c) Gratuity Expenses	12.06	5.27
d) Staff welfare expenses	122.65	70.58
Total	517.21	356.37

Kochi Metro Rail Limited

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Amount (in Rs. Lakh)

Note 23 : Finance Costs	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
a) Interest on Pass through assistance-Government of India		
i) Gross Interest (A)	774.23	471.97
ii) Expense during construction (B)	774.23	471.97
iii) Total transfer to Statement of Profit and Loss (A-B)	-	-
b) Interest on Canara Bank loan		
i) Gross Interest (A)	2,988.15	2566.30
ii) Expense during construction (B)	2,988.15	2566.30
iii) Total transfer to the Statement of Profit and Loss (A-B)	-	-
c) Interest on Subordinate debt		
i) Unwinding of Interest expense on subordinate debt (A)	606.14	41.49
ii) Expense during Construction (B)	0.00	0.00
iii) Total transfer to the Statement of Profit and Loss (A-B)	606.14	41.49
d) Interest on Retention Money Deposit		
i) Unwinding of Interest Expense on Retention Money Deposit (A)	17.08	15.91
ii) Expense during Construction (B)	12.82	15.00
iii) Payable to GOK (C)	2.30	0.45
iv) Total transfer to the Statement of Profit and Loss (A-B-C)	1.96	0.45
e) Interest on Security Deposit		
i) Unwinding of Interest Expense on Security Deposit(A)	1.45	0.04
ii) Total transfer to the Statement of Profit and Loss (A)	1.45	0.04
Grand Total- Transfer to the Statement of Profit and Loss	609.55	41.98

Amount (in Rs. Lakh)

Note 24 : Depreciation and Amortisation Expense	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
a)Depreciation on tangible assets	63.65	57.73
b)Amortisation of intangible asset	101.80	87.04
Total	165.45	144.77

Kochi Metro Rail Limited

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

Note 25 : Other Expenses	Amount (in Rs. Lakh)	
	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Events and Promotion	-	36.97
Rent,Rates and taxes	35.52	43.93
Power and Fuel	30.35	11.16
Road Works	255.09	1218.80
Repairs and maintenance	105.00	28.07
Travelling and conveyance expenses	23.68	102.47
Printing and stationery	26.35	11.43
Advertisement and publicity	35.02	37.54
Insurance	0.49	0.51
Payment to Auditors (refer note 25.1)	7.03	4.76
Office Expenses	148.01	97.19
Legal and Professional	35.02	117.04
Tree Planting Expenses	31.02	53.88
Bank charges	(12.58)	47.29
Donation	-	-
Social Media and Perception Management	54.73	54.38
Recruitment Expense	-	4.20
Signange Boards	0.48	117.91
Loss on sale of fixed assets	0.06	0.15
Miscellaneous expenses	50.53	40.93
Unwinding of Prepaid Expenses	26.72	26.52
Total	852.52	2055.13

25.1 Payment to Auditors	Amount (in Rs. Lakh)	
	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
i) Audit fees (inclusive of service tax)	4.04	3.48
ii) Other Services	1.43	0.68
iii) Reimbursement of Expenses	1.56	0.60

Note 26 : Earnings per Equity Share	For the year ended 31st March 2017	For the year ended 31st March 2016
Net Profit/ (Loss) after tax (In Rs. Lakh)	(1,470.35)	(2,013.42)
Number of Equity Shares	14,16,14,975	9,99,65,027
Basic and Anti-Diluted Earnings Per Share (EPS) (In Rs.)	(1.04)	(2.01)

NOTE NO.27 ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS

27.1 First-time adoption of Ind AS

These financial statements, for the period ended 31st March 2017, are the first financial statements prepared by the company in accordance with Ind AS. For periods up to and including the year ended 31 March 2016, the company prepared its financial statements in accordance with Indian GAAP, including accounting standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended).

Accordingly, the company has prepared financial statements which comply with Ind AS applicable for periods ending on or after 31st March 2017, together with the comparative period data as at and for the year ended 31 March 2016, as described in the summary of significant accounting policies. In preparing these financial statements, the Company's opening balance sheet was prepared as at 1 April 2016, the Company's date of transition to Ind AS. The below note explains the principal adjustments made by the Company in restating its Indian GAAP financial statements, including the balance sheet as at 1 April 2015 and the financial statements as at and for the year ended 31 March 2016.

27.1.1 Exemptions availed on first-time adoption of Ind AS 101

Ind AS 101 allows first-time adopters certain exemptions from the retrospective application of certain requirements under Ind AS. The Company has applied the following exemptions:

a. Deemed cost for Property, plant and equipment and intangible assets

The Company has elected to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment and intangible assets recognised as of April 1, 2016 (transition date) measured as per the previous GAAP and use that carrying value as its deemed cost as of the transition date.

b. Determining whether an arrangement contains a lease

Appendix C of Ind AS 17 requires an entity to assess whether a contract or arrangement contains a lease, at the inception of the contract or arrangement. However, Company has used Ind AS 101 exemption and assessed all arrangements based for embedded leases based on conditions in place as at the date of transition

c. Derecognition of financial assets and financial liabilities

Company has elected to apply the derecognition requirements for financial assets and financial liabilities in Ind AS 109 prospectively for transactions occurring on or after the date of transition to Ind AS.

d. Classification and measurement of financial assets

Company has classified the financial assets in accordance with Ind AS 109 on the basis of facts and circumstances that exist at the date of transition to Ind AS.

e. Impairment of financial assets

The Company has applied the impairment requirements of Ind AS 109 retrospectively; however, as permitted by Ind AS 101, it has used reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort to determine the credit risk at the date that financial instruments were initially recognised in order to compare it with the credit risk at the transition date. Further, the Company has not undertaken an exhaustive search for information when determining, at the date of transition to Ind ASs, whether there have been significant increases in credit risk since initial recognition, as permitted by Ind AS 101.

27.1.2 Reconciliations

The following reconciliations provide the effect of transition to Ind AS from Indian GAAP in accordance with Ind AS 101 :

1. Equity as at April 1, 2015 and March 31, 2016
2. Net profit for the year ended March 31, 2016

27.1.3 Reconciliation of equity as previously reported under IGAAP to Ind AS

Particulars	Amount (Rs. In lakh)					
	Opening Balance Sheet As at 1 April 2015		Closing Balance Sheet As at 31st March 2016			
	Previous GAAP	Adjustment on transition to Ind AS	IND AS	Previous GAAP	Adjustment on transition to Ind AS	IND AS
ASSETS						
(1) Non -current assets						
(a) Property, Plant and Equipment	40,508.33	-	40,508.33	55,536.82	-	55,536.82
(b) Capital work-in-progress	1,05,953.76	(43.71)	1,05,910.05	2,00,601.76	65.15	2,00,666.91
(c) Other Intangible assets	2,805.09	-	2,805.09	2,930.98	-	2,930.98
(d) Intangible assets under development	93.30	-	93.30	7.68	-	7.68
(e) Financial Assets						
(i) Investments	-	-	-	-	-	-

(ii) Trade receivables	-	-	-	-	-	-
(iii) Loans	-	-	-	-	-	-
(iv) Other Financial Assets	363.33	(54.56)	308.77	5,105.19	(32.45)	5,072.74
(f) Deferred tax assets (Net)	-	-	-	-	-	-
(g) Other non -current assets	31,503.88	(17.70)	31,486.18	29,150.50	(114.51)	29,035.99
(2) Current assets						
(a) Inventories	-	-	-	-	-	-
(b) Financial Assets						
Investments						
(i) Trade receivables	-	-	-	-	-	-
(ii) Cash and cash equivalents	39,134.10	-	39,134.10	23,313.91	-	23,313.91
(iii) Other Bank balances	-	-	-	-	-	-
(iv) Loans	-	-	-	-	-	-
(v) Other Financial assets	22.46	-	22.46	1,909.44	(120.55)	1,788.89
(c) Other current assets	120.50	13.61	134.11	254.05	(133.19)	120.86
Total Assets	2,20,504.75	(102.36)	2,20,402.39	3,18,810.33	(335.55)	3,18,474.78

EQUITY AND LIABILITIES

EQUITY

(a) Equity Share capital	87,010.00	-	87,010.00	1,28,300.00	-	1,28,300.00
(b) Other Equity	5,357.02	(57.28)	5,299.74	8,953.16	(90.54)	8,862.62

LIABILITIES

(1) Non-current liabilities

(a) Financial Liabilities						
(i) Borrowings	1,14,599.00	(23.76)	1,14,575.24	1,60,527.00	(41,347.46)	1,19,179.54
Trade payables						
(ii) Other financial liabilities	127.27	(22.62)	104.65	5,065.66	(24.46)	5,041.20
(b) Provisions	70.40	-	70.40	112.09	-	112.09
Deferred tax liabilities (Net)						
Other non -current liabilities		-	-	87.71	-	87.71
(c) Deferred Tax liabilities	2.06	-	2.06			
(d) Other Non Current Liability						
(d) Government Grants		-	-	-	41,366.50	41,366.50

(2) Current liabilities

(a) Financial Liabilities						
(i) Short -term borrowings						
(ii) Trade payables		-	-	-	-	-
(ii) Other financial liabilities	13,310.87	1.30	13,312.17	15,660.12	(239.59)	15,420.53
(b) Other current liabilities	17.26	-	17.26	70.53	-	70.53
(c) Provisions	10.87	-	10.87	34.06	-	34.06
Total Equity and Liabilities	2,20,504.75	(102.36)	2,20,402.39	3,18,810.33	(335.55)	3,18,474.78

27.1.4 Reconciliation as previously reported under IGAAP to Ind AS

Particulars	Amount (Rs. In lakh)		
	Previous GAAP	For the year ended 31.03.2016	
		Adjustment on transition to Ind AS	IND AS
I Revenue from operations	-	-	-
II Other income	452.26	129.73	581.99
III Total Revenue (I + II)	452.26	129.73	581.99
IV Expenses:			
Cost of materials consumed	-	-	-
Purchases of Stock-in-Trade	-	-	-
Employee benefits expense	358.93	-2.56	356.37
Finance costs	0	41.98	41.98
Depreciation and amortization expense	144.77	0.00	144.77
Other expenses	1934.12	121.01	2055.13
Prior Period expenses	1.7	-1.70	0.00
Total expenses (IV)	2439.52	158.73	2598.25
V Profit before tax (III - IV)	(1,987.26)	(29.00)	(2,016.26)
VI Tax expense:			
(1) Current tax	(3.34)		(3.34)
(2) Prior tax adjustment			
(3) Deferred tax	(2.06)		(2.06)
VII Profit (Loss) for the period (V - VI)	(1,981.86)		(2,010.86)
VIII Other comprehensive income			
A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
a) Remeasurements of post employment benefit obligations		(2.56)	(2.56)
b) Changes in fair value of FVOCI equity instruments			
(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss			
B (i) Items that will be reclassified to profit or loss			
a) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments			
(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss			
	-	(2.56)	(2.56)
Total Comprehensive Income for the period (VII+ VIII) (Comprising Profit / (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)	(1,981.86)		(2,013.42)
VIII Earnings per equity share:	(1.98)		(2.01)
(1) Basic (2) Anti Dilutive			

27.1.5 Explanations for reconciliation of Balance Sheet and Statement of Profit and Loss as previously reported under Indian GAAP to Ind AS :

a. Government loan accounting (Sub ordinate debt)

Under Ind AS, when loans or similar assistance are provided by governments or related institutions, with an interest rate below the current applicable market rate, the effect of this favourable interest is regarded as a government grant and disclosed under Non current liabilities.

GOI and GOK has released interest free sub debt to KMRL. As per Memorandum of Understanding between GOI ,GOK and KMRL, the repayment of sub debt shall be made only after repayment of entire term debt availed for the project. The senior debt outstanding as on 31st March 2016 will be fully repaid by March 2039 and It is assumed that the sub debt is due for payment after March 2039 .

The loan or assistance is initially recognised and measured at fair value and the government grant is measured as the difference between the initial carrying value of the loan determined in accordance with IndAS 109- Financial Instruments, and the proceeds received.

The loan component is measured at amortised cost and interest expense on the same is included under finance cost. Government grants relating to the purchase of property, plant and equipment are included in non-current liabilities as deferred income and are credited to profit or loss on a systematic basis over the expected lives of the related depreciable assets and presented within other income after the assets are capitalised.

b. Transaction costs on borrowing

Under Indian GAAP, transaction costs incurred in connection with borrowings are amortised upfront and charged to profit or loss for the period. Under Ind AS, transaction costs are included in the initial recognition amount of financial liability and charged to profit or loss using the effective interest method. The amount transferred on this account is Rs. 1.30 lakh during 2015-16 and has NIL impact on the retained earnings as on 01.04.2015 and 2015-16, since the finance cost is being capitalized.

c. Fair valuation of retention deposits

Under Ind AS, all financial assets are required to be recognised at fair value. Accordingly, the company has fair valued the retention deposits relating to capital work in progress under Ind AS. Difference between the fair value and transaction value of the security deposit has been included in cost of capital work in progress since the related effect of the deposit was included in capital work in progress.

d. Remeasurements of post employment benefit obligations

Under previous GAAP, actuarial gains and losses were recognized in statement of profit and loss. Under Ind AS, the actuarial gains and losses form part of remeasurement of net defined benefit liability/asset which is recognized in other comprehensive income in the respective periods. There is no impact on the total equity as at 31st March,2016.

e. Security deposits made by KMRL

Under the previous GAAP, interest free lease security deposits made by KMRL (that are refundable in cash on completion of the lease term) are recorded at their transaction value. Under Ind AS, all financial assets are required to be recognised at fair value. Accordingly, the company has fair valued these security deposits under Ind AS. Difference between the fair value and transaction value of the security deposit has been recognised as prepaid rent. Consequent to this change, the amount of security deposits decreased by Rs.32.45 lakhs as at 31 March 2016 (1 April 2015 Rs. 54.56 lakh). The prepaid rent increased by Rs. 31.27 lakh as at 31 March 2016(1 April 2015 Rs. 54.56 lakh). The profit for the year and total equity as at 31 March 2016 decreased by Rs. 1.18 lakhs due to amortisation of the prepaid rent of Rs. 26.52 lakhs which is partially off-set by the notional interest income of Rs. 25.34 lakhs recognised on security deposits.

f. Other comprehensive income

Under Ind AS, all items of income and expense recognised in a period should be included in profit or loss for the period, unless a standard requires or permits otherwise. Items of income and expense that are not recognised in profit or loss but are shown in the statement of profit and loss as 'other comprehensive income' includes remeasurements of defined benefit plans of ,Rs. 2.56 lakh. The concept of other comprehensive income did not exist under previous GAAP.

g. Prior Period adjustments

Under Ind AS , material prior period errors are to be corrected retrospectively in the first set of financial statements approved for issue after their discovery by: (a)restating the comparative amounts for the prior period(s) presented in which the error occurred; or (b)if the error occurred before the earliest prior period presented, restating the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest prior period presented.

This has resulted in decrease of retained earnings as on 01.04.2015 by Rs. 1.70 lakhs and decrease in net loss during 2015-16 by Rs. 1.70 lakhs.

h. Tax adjustments

Tax adjustments include deferred tax impact on account of differences between previous GAAP and Ind AS. Presently, there is NIL effect in equity and Net Profit under Ind AS as at March 31, 2016.

27.2 Expenditure in Foreign Currency

Amount (in Rs.Lakh)

Particulars	For the year ended 31.03.2017	For the year ended 31.03.2016
Tours and Travels	15.14	28.01
Expenditure by DMRC on contracts (see note below)	17229.08	9640.74

The capital expenditure is incurred by DMRC in foreign currency as per their statement of accounts out of the payment made to them in Indian rupee by KMRL.

27.3 Foreign exchange variation

KMRL has not recognized any amount, as foreign exchange rate variation. As per the Memorandum of Understanding between Government of India, Government of Kerala and KMRL, any exchange rate variation, on foreign currency, shall be borne by GOK.

27.4 Capital work in Progress (CWIP)

Construction of the capital asset i.e the Metro Rail system is under progress. As per the agreement dated 23rd May 2013, Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC) shall execute all the works related to the project and commission the system. The works executed by DMRC are grouped under CWIP and is recorded in the books of accounts based on the fund utilization statement furnished by DMRC as on 31st March 2017.

The DMRC fee for executing the works amounting to Rs. 52.15 crore (previous year Rs. 64.64 crore) for the current financial year (till date Rs. 40.10 crore) is grouped under CWIP as expenses during construction pending capitalization.

As per the agreement with DMRC, project cost is paid as advance. Interest received on the deposit of these funds is reduced from CWIP. The interest so accounted during the year is Rs. 3.69 crore (previous year Rs. 7.65 crore) and till date Rs. 23.88 crore. Also the amount received from sale of tender by DMRC is reduced from the CWIP. The amount so accounted during the year is Rs.0.10 crore (previous year Rs. 0.13 crore).

The borrowing cost that are directly attributable to the acquisition, construction of a qualifying asset is grouped under CWIP, pending capitalization. The interest earned on short-term deposits made out of Pass through assistance (PTA) funds towards Agence Francaise De Development (AFD) loan is reduced from the borrowing cost in accordance with Indian Accounting Standard(IND AS) 23.The amount so reduced during the current year amounts to Rs.6.77 crore (previous year Rs. 5.62 crore).

Government of Kerala (GOK) vide G.O.(Ms) No. 72/2015/Trans dated 16th November 2015 and G.O.(Ms) No. 48/2017/Trans dated 20th May, 2017 has accorded administrative sanction for the new metro line for a distance of 11.2 km from Jawaharlal Nehru stadium to Kakkanad with an estimated cost of Rs. 2577.25 crore. The project is under approval of Government of India. Expenditure on account of detailed project report, traffic study and other related expenditure undertaken by KMRL is grouped under CWIP- Phase II.

27.5 Preparatory works

Preparatory works are undertaken by DMRC as per the Government of Kerala (GOK) order vide G.O.(MS) No. 34/2010/Tran Dated 19-3-2010 and G.O.(MS) No. 110/2013/Trans Dated 07-12-2013 with an estimated cost of Rs. 242.47 crore. The ownership of these assets rests with the Government of Kerala (GOK). After formation of Kochi Metro Rail Limited (KMRL), the funds for these works are routed through KMRL and hence the entire expenses on this account have been set off against the funds received from the Government of Kerala. Till date, GOK has released an amount of Rs. 218.67 crore towards the preparatory and other miscellaneous works executed by KMRL (till previous year Rs. 172.08 crore). The total expenditure till date on these preparatory works including funds

transferred to DMRC is Rs. 199.70 crore.

Funds received from GOK are released to DMRC based on their requisition. KMRL has transferred cumulative funds of Rs. 101.20 crore (till previous year Rs. 96.20 crore) to DMRC towards these works. The total expenditure incurred by DMRC till 31st March 2017, out of the funds transferred towards preparatory works, is Rs.127.77 crore (till previous year Rs. 126 crore).

27.6 City road improvement works

The Board of Directors in its 18th meeting held on 16th September 2014 has approved undertaking works for the improvement of arterial roads of the project area at an estimated cost of Rs. 31.10 crore with the proviso that 50% of the amount expended shall be borne by Government of Kerala. Vide G.O.(Ms)No.14/2015/Plg dated 28.02.2015 , Government of Kerala has accorded approval for Rs. 15.55 crore for improvements of the city roads, being 50% of the estimated cost. and has released Rs. 15.55 crore towards this work. The company has incurred an amount of Rs. 26.52 crore till 31st March 2017 and Rs. 13.26 crore has been set off against the funds received from the Government of Kerala.

27.7 Edapally Flyover

Government of Kerala vide order No. G.O(Rt) No.714/2013/PWD dated 13/05/2013 has entrusted the works of construction of Edappally flyover to KMRL, to be executed through DMRC at an estimated cost of RS. 108.77 crore. An amount of Rs. 25 crore has been released by Kerala Road Fund Board (KRFB) to KMRL for this work in the financial year 2013-14. The MoU delineating the terms of execution was executed on 23rd May 2016.

Total expenditure including remuneration incurred by DMRC towards flyover construction is Rs. 30.79 crore (up to previous year Rs. 23.26 crore) out of funds transferred by KMRL.

Till 31st March 2017, KMRL has incurred an amount of Rs. 3.51 crore which includes claim towards administrative charges

The total expenditure on the Edapally flyover amounts to Rs. 34.30 crore and balance funds are yet to be released by KRFB.

27.8 Pachalam Rail Over Bridge (ROB)

Government of Kerala vide order No. G.O(Ms) No. 23/2014/Trans dated 05/03/2014 has entrusted the works of construction of Pachalam ROB to KMRL for executing the works, through DMRC for reducing the traffic block due to civil construction from Aluva to Petta with an approved cost of Rs. 52.59 crore.

Government of Kerala has released the entire funds to KMRL. Out of the funds received , an amount of Rs. 8.81 crore has been paid to District Collector towards the cost of land acquisition and an amount of Rs. 14.83 crore to. DMRC towards project fund till 31st March 2017.

DMRC has spent an amount of Rs. 20.02 crore including remuneration (upto previous year Rs. 17.51 crore) towards construction of the rail over bridge till 31st March 2017.

27.9 Vytilla Petta road widening

Government of Kerala vide G.O(Ms) No. 13/2015/Trans dated 10/03/2015 has accorded administrative sanction for widening of 1.5 KM of Vytilla Petta road from Kunnara park to Petta. Government has released an amount of Rs. 22.35 crore for undertaking these works. An amount of Rs. 6.90 crore has been incurred by KMRL during the financial year 2016-17 (previous year Rs. 7.74 crore) and till date Rs. 14.64 crore.

Vide G.O.(Ms)No.24/2015/Trans dated 30.04.2015 of Government of Kerala has accorded approval for availing term loan of Rs. 104 crore from Ernakulam District Co-operative Bank Ltd (EDCB) towards land acquisition for widening of Vytilla Petta road. Accordingly, the company has entered into term loan agreement with EDC as approved in its 19th Board meeting held on 9th May ,2014.

Till date an amount of Rs. 60 crore has been transferred to District Collector as advance towards land acquisition for the road widening works.

27.10 Non – motorized transport (NMT) initiatives in KMRL

GOK vide Go.No. 34/2017/Trans dated 19/04/2017 has accorded administrative sanction for the Non motorized transport initiatives of KMRL for an amount of Rs. 161 crore by availing fund from the French development agency , Agence Francaise De Development (AFD) on terms similar to those for the kochi metro rail project. NMT plan includes station-oriented development, major junction improvements & urban place making pedestrianisation project.

During the year , KMRL has incurred an amount of Rs. 32.82 lakh towards station oriented development works

27.11 Integrated water transport system

Government of Kerala (GOK) vide G.O(Ms) No. 73/2015/Trans dated 19/11/2015 has accorded approval for the integrated water transport system in Kochi with an estimated cost of Rs. 682.01 crore. The project is being financed through a soft loan by the German funding agency “Kreditanstalt fur Wiederaufbau” (KfW) under the Indo-German Bilateral Cooperation as part of the “Climate Friendly Urban Mobility” initiative and by GOK is funding balance cost of the project to the tune of Rs. 102 crore.

All the financial and operational risk of the project will vest with the GOK as the de-jure owner of the project and KMRL shall be the executing and operating agency on behalf of GOK. Expense of Rs. 0.69 crore incurred till date on this account is shown as amount receivable from GOK.

During the year, KMRL has entered into a project agreement with the State of Kerala and KfW . KMRL has also entered into a separate agreement with KfW in accordance with the loan agreement between GOI and KfW for availing the loan for an amount of 85 million euro.

27.12 Financial Institutions (FI) led consortium for open loop contactless smart card based automatic fare collection system

KMRL had entered into an agreement with Axis Bank Limited lead consortium on 10th June 2015 for open loop contactless smart card based automatic fare collection system for the Kochi Metro Rail

project. The prime intention is to implement automatic ticketing system, which comprises of the Automatic Fare Collection (AFC) system and the Europay, MasterCard and Visa (EMV) standards based contactless smart card system. The EMV card is capable of using not only in the metro system, but also for the commercial non fare box transactions.

As per the terms of agreement with the consortium, an amount of Rs. 208.80 crore towards royalty shall be paid to KMRL over a period of 10 years. On signing of the contract, an amount of Rs. 1 crore has been released to KMRL as advance towards royalty payment. The amount is grouped under “Other current liabilities”.

27.13 Central Financial Assistance (CFA) from MNRE

An amount of Rs. 4.80 crore (being 15% of the estimated project cost of Rs. 32 crore) has been approved as Central Financial Assistance (CFA) by the Ministry of New and Renewabale Energy (MNRE) , Government of India for installation of grid connected Solar Photo Voltaic (SPV) power plants of total aggregate capacity of 4.0 MW under the “National Clean Energy Fund”.

KMRL has received an amount of Rs. 1.44 crore being the 1st installment of the CFA during the financial year 2015-16 and grouped under “Other financial liabilities”. Release of further installments shall be considered after submission of requisite claims, project completion reports, utilization certificate and audited statements of expenditure.

The supply, installation, testing and commissioning of the Solar PV power plants has been awarded to M/s Hero Solar Energy Private Limited (the developer) by DMRC. The contract is based on RESCO (Renewable Energy Service Company) model, where in the project cost is borne by the developer and PPA (Power Purchase Agreement) for 25 years at a mutually agreed tariff is being signed by the KMRL.

The subsidy amount received from MNRE shall be disbursed to the developer on submission of the audited certificate of the project cost.

27.14 Central Financial Assistance (CFA) from Ministry of Urban Development (MOUD) and Government of Kerala (GOK)

During the financial year, an amount of Rs. 99.76 lakh has been released as Central Financial Assistance (CFA) by MOUD under the Scheme of Urban Transport Planning, wherein 80% of the total expenditure for all kinds of traffic and transportation studies etc shall be borne by MOUD and 20% by the state government.

Out of the total expenditure of Rs. 2.26 crore incurred till 31st March 2017 , MOUD has released an amount of Rs.99.76 lakh till 31st March 2017.

Rs. 81.62 lakh and Rs. 45.35 lakh is receivable from MOUD and GOK respectively, being their share of financial assistance.

27.15 Disclosure in respect of IND AS-19 (Revised)- Employee Benefits

Fund and pension fund: The eligible employees of the Company are entitled to receive benefits

under provident fund (PF) schemes in which both employees and the Company make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees' salary. The contributions are paid to the Regional Provident Fund Account.

The company's pension scheme is linked with provident fund scheme. All eligible employees of the company under provident fund schemes are also covered under employee pension scheme (EPS), except for those employees of the company becoming provident fund (PF) member after 1st September 2014 and whose pay is more than Rs. 15,000/- per month is not being covered under the EPS scheme. The said benefit is being extended only, if the employee, while joining KMRL was an existing member of PF. Under the above pension scheme, no contribution is collected from the employees and is paid from the employer's contribution

Gratuity: Gratuity is payable as per Payment of Gratuity Act, 1972 to every employee who has rendered continuous services of five years or more. Liabilities with regard to the Gratuity Plan are determined by actuarial valuation, performed by an independent actuary, at each Balance Sheet date using the projected unit credit method as required by IND AS 19. Provisions as per actuarial valuations are made in the books of accounts for the gratuity

Earned Leave and half pay leave: The Company provides for earned leave benefits and half pay leave to the employees as per the HR policy. The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation.

Leave Travel CConcession (LTC) : The Company provides financial assistance to the employee for meeting expenses of actual travel involved to their hometown as well as any place in India as per the approved policy. The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation.

Insurance: The Company has also taken Medical Insurance Policy for all its eligible employee during the current year.

27.15.1 The summarized position of various defined benefits recognized in the Statement of Profit and Loss and Balance Sheet as per actuarial valuation is as under:

Disclosure for defined benefit plans i.e Gratuity, Earned leave and half pay leave , Leave travel concession (unfunded plan), based on actuarial reports as on 31st March 2017.							
	Gratuity entitlement (Unfunded) (' in lakhs)	Earned Leave Encashment (Unfunded) (' in lakhs)	Half pay Leave Encashment (Unfunded) (' in lakhs)	Leave travel concession (Unfunded) (' in lakhs)			
Particulars	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017
Benefit obligations at the beginning of year	28.88	17.19	66.38	40.69	41.82	23.38	9.05
Current service cost	58.07	11.83	52.26	18.68	32.30	12.63	11.07
Interest Cost	2.25	1.34	5.18	3.17	3.26	1.82	0.67
Benefits paid / provision withdrawn	0.00	0.00	-5.23	0.00	0.00	0.00	-4.66
Past service cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91
Actuarial (gain) /loss from change in Financial Assumptions	35.25	0.00	32.14	0.00	21.60	0.00	0.31
Actuarial (gain) /loss on obligations - Due to Experience Adjustments	-36.79	-1.48	-26.41	3.84	-15.75	3.99	-5.37
Benefit obligations at the end of year	87.66	28.88	124.32	66.38	83.23	41.82	11.07
							9.05

The amounts for the year ended March 31, 2017 recognised in the Statement of Profit and Loss under Employee benefit Expense, are as follows:								
	Gratuity entitlement (Unfunded) (' in lakhs)	Earned Leave Encashment (Unfunded) (' in lakhs)		Half pay Leave Encashment (Unfunded) (' in lakhs)		LTC (Unfunded) (` in lakhs)		
Particulars	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016
Current service cost	58.07	11.83	52.26	18.68	32.30	12.63	11.07	5.96
Interest cost	2.25	1.34	5.18	3.17	3.26	1.82	0.67	0.00
Past service cost							0.00	8.91
Total	60.32	13.17	57.44	21.85	35.56	14.45	11.74	14.87
Less: Actuarial (Gain)/ Loss transferred to CWIP	48.25	7.90	45.95	13.11	28.45	8.67	9.39	8.92
Expenses recognized in statement of profit and loss	12.07	5.27	11.49	8.74	7.11	5.78	2.35	5.95

The amounts for the year ended March 31, 2017 recognised in the Statement of Other Comprehensive income , are as follows:								
	Gratuity entitlement (Unfunded) (' in lakhs)	Earned Leave Encashment (Unfunded) (' in lakhs)		Half pay Leave Encashment (Unfunded) (' in lakhs)		LTC (Unfunded) (` in lakhs)		
Particulars	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016
Remeasurements of the net defined benefit liability/ (asset)								
Actuarial (gains)/ losses from changes in Financial Assumptions	35.25	0.00	32.14	0.00	21.60	0.00	0.31	0.29
Actuarial (gains)/ losses- Due to Experience Adjustments	(36.79)	(1.48)	(26.41)	3.84	(15.75)	3.99	(5.37)	(0.27)
Total Remeasurements in OCI	(1.54)	(1.48)	5.73	3.84	5.85	3.99	(5.06)	0.02
Less: Actuarial (Gain)/ Loss transferred to CWIP	(1.23)	(0.89)	4.58	2.30	4.68	2.39	(4.05)	0.01
Expenses recognized in statement of OCI	(0.31)	(0.59)	1.15	1.54	1.17	1.60	(1.01)	0.01

The principal assumptions used to determine Gratuity, Earned leave encashment, Half Pay leave Encashment and LTC benefit obligations as of March 31, 2017, March 31, 2016 and April 1, 2015 are as follows :

Particulars	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 01/04/2015
Discount rate	7.50%	7.80%	7.80%
Salary escalation rate - First 5 Years	6.00%	3.00%	3.00%
Salary escalation rate – After 5 Years	6.00%	3.00%	3.00%

Net Asset / Liability recognised in the Balance Sheet								
Particulars	Gratuity entitlement (Unfunded) (` in lakhs)		Leave Encashment (Unfunded) (` in lakhs)		Half pay Leave Encashment (Unfunded) (` in lakhs)		LTC (Unfunded) (` in lakhs)	
	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016	As at 31/03/2017	As at 31/03/2016
Present value of the obligation	87.66	28.88	124.32	66.38	83.23	41.82	11.07	9.05
Fair value of plan assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Difference	87.66	28.88	124.32	66.38	83.23	41.82	11.07	9.05
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost - non vested benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	87.66	28.88	124.32	66.38	83.23	41.82	11.07	9.05

27.16 Disclosure in respect of IND AS-108 (Segment Reporting)

The Company has only one reportable business segment, which is developing, running and maintaining of Kochi Metro Rail project. Accordingly, the amounts appearing in the financial statements are related to the Company's single business segment.

27.17 Related Party transactions

27.17.1 Key Management persons:

27.17.1.1 Shri. Elias George (Managing Director)

27.17.1.2 Shri. Abraham Oommen (Director-Finance)

27.17.1.3 Shri. Praveen Goyal (Director- System)

27.17.1.4 Shri. Thiruman Archunan (Director-Projects) from 29.08.2016

27.17.1.5 Shri. Anil Kumar B (Company Secretary)

27.17.2 Disclosure of transactions with related parties

(Key managerial persons)

Amount (in Rs. Lakh)

Particulars	Shri. Elias George (Managing Director)	Shri. Abraham Oommen (Director-Finance)	Praveen Goyal (Director- System)	T Achunan (Director Projects)	Shri. Anil Kumar B (Company Secretary)
Salaries & Allowances					
Current year	6.22	28.72	27.73	14.81	15.50
Previous year	-	26.77	14.81	-	14.30
Contributions to Provident Fund and others					
Current year	-	2.83	2.87	1.50	1.52
Previous year	-	2.42	1.42	-	1.31
Other benefits					
Current year	9.35	5.82	8.30	4.44	3.81
Previous year	6.96	2.87	3.62	-	0.21

a) The Managing Director was drawing his salary from Government of Kerala, in his capacity as Additional Chief Secretary to the Government till 31st October 2016. Thereafter, he is on the payroll of KMRL.

b) The whole time Directors have been allowed to use the Company hired vehicle for private journeys subject to recovery as per the Company's policy.

c) The above amounts does not include provisions towards contributions to gratuity, leave encashment , leave travel concession as ascertained on actuarial valuation. However, the actual payment's made during the year is included in other benefits.

27.18 Disclosure in respect of IND AS-17 (Leases)

Leases under which the Company assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. When acquired, such assets are capitalized at fair value or present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, whichever is lower. Lease payments under operating leases are recognized as an expense on a straight-line basis in net profit in the Statement of Profit and Loss over the lease term.

27.19 Disclosure in respect of Earnings per share IND AS- 33 (Earnings Per Share)

Particulars	2016-17	2015-16
Net Profit /(Loss) for the year (Rs. in Lakh)	(1470.35)	(2013.42)
Weighted average number of equity shares outstanding during the year		
- Basic	141614975	99965027
- Diluted	141614975	111188027
Basic Earnings Per Share (Face value of Rs. 100/-per share) (Rs.)	(1.04)	(2.01)
Anti Dilutive Earnings Per Share (Face value of Rs. 100/-per share) (Rs)	(1.04)	(2.01)

27.20 Disclosure in respect of IND AS-12 (Accounting for Taxes on Income)

The Company has deferred tax asset of Rs. 1482.11 lakh (previous year Rs. 752.71 lakh) as on 31.03.2017 because of unabsorbed depreciation and accumulated losses. The deferred tax liability as on 31.03.2017 is Rs. 430.84 lakh (previous year Rs. 322.74 lakh). Since there is a net deferred tax asset as on 31.03.2017, as a matter of prudence, the deferred tax asset is not considered in the accounts. The net impact (favorable) in tax on account of this comes to Rs. 1051.27 lakh (previous year net deferred tax liability Rs. 429.97 lakh)

27.21 Disclosure in respect of IND AS-36 (Impairment of Assets)

Presently, no indication exists for the impairment of assets and hence no impairment loss of asset is recognised in the accounts for the financial year.

27.22 Some debit/credit balances of parties are subject to confirmation and reconciliation, consequential impact thereof, if any, remains unascertained.

27.23 Dues to micro enterprises and small enterprises

As at March 31, 2017 and March 31, 2016, there are no outstanding dues to micro and small enterprises. There are no interests due or outstanding on the same.

27.24 Capital commitments, Contingent liabilities and Contingent Asset

a) Contingent liabilities	Amount (Rs. in lakh)		
Contingent liabilities	As at 31.03.2017	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
Claims against company not acknowledged as debt			
• Towards Kochi metro rail project	494.49	435.12	1029.26
• Towards preparatory works under taken by KMRL on behalf of Government of Kerala (GOK)	130.11	187.15	187.15
• Bank Guarantee	77.55	1.00	NIL

b) Capital and other commitments	Amount (Rs. in lakh)		
Capital and other commitments	As at 31.03.2017	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
Estimated amount of tangible asset contracts entered into by DMRC on behalf of KMRL (including foreign currency contracts net of advances) remaining to be executed and not provided for	58280.02	125,296.43	195,372.06
Estimated amount of contracts entered into by KMRL including consultancy contracts (net of advances) remaining to be executed and not provided for			
a. Tangible asset	2413.14	6886.81	14931.78
b. Intangible asset	NIL	66.63	115.64
Total amount	60693.16	132,249.88	2,10,419.48

c) Contingent Asset

Contingent Assets, which are significant and material, are NIL (Previous year – NIL)

In terms of our report of even date attached. For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
For K. Varghese & Co.
Chartered Accountants
FRN 004525S

Sd/-
Sam Varghese
Partner.
M.No.216979
Place: Cochin
Date : 03-10-2017

Sd/-
Elias George
Managing Director
Sd/-
Abraham Oommen
Director (Finance)

Sd/-
Praveen Goyal
Director (Systems)
Place: Cochin
Sd/-
B. Anil Kumar
Company Secretary
Date : 03-10-2017

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of Kochi Metro Rail Limited

Report on the Ind AS Financial Statements

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **Kochi Metro Rail Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2017, the Statement of Profit and Loss (including other Comprehensive loss), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Ind AS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with relevant rules issued thereunder.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS financial statements based on our audit.

In conducting our audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters, which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit of the Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers

internal financial control relevant to the Company's preparation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements.

We believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Ind AS financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at March 31st, 2017, its loss, total comprehensive loss, its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.
2. As required by Section 143 (5) of the Act, we give in Annexure C, on the basis of such checks of the books and the records of the Company as we considered appropriate and according to the informations and explanations given to us, in the annexure on the directions issued by the Comptroller and Auditor-General of India.
3. As required by section 143(3) of the Companies Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
 - c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive loss, the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - d. In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with relevant rule issued thereunder.
 - e. The Company is a Government Company and therefore provision of section 164(2) of the Companies Act, 2013 are not applicable vide Notification GSR 463 (E) dated 5th June, 2015.
 - f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure B", Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial control over financial reporting.

g. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements (Refer Note 27.24 to the financial statements).
- ii. The Company has made provision as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts.
- iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. The Company has provided requisite disclosures in its Ind AS financial statements as regards its holding as well as dealings in Specified Bank Notes as defined in the Notification S.O. 3407(E) dated 8th November, 2016 of the Ministry of Finance, during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016. Based on audit procedures performed and the representations provided to us by the management, we report that the disclosures are in accordance with the books of account maintained by the Company (Refer Note 6 to the financial statements).

Sd/-

For K. VARGHESE & Co.

Chartered Accountants

(Firm Registration No. 004525S)

Sd/-

Sam Varghese

Partner

(Membership No. 216979)

Place: Kochi

Date:03/10/2017

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Referred to in Paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our report to the members of Kochi Metro Rail Limited on the accounts for the year ended 31st March, 2017

1. In respect of fixed assets:

- (a) The Company is generally maintaining proper records showing full particulars, including the quantitative details and situation of fixed assets, except in case of land.
- (b) The company has a regular programme of physical verification of its fixed assets. In our Opinion, the periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its business. To the best of our knowledge, no material discrepancies were noticed on verification conducted during the year as compared with book records.
- (c) According to the information and explanations given to us and based on the examination of the records of the Company, the title deeds of immovable properties are held in the name of the Company except for 21.6807 hectares of land for which Title Deeds are not available for verification. As informed by the Management, the documentation is in progress and the same is handled by Revenue department of Government of Kerala.

2. In respect of inventories :

The Company's construction activities are in progress. Accordingly, it does not hold any physical inventories. Hence, this clause is not applicable.

- 3. The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013.
- 4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013, with respect to the loans, investments, guarantees and security made.
- 5. According to the information and explanation given to us, the Company has not accepted any deposits from the public during the year.
- 6. The Central Government of India has not prescribed the maintenance of cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company. Hence, the clause is not applicable.
- 7. a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, amounts deducted/ accrued in the books of account in respect of

undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Sales Tax, Value Added Tax, Service Tax, Customs Duty, Cess and other material statutory dues have been generally regularly deposited during the year by the Company with the appropriate authorities.

According to the information and explanation given to us, no material undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Income Tax, Sales Tax, Value Added Tax, Customs Duty, Cess and any other material statutory dues were in arrears as at 31st March, 2017 for a period of more than six months from the date they became payable except Service Tax Payable of Rs.17,03,687/- .

b) According to the information and explanation given to us, there are no dues to Sales Tax, Value Added Tax, Income Tax, Customs Duty, Service Tax etc. which have not been deposited as on 31st March, 2017 on account of disputes.

8. In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on the documents and records produced before us, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowings to Financial Institutions and Banks. The Company has not issued any debentures.

9. The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). The term loans raised during the year were applied for the purpose for which those are raised.

10. According to the information and explanations given to us, no fraud by the Company and no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

11. As the Company is a Government Company, the provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 is not applicable vide Notification GSR 463 (E) dated 5th June, 2015.

12. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Companies Act, 2013, where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

14. According to the information and explanations give to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year which requires the compliance of section 42 of the Companies Act, 2013.

15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with its directors or

persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

16. The Company is not required to be registered under section 45-I of the Reserve Bank of India Act 1934.

Sd/-

For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)

Sd/-

Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)

Place: Kochi

Date: 03/10/2017

ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Referred to in Paragraph (f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our report to the members of Kochi Metro Rail Limited on the accounts for the year ended 31st March, 2017

Report on the Internal Financial Controls over financial reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Kochi Metro Rail Limited** ("the Company") as of 31st March, 2017 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing, prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal

financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion and to the best our information and according to the explanations given to us , the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2017, based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on

Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India".

Sd/-

For K. VARGHESE & Co.

Chartered Accountants

(Firm Registration No. 004525S)

Sd/-

Sam Varghese

Partner

(Membership No. 216979)

Place: Kochi

Date: 03/10/2017

ANNEXURE 'C' TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Referred to in Paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our report to the members of Kochi Metro Rail Limited on the accounts for the year ended 31st March, 2017

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2017 AS PER DIRECTIONS OF C&AG UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 20131.

Sl. No.	C&AG Directions	Comments of Statutory Auditor
1	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not, please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available.	As per the information and explanation given to us, the Company is having Land of 31.1419 hectares. The title deeds available for verification are to the extent of 9.4612 hectares of Land. The title deeds of balance 21.6807 hectares of land are not available for verification. It is also seen that title deeds to the extent of 2.74 ares are erroneously registered in the name of the company, which is not included in the assets of the company.
2	Please report whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. if yes, the reasons therefore and the amount involved".	As per the information and explanations given to us, there are no cases of waiver of debts/loans /interest etc.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift from Government or other authorities	As per the information and explanations given to us, there are no inventories lying with third parties. During the year 2016-17, no gift of assets was received from Government or other agencies. However, metro works are going on in an extent of 1.63 hectares of land belonging to various Government bodies/departments. Pending finalisation of the price, transfer formalities and other terms and conditions, these parcels of lands are not included in the fixed assets.

Sd/-

**For K. VARGHESE & Co.
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 004525S)**

Sd/-

**Sam Varghese
Partner
(Membership No. 216979)**

**Place: Kochi
Date: 03/10/2017**



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बार्ड, चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department

*Office of the Principal Director of Commercial Audit
and ex-officio Member Audit Board, Chennai*

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF KOCHI METRO RAIL LIMITED, KOCHI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2017.

The preparation of financial statements of Kochi Metro Rail Limited, Kochi for the year ended 31st March, 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent Audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 03.10.2017.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Kochi Metro Rail Limited, Kochi for the year ended 31 March, 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6) (b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling better understanding of the financial statements and the related audit report.

Notes to Financial Statements for the year ended 31st March 2017

Note 27.24: Capital commitments, Contingent liabilities and Contingent Asset

(a) Contingent Liabilities

The Contingent Liabilities are understated by Rs. 76989 lakh due to non-inclusion of Arbitration and Conciliation claims made by various contractors of Kochi Metro project. As the primary liability towards the contractors' claims lies with Kochi Metro Rail Ltd (KMRL) according to the provisions of the

agreement between Delhi Metro Rail Corporation Ltd (DMRC) and KMRL, the company should have disclosed the same.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India,**

Sd/-
(ANIM CHERIAN)
Principal Director of Commercial Audit and
Ex-Officio Member, Audit Board, Chennai


Place: Chennai - 34

Date : 29.11.2017

Management's Reply to C&AG Comments for the year 2016-17

C&AG Comments	Management Reply
The Contingent Liabilities are understated by Rs. 76989 lakh due to non-inclusion of Arbitration and Conciliation claims made by various contractors of Kochi Metro project. As the primary liability towards the contractors' claims lies with Kochi Metro Rail Ltd (KMRL) according to the provisions of the agreement between Delhi Metro Rail Corporation Ltd (DMRC) and KMRL, the company should have disclosed the same.	Delhi Metro Rail Corporation Ltd (DMRC) is the executing agency for the Kochi Metro Rail Project. As the Arbitration and Conciliation proceeding is an ongoing activity, the value of claims made by various contractors of DMRC, was not included in the Notes to Accounts, under the head "Contingent Liabilities". This will be suitably disclosed in the current year's Notes to Accounts i.e., for the year 2017-18 and subsequent years, under the heading "Contingent Liabilities".





ജീമ്പിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്
Emergency Trip Switch
ആപാടകാലീന ട്രിപ് സ്വിച്ച്

1
Platform

ഘട്ടവേദം

WARNING
DO NOT CROSS

WALKING

ON THE

RAIL

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

道

轨

<